SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

PM Gati Shakti
National Master Plan for Multi-Modal Connectivity

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

मारीटाइम इंडिया के भविष्य का प्रवेश द्वार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2024 - 25

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

AEO Certified Port

ISPS Compliant Port

भारत का नंबर 1 ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

प्रशासनिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित
वार्षिक लेखा तथा ली गई कार्रवाई रिपोर्ट

2024-25

पत्तन प्राधिकरण

विवरण		पृष्ठ सं.
चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्य		5
पत्तन के प्रमुख अधिकारी		7
निष्पादन सूचक		10
वित्तीय सूचक		11
अध्यक्ष का संदेश		15
निम्नलिखित पर प्रशासनिक रिपोर्ट		
व्यापार	व्यापार का परिमाण	17
	विदेशी और तटीय यातायात	17
	आयात	17
	निर्यात	18
	बंकर्स	18
	यात्री यातायात	18
	कंटैनर यातायात	18
	रेलवे यातायात	19
	जहाज यातायात	20
	रिकार्ड निष्पादन	21
	वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक संभाला कुल यातायात	22
	वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कुल यातायात	23
	वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के दौरान आयात और निर्यात	24
	वर्ष 2024-25 के दौरान कार्गो प्रोफाइल	25
प्रचालन	प्लवन्शील	26
	कार्गो संहलाई उपस्कर	26
	विद्युत आपूर्ति	26
	ड्रेजिंग	26
	पोर्ट अनुरक्षण	26
	कार्गो संहलाई उत्पादकता	27
	रेलवे दुर्घटनाएँ	27
	डॉक सुरक्षा	28
	औद्योगिक संबंध	29
	सुरक्षा	29
	पोर्ट अग्निशमन सेवाएँ	29

	विवरण	पृष्ठ सं.
वित्त	आय	30
	व्यय	30
	कार्यचालन परिणाम	30
	लागत अनुपात	30
	पूँजी व्यय	31
	ऋण	31
मानव संसाधन प्रबंधन	जाति सांख्यिकी	32
	पोर्ट सतर्कता	33
	चन्नै पोर्ट में आरटीआई अधिनियम, 2005 और सीपीजीआरएएमएस का कार्यान्वयन	35
	कर्मचारियों की संख्या और व्यय	36
	कर्मचारियों का प्रशिक्षण	37
	श्रम कल्याण	37
	चिकित्सा सुविधाएँ	43
	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	46
सामान्य	हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग	51
	विपणन प्रयासों का विवरण	53
	परियोजना विवरण	56
	सभी भूमि अभिलेखों का उत्परिवर्तन	65
	हरित पहल	66
	स्वच्छ भारत	67

लेखा पर से इतर संखियकी 73

लेखा परिशिष्ट

पोर्ट विकास कार्य - पूँजी लेखे 109

वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लेखे 133

लेखा परीक्षा रिपोर्ट व ली गई कार्रवाई 179

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्य - 2024-25

श्री सुनील पालीवाल, भा.प्र.से.
अध्यक्ष

श्री एस. विश्वनाथन, भा.प्र.से.
उपाध्यक्ष

संबंधित राज्य सरकार से सदस्य जिसमें महा पत्तन स्थित है

श्री प्रदीप यादव, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार,
राजमार्ग और लघु पोर्ट विभाग
तमिलनाडु सरकार
दि.30.06.2024 तक

डॉ. आर. सेल्वराज, भा.प्र.से.
सचिव, तमिलनाडु सरकार,
राजमार्ग और लघु पोर्ट विभाग
सचिवालय
दि.01.07.2024 से

रेल मंत्रालय से सदस्य

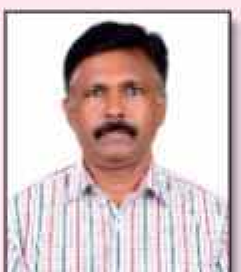

श्री एन श्रीकुमार, आई.आर.टी.एस.
प्रधान मुख्य प्रचालन प्रबंधक
दक्षिण रेलवे
दि.31.01.2025 तक

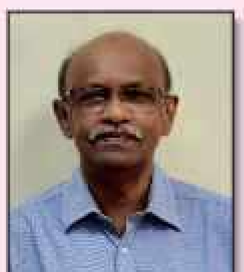

श्री टी. शिवकुमार, आई.आर.टी.एस.
प्रधान मुख्य प्रचालन प्रबंधक
दक्षिण रेलवे
दि.03.02.2025 से

रक्षा मंत्रालय से सदस्य

कमोडोर एस. राघव
नौसेना प्रभारी अधिकारी (टीएन)
रक्षा सेवाएँ (नौसेना)
दि.19.06.2024 तक

कमोडोर सुवरत मैगन
नौसेना प्रभारी अधिकारी (टीएन)
रक्षा सेवाएँ (नौसेना)
दि.20.06.2024 से

सीमा शुल्क, राजस्व विभाग से सदस्य

श्री राम निवास, आई.आर.एस
सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त
दि.20.01.2025 तक

श्री ए.आर.एस. कुमार, आई.आर.एस
सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त
दि.21.01.2025 से

केंद्र सरकार द्वारा नामित पदेन सदस्य जो निदेशक के पद से नीचे न हो।

श्री राजेश कुमार सिन्हा, आई.ए.एस
अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (शिपिंग विभाग)
दि.06.01.2025 तक (पूर्वाह्न)

श्री मुकेश मंगल, आईटीएस
संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (शिपिंग विभाग)
दि.06.01.2025 से (अपराह्न)

महा पत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हित के प्रतिनिधित्व सदस्य

श्री एच. माइकल रॉबर्ट केन्नडी
तकनीशियन (मैकेनिकल), एचएस ग्रेड II
चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

श्री एस. सेंदिल कुमार
सहायक अधीक्षक
चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

स्वतंत्र सदस्य

रिक्त
रिक्त
रिक्त

दि.31.03.2025 तक पोर्ट के प्रधान अधिकारी

अध्यक्ष	:	**श्री सुनील पालीवाल, भा.प्र.से.**
उपाध्यक्ष	:	**श्री एस. विश्वनाथन, भा.प्र.से.**

सतर्कता विभाग

मुख्य सतर्कता अधिकारी	:	**श्री एस. मुरलीकृष्णन, आई.डी.ए.एस.**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	:	श्री एस. सिवकुमार
सहायक सतर्कता अधिकारी	:	श्री एल. सिवशंकरन
सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल)	:	श्री एस. वेंकटेशन
सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक)	:	श्री के. रंगनाथन

सामान्य प्रशासन विभाग

सचिव	:	**श्री इंद्रनील हाज़रा**
वरिष्ठ उप सचिव	:	श्रीमती सी. तारा सुगिर्ता
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी	:	श्री बलविंदर सिंह
वरिष्ठ कल्याण अधिकारी	:	श्री ए. दुरैस्वामी
वरिष्ठ सहायक सचिव	:	श्रीमती ए. धीपिगा
वरिष्ठ सहायक सचिव	:	श्रीमती एस. अरुणा

सिविल अभियंता विभाग

मुख्य अभियन्ता	:	**श्री के. रविकुमार**
अधीक्षक अभियंता (सिविल) I	:	श्री एम. सलीम अहमद
अधीक्षक अभियंता (सिविल) II	:	श्री एमडी. साजिद अज़ीम

यांत्रिक और विद्युत अभियंता विभाग

मुख्य यांत्रिक अभियंता	**:**	**श्री वी. दूरैपांडियन**
उप मुख्य यांत्रिक अभियंता	:	श्रीमती वी. विजयलक्ष्मी
उप मुख्य यांत्रिक अभियंता	:	श्री देबानंद दासगुप्ता
उप. मुख्य यांत्रिक अभियंता	:	श्री एस. हरिबाबू
सामग्री प्रबंधक	:	श्री पउलवानन रामराज

यातायात विभाग

यातायात प्रबंधक	**:**	**श्री एस. कृपानंदस्वामी**
वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक	:	श्री बी. विमल
वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक	:	श्री जी. सेंतिल कुमरन
वरिष्ठ उप निदेशक (अनुसंधान)	:	श्री के. श्रीनिवासन
उप निदेशक (अनुसंधान)	:	श्री सी.यादव धीपन
सुरक्षा अधिकारी (सी एंड जी)	:	श्री सी. मुत्तुसामी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (सीएचडी)	:	श्री के. नटराजन

मराइन विभाग

उप संरक्षक	**:**	**कैप्टन मिल्टन असिर**
हार्बर मास्टर	:	कैप्टन जी. विनोद कुमार
ड्रेजिंग अधीक्षक	:	कैप्टन सैयद अहमदुल्लाह
डॉक मास्टर – I	:	कैप्टन आर.वी.राजेश नांबियार
डॉक मास्टर – II	:	कैप्टन उमा शंकर बहरा
डॉक मास्टर – III	:	कैप्टन सामी अब्दुल रहमान मोदक
मुख्य अभियंता मराइन (जहाज)	:	श्री एस.डी. सदीश कुमार
वरिष्ठ मराइन अभियंता	:	श्री पी. विजया आनंद

वित्त विभाग

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	:	**श्री मल्ला श्रीनिवास राव**
वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी (एमएस)	:	श्रीमती आर.एम.वैरा चेल्लम
उप मुख्य लेखा अधिकारी (राजस्व)	:	श्री सी. रमेश
उप मुख्य लेखा अधिकारी (बिल/पेंशन/पीएफ)	:	श्रीमती के.जी.देवी श्री
वरिष्ठ उप निदेशक (ईडीपी)	:	श्री अजय नाथ
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कर, कंटेनर और परियोजना)	:	श्री आर. शंकरनारायणन
उप निदेशक (ईडीपी)	:	श्री जे. विजय सेंतिल
उप निदेशक (ईडीपी)	:	श्री वी. राजा कुमार

चिकित्सा विभाग

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी)	:	**डॉ. ए. अनु सुजाता**
वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	:	डॉ. जी. तंगमति
वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	:	डॉ. उमा.एन

कैंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

कमांडेंट	::	**श्री के. कार्तिकेयन**
सहायक कमांडेंट/पोर्ट	:	श्री अरविंद कुमार रजक

निष्पादन सूचक

(रु.करोडों में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
प्रति जहाज प्री-बथिंग डीटेंशन औसत (घंटों में)			
ए. क्रूड तेल	1.10	0.43	0.09
बी. अन्य पी ओ एल प्रोडेक्टस	0.83	0.42	0.09
सी. खाद्य तेल	0.80	0.25	0.09
डी. अन्य लिक्विड कार्गो	0.77	0.37	0.07
ई. सूखा थोक	1.37	0.36	0.07
एफ़. ब्रेक कार्गो	0.86	0.38	0.07
कुल	**0.81**	**0.33**	**0.08**
औसत टर्न राउण्ड समय (दिनों में)			
ए. क्रूड तेल	1.79	2.29	1.93
बी. अन्य पी ओ एल उत्पाद	2.09	2.14	2.41
सी. खाद्य तेल	2.25	2.42	2.48
डी. अन्य लिक्विड कार्गो	1.87	1.74	1.74
ई. सूखा थोक	5.69	3.59	3.37
एफ़. ब्रेक कार्गो	2.15	2.00	2.06
कुल	**2.00**	**1.87**	**2.03**
औसत शिप बर्थडे आवुटपुट (टनों में)			
ए. क्रूड तेल	60455	50483	58522
बी. अन्य पी ओ एल उत्पाद	6631	8390	7312
सी. खाद्य तेल	4010	4484	4246
डी. अन्य लिक्विड कार्गो	3357	4172	3203
ई. सूखा थोक	6203	10661	8497
एफ़. ब्रेक कार्गो	2534	3392	3553
कुल	**15672**	**18728**	16872
कंटैनरों संहलाई के (टी ई यूस में) प्रति क्रेन घंटे की औसत प्रचलन	29	27	24

वित्तीय सूचक

(रु.करोडों में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
नियोजित पूँजी पर वापसी			
नियोजित पूँजी	546.05	374.52	313.86
(स्थायी जमा रहित)			
परिचालन अधिशेष	326.18	392.29	420.00
वापसी की दर (%)	59.73	104.74	133.82
नियोजित पूँजी			
(स्थायी जमा सहित)	608.45	652.60	644.50
परिचालन अधिशेष एवं निवेशों पर ब्याज	355.12	430.38	456.07
वापसी की दर (%)	58.36	65.95	70.76
कुल मूल्य	2317.14	2460.62	2569.00
लेखांकरण अनुपात			
पूँजी आरक्षण को ऋण			
ऋण	1466.56	1255.56	1125.00
आरक्षित पूँजी	1348.31	1432.80	1442.21
अनुपात	1.08:1	0.88:1	0.78:1
चालू अनुपात			
चालू परिसंपत्तियँ	790.88	758.43	1026.49
चालू देयताएँ	946.12	1119.62	943.18
अनुपात	0.84:1	0.68:1	1.09:1
कुल परिसंत्तियों में से चालू परिसंपत्तियाँ			
चालू परिसंपत्तियाँ	790.88	758.431	1026.49
कुल परिसंपत्तियाँ	1933.79	878.97	2145.38
अनुपात	0.41:1	0.40:1	0.48:1
परिचालन व्यय से परिचालन आय			
परिचालन व्यय	642.59	659.38	674.34
परिचालन आय	968.77	1051.67	1094.34
प्रचालन अनुपात %	66.33	62.70	61.62
औसत स्टॉक पर खपत किए गए स्टॉक की लागत			
खपत किए गए स्टॉक की लागत	22.14	21.16	24.41
औसत स्टॉक	10.79	9.97	10.54
प्रतिशत	205.19	212.24	231.59
कार्यचालन पूँजी व स्टोर्स इन्वेंटरी			
31 मार्च को स्टोर्स इन्वेंटरी	8.63	11.31	9.76
कार्यचालन पूँजी	-155.25	-361.19	83.31
प्रतिशत	-5.56	-3.13	11.72

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

भाग-I

अध्यक्ष का संदेश
तथा
विवरणात्मक टिप्पणी

2024-25

[illegible]

अध्यक्ष का संदेश

मुझे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में हासिल की गई उपलब्धियों पर विचार करते हुए बहुत गर्व हो रहा है यह वर्ष स्थिर विकास, रणनीतिक निवेश और भारत के समुद्री क्षेत्र को आगे बढाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता का वर्ष रहा है।

इस वर्ष, चेन्नै पोर्ट ने 54.96 एमएमटी कार्गो का संचालन किया जो एक दशक में हमारा सर्वोच्च स्तर है – और कंटेनर यातायात में 1.8 मिलियन टीईयू का एक बड़ा मील का पत्थर पार करते हुए, 14.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, चेन्नै और कामराजर पोर्टों ने पहली बार संयुक्त कार्गो थ्रुपुट में 100 एमएमटी का आंकड़ा पार किया, जो 103.37 एमएमटी तक पहुँच गया। कामराजर पोर्ट ने 48.41 एमएमटी के साथ अपनी अब तक की सर्वाधिक मात्रा भी दर्ज की। यह संयुक्त क्षमता सहयोगी पोर्ट पारिस्थितिकी प्रणालियों की जबरदस्त क्षमता को दर्शाती है। चेन्नै पोर्ट ने स्वयं कार्गो थ्रुपुट में 6.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जबकि महा पत्तनों की राष्ट्रीय औसत वृद्धि 4.3% थी।

हमारा कार्गो प्रोफाइल अपने परिचालन की विविधता और लचीलेपन को दर्शाता है:

- **63.84% कंटेनरीकृत कार्गो**
- **27.86% तरल थोक**
  (पीओएल, खाद्य तेल, आदि)
- **4.55% सूखा बल्क कार्गो**
  (पेल्लेट्स, बेराइट, उर्वरक आदि सहित)
- **3.75% ब्रेक बल्क कार्गो**
  (ग्रेनाइट, लोहा और इस्पात, रो-रो, आदि)

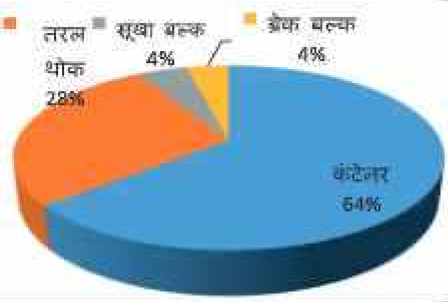

वित्तीय रूप से, हमने रिकॉर्ड परिणाम दिए हैं। चेन्नै पोर्ट ने ₹1,094 करोड़ की सर्वकालिक उच्चतम परिचालन आय और 61.62% का मज़बूत परिचालन अनुपात हासिल किया। ₹154.41 करोड़ का हमारा पूंजीगत व्यय भी पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक था। इसके अलावा, अपने कर्मचारियों के लिए लगभग ₹325 करोड़ के कुल वितीय प्रभाव के साथ एक व्यापक वेतन समझौता और पेंशन समेकन पैकेज लागू किया गया।

चेन्नै पोर्ट ने बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यातक पोर्ट के रूप में अपनी स्थिति को और मज़बूत किया, जहाँ वर्ष के दौरान 183,069 कारों का संचालन हुआ। हमारा परिचालन अधिशेष बढ़कर रु.420 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.06% की वृद्धि है जो हमारी वित्तीय स्थिरता का एक मज़बूत संकेतक है।

बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण पर हमारे ध्यान के अनुरूप, हमने हाल ही में 550 ट्रेलरों की क्षमता वाले चेन्नै पोर्ट पार्किंग प्लाज़ा (सीपीपीपी) का संचालन शुरू किया है, जिससे अब तक का सबसे अधिक एकल-दिवसीय संचालन 6,570 ट्रेलरों का हुआ है। हमारा जोलारपेट गुड्स शेड, जो 200 किलोमीटर अंदर स्थित है, एक समर्पित रेल साइडिंग के साथ कार्गो समेकन, स्टफिंग और डी-स्टफिंग का समर्थन करता है, जिससे हमारा इंटरमॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मज़बूत होता है। चेन्नै पोर्ट आज 7.68 लाख वर्ग मीटर खुले यार्ड, 40.09

हेक्टेयर पक्के भंडारण क्षेत्र और 60,602 वर्ग मीटर ढके हुए गोदामों के साथ व्यापक भंडारण बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है।

हम अपनी कार्गो-हैंडलिंग क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं:

- 10 हेक्टेयर नए पक्के भंडारण का विकास किया जा रहा है
- चार बड़े एक्जिम गोदाम (18,000 वर्ग मीटर)
- मप्पेडु में 180.69 एकड़ का मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
- नियोजित आउटर हार्बर परियोजना, जो पुनः प्राप्त भूमि पर 2 किमी बर्थ के माध्यम से प्रति वर्ष 5 मिलियन टीईयू क्षमता जोड़ेगी।

सबसे परिवर्तनकारी परियोजनाओं में से एक मदुरावॉयल से चेन्नै पोर्ट तक डबल-डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पूरा होने पर, यह चौबीसों घंटे निर्बाध पहुँच प्रदान करेगा, शहर के ट्रैफ़िक को बायपास करेगा और आंतरिक क्षेत्रों से निर्बाध माल ढुलाई सुनिश्चित करेगा।

हम अपने क्रूज टर्मिनल को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश बिंदुओं के साथ उन्नत कर रहे हैं, तथा यात्रियों की क्षमता को 2,000 से बढ़ाकर 3,000 कर रहे हैं।

डिजिटल-प्रथम पोर्ट बनने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, हम सागर सेतु और हमारे एंटरप्राइज़ बिज़नेस सिस्टम (ईबीएस) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से कागज़ रहित वर्कफ्लो, स्वचालित द्वार, एएनपीआर-आधारित प्रवेश प्रणालियाँ और रीयल-टाइम डेटा एकीकरण लागू कर रहे हैं। हम मंत्रालय की "एक राष्ट्र, एक बंदरगाह प्रक्रिया" पहल की दिशा में भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, और व्यापार को आसान बनाने के लिए दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रियाओं का मानकीकरण कर रहे हैं।

चेन्नै पोर्ट प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी लागत संरचनाओं में से एक की स्थिति को बनाए रखता है, जो प्रति टीईयू न्यूनतम कंटेनर हैंडलिंग लागत की पेशकश करता है, साथ ही प्रतिबद्ध व्यापार भागीदारों के लिए समझौता ज्ञापन-संचालित प्रोत्साहन योजनाएं भी प्रदान करता है।

व्यापार के अलावा, हम सामुदायिक विकास के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के तहत, हमने वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए रु.3.49 करोड़ आवंटित किए हैं। चेन्नै पोर्ट, चेन्नै पोर्ट एंड डॉक एजुकेशनल ट्रस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, तोंडियारपेट को कल्याणकारी उपाय प्रदान कर रहा है, जहाँ वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई है। विशेष बच्चों के लिए स्वाबोधिनी स्कूल और व्यावसायिक केंद्र को अपने सहयोग अत्यंत गर्व की बात है, क्योंकि यह संस्थान अब अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 76 छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है।

हम चेन्नै फिशिंग हार्बर की आधुनिकीकरण और उन्नयन भी कर रहे हैं, ताकि मछुआरा समुदाय के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

हमारे प्रयासों को मान्यता देते हुए, चेन्नै पोर्ट, जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित विश्व पोर्ट सम्मेलन में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट एवं पोर्ट संघ (आईएपीएच), सामुदायिक निर्माण श्रेणी में स्थिरता पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय पोर्ट बन गया।

अपनी सफलता के मूल में अपने लोग हैं – अपने समर्पित कार्यबल, हितधारक और व्यापार भागीदार - जिनके अटूट समर्थन से ये उपलब्धियाँ संभव हो पाई हैं। मैं चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में अपने प्रतिबद्धता, सहयोग और विश्वास के लिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

जैसे-जैसे हम आगे बढते हैं, मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अपनी एकाग्रता, दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के साथ, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ज़िम्मेदारी और कुशलता से, और देश के समुद्री क्षेत्र की सेवा में, विकास करने के लिए तत्पर है।

ह/-
अध्यक्ष

प्रशासनिक रिपोर्ट

व्यापार

1. व्यापार की मात्रा

इस वर्ष 54.96 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो की संहलाई किया गया, जिसमें 34.59 एमएमटी आयात और 20.37 एमएमटी निर्यात शामिल हैं। इस वर्ष संहलाई यातायात पिछले वर्ष की तुलना में 3.36 एमएमटी (6.5%) की वृद्धि दर्शाता है। कुल आयात में 1.25 एमएमटी और कुल निर्यात में 2.12 एमएमटी की वृद्धि हुई।

पिछले 5 वर्षों के दौरान संभाले गए यातायात की तुलना नीचे दी गई है: **(टनों में)**

वर्ष	आयात	निर्यात	यानांत्रण	कुल
2020-21	26,707,780	14,977,286	1,868,259	43,553,325
2021-22	28,697,196	17,321,480	2,545,786	48,564,462
2022-23	31,785,539	16,143,110	1,020,565	48,949,214
2023-24	32,882,802	17,815,433	899,669	51,597,904
2024-25	33,622,272	19,408,044	1,931,196	54,961,512

2. विदेशी और तटीय यातायात

पिछले पांच वर्षों के दौरान संभाला गया विदेशी और तटीय यातायात नीचे दिया गया है:

(टनों में)

	आयात			निर्यात		
वर्ष	विदेशी	तटीय	कुल	विदेशी	तटीय	कुल
2020-21	23,568,370	4,090,649	27,659,019	14,396,360	1,497,946	15,894,306
2021-22	24,912,058	5,058,090	29,970,148	16,482,539	2,111,775	18,594,314
2022-23	27,896,219	4,386,816	32,283,035	15,134,917	1,531,262	16,666,179
2023-24	29,148,292	4,193,097	33,341,389	16,887,888	1,368,627	18,256,515
2024-25	30,000,198	4,587,151	34,587,349	18,818,822	1,555,341	20,374,163

3. आयात

पिछले वर्ष के दौरान 33,341,389 टन की तुलना में आयात में 3.74% की वृद्धि हुई, जो इस वर्ष 34,587,349 टन आयात हुआ। आयात की प्रमुख वस्तुओं के टन भार में भिन्नताएँ इस प्रकार हैं:

(टनों में)

पदार्थ	2023-24	2024-25	विभिन्नताएँ
क्रूड तेल	11,393,412	10,300,465	(-) 1,092,947
अन्य पीओएल	1,065,400	1,214,076	(+) 148,676
खाद्य तेल	1,237,195	1,162,269	(-) 74,926
सल्फर	32,000	21,240	(-) 10,760
फॉस्फेट सहित रासायनिक खाद	257,510	201,000	(-) 56,510
डोलोमाइट	142,804	71,922	(-) 70,882
चूना पत्थर	8,000	10,000	(+) 2,000
जिप्सम	214,517	-	(-) 214,517

सिलिका रेत	89,651	82,788	(-)	6,863
लोहा और इस्पात	1,204,919	1,235,105	(+)	30,186
कंटेनर	16,375,548	18,672,306	(+)	2,296,758

4. निर्यात

पिछले वर्ष के 18,256,515 टन की तुलना मे निर्यात 11.60% की वृद्धि हुई जो 20,374,163 टन रही । निर्यात की प्रमुख वस्तुओं के टन भार में भिन्नताएँ इस प्रकार हैं:

(टनों में)

पदार्थ	2023-24	2024-25		भिन्नताएँ
खनिज तेल और अन्य पीओएल	2,284,801	2,424,172	(+)	139,371
बैराइट्स	868,794	626,080	(-)	242,714
कोबल स्टोन	204,730	171,700	(-)	33,030
लोहा और इस्पात	-	3,892	(+)	3,892
कंटेनर	14,302,574	16,415,422	(+)	2,112,848

5. बंकर

वर्ष के दौरान 69,718 टन फर्नेस ऑयल और डीजल ऑयल बंकरिंग की गई। पिछले पाँच वर्षों के दौरान बंकरिंग का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	(टनों में)
2020-21	46,497
2021-22	59,349
2022-23	81,137
2023-24	79,891
2024-25	69,718

6. यात्री यातायात

पिछले पांच वर्षों के दौरान यात्री यातायात का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	यात्रियों की संख्या		
	चढाये गए	उतारे गए	कुल
2020-21	224	369	593
2021-22	70	-	70
2022-23	48,506	43,618	92,124
2023-24	28,551	29,706	58,257
2024-25	23,129	24,457	47,586

7. कंटेनर यातायात

पिछले वर्ष 1,589,540 टीईयू की तुलना में वर्ष के दौरान 1,818,017 टीईयू का हस्तन किया गया था, जो 14.4% की वृद्धि दर्शाता है। चालू वर्ष के दौरान संचालित टीईयू की संख्या का विवरण इस प्रकार हैं:

आयात	913,829
निर्यात	796,838
यानांत्रण	100,062
शिफिटंग	7,288
कुल	**1,818,017**

वर्ष के दौरान 18,672,306 टन माल उतारा गया तथा 16,415,422 टन माल कंटेनरों में लोड किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 16,375,548 तथा 14,302,574 टन था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उतारे गए और लादे किए गए कंटेनरीकृत कार्गो की संख्या (टीईयू) और टन भार निम्न प्रकार से है:

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
उतारे गए कंटेनर					
खाली	67,140	86,468	77,963	57,377	48,658
भरे हुए	663,694	748,110	696,809	787,502	915,175
स्थानांतरण	3,049	4,160	3,510	3,595	3,644
कुल	**733,883**	**838,738**	**778,282**	**848,474**	**967,477**
कार्गो टनेज	**14,163,942**	**16,187,643**	**15,020,843**	**16,375,548**	**18,672,306**
लादे हुए कंटेनर (टीईयू)					
खाली	175,137	193,908	240,710	323,434	437,548
भरे हुए	474,857	565,513	447,803	414,041	409,348
स्थानांतरण	3,049	4,160	3,510	3,591	3,644
कुल	**653,043**	**763,581**	**692,023**	**741,066**	**850,540**
कार्गो टनेज	**12,603,730**	**14,737,113**	**13,356,044**	**14,302,574**	**16,415,422**
महा योग					
खाली कंटेनर	242,277	280,376	318,673	380,811	486,206
भरे हुए कंटेनर	1,138,551	1,313,623	1,144,612	1,201,543	1,324,523
स्थानांतरण	6,098	8,320	7,020	7,186	7,288
कुल	**1,386,926**	**1,602,319**	**1,470,305**	**1,589,540**	**1,818,017**
कुल कार्गो टनेज	**26,767,672**	**30,924,756**	**28,376,887**	**30,678,122**	**35,087,728**

8. रेलवे यातायात

वर्ष 2024-25 के दौरान पोर्ट रेलवे द्वारा संभाला गया यातायात 1,074,411 टन था। पिछले पाँच वर्षों में संभाले गए वैगनों, संभाले गए टन भार और दक्षिण रेलवे की ओर से वसूले गए माल भाड़े तथा कुल पोर्ट शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	वैगनों की संख्या (ईकाई के रूप में)	टन	भाडा (रु.लाखों में)	कुल पोर्ट प्रभार* (रु.लाखों में)
2020-21	236,924	5,133,438	13,815.36	2,121.99
2021-22	133,925	2,823,836	18,427.79	1,114.12
2022-23	90,476	1,504,851	808.90	202.73
2023-24	79,746	1,285,734	688.78	95.98
2024-25	66,883	1,074,411	484.34	75.27

(*) कुल पोर्ट प्रभार में कंटेनर हैंडलिंग शुल्क को छोड़कर ढुलाई और टर्मिनल हैंडलिंग शुल्क शामिल हैं।

संहाले गए टनेज का विवरण आवक/जावक की गतिविधियां	2023-24	2024-25
आवक	502,187	375,581
जावक	783,547	698,831
कुल	**1,285,734**	**1,074,412**

संहाले गए वैगनों का विवरण	2023-24		2024-25	
खाली/लादे हुए (संख्या में)	प्राप्त	भेजा गया	प्राप्त	भेजा गया
ब्रॉड गेज खाली	7,888	1,137	7,896	762
ब्रॉड गेज लोड	12,635	19,263	9,307	17,446

9. जहाज यातायात

वर्ष के दौरान पोर्ट से कुल 1,915 व्यापारी जहाज और 635 सरकारी जहाज रवाना हुए, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या क्रमशः 1,930 और 745 थी।

वर्ष के दौरान पोर्ट में प्रवेश करने वाले बड़े आकार के जहाजों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	जहाज़ का विवरण		डाइमेंशन	आगमन की तारीख
1.	सबसे बड़ा कंटेनर जहाज: **एमवी एपीएल बोस्टन**	एलओए डी.डब्ल्यू.टी	328.20 मी. 117207.86	10.05.2024
2.	सबसे बड़ा टैंकर: **माउंट एस्टीम एस्ट्रो**	डी.डब्ल्यू.टी	312,105.00	10.04.2024
3.	सबसे गहरे ड्राफ्ट वाला जहाज़: **माउंट देश शक्ति**	फॉर'डी एएफटी. डी.डब्ल्यू.टी	17.0 मी. 17.0 मी. 157,957.00	04.01.2025
4.	आगमन के सबसे लंबा जहाज़: **एमवी एस्टीम एस्ट्रो**	एलओए	339.50 मी.	10.04.2024

जी.आर.टी. के साथ वर्ष 2024-2025 के दौरान रवाना हुए जहाजों की संख्या नीचे दी गई है :

क्र.सं.	वर्गीकरण	जहाजों की संख्या	जी.आर.टी.
1	विदेशी	1,326	37,072,181
2	तटीय	589	6,367,688
3	सरकारी	635	804,212
	कुल	**2,550**	**44,244,081**

वर्ष 2024-25 के दौरान पोर्ट पर आने वाले पर्यटक जहाजों का विवरण :

क्र. सं.	जहाज का नाम	प्रकार	राष्ट्रीयता	आगमन की तिथि
1	एमएस द वर्ल्ड	पर्यटक	बहामास	24.04.2024
2	एमवी स्टैड एम्स्टर्डम	पर्यटक	नीदरलैंड	21.11.2024
3	एमवी हेब्रिडियन स्काई	पर्यटक	बहामास	17.02.2025
4	एमवी एम्प्रेस	पर्यटक / यात्री	बहामास	दि.12.07.2024 से 09.09.2024 तक 17 कॉल

10. रिकॉर्ड निष्पादन 2024-25 :

पैरामीटर / कार्गो	2024-25	पिछली रिकार्ड
सिंगल डे / स्टील	23,534 टन एमवी बुनुन यूथ 31.08.2024	दि.07.11.2023 को 20,100/एमवी नागुअल
सिंगल डे / पाम फैटी एसिड	4,500.01 टन माउंट थेरेसा सिंगापुर 01.01.2025	4,000.00 टन माउंट रेओ रैपिड 13.08.2022
सिंगल डे / भारी पिघलने वाला स्क्रैप	7,900 टन एमवी एनजीएस फेथ 15.01.2025	7,237 टन एमवी अटलांटिक बल्कर 24.08.2022
सिंगल डे / कच्चा पाम तेल	10,500 टन एमटी दाई थान 19.02.2025	9,250 टन एमटी सेहत 07.11.2023
महीने के / कंटेनर	1,80,686 टीईयू दिसंबर 2024 के महीने के दौरान	1,70,606 टीईयू अगस्त 2024 माह के दौरान
वित्तीय वर्ष / कंटेनर	1.82 मिलियन टीईयू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान	1.62 मिलियन टीईयू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक के दौरान संभाला गया यातायात

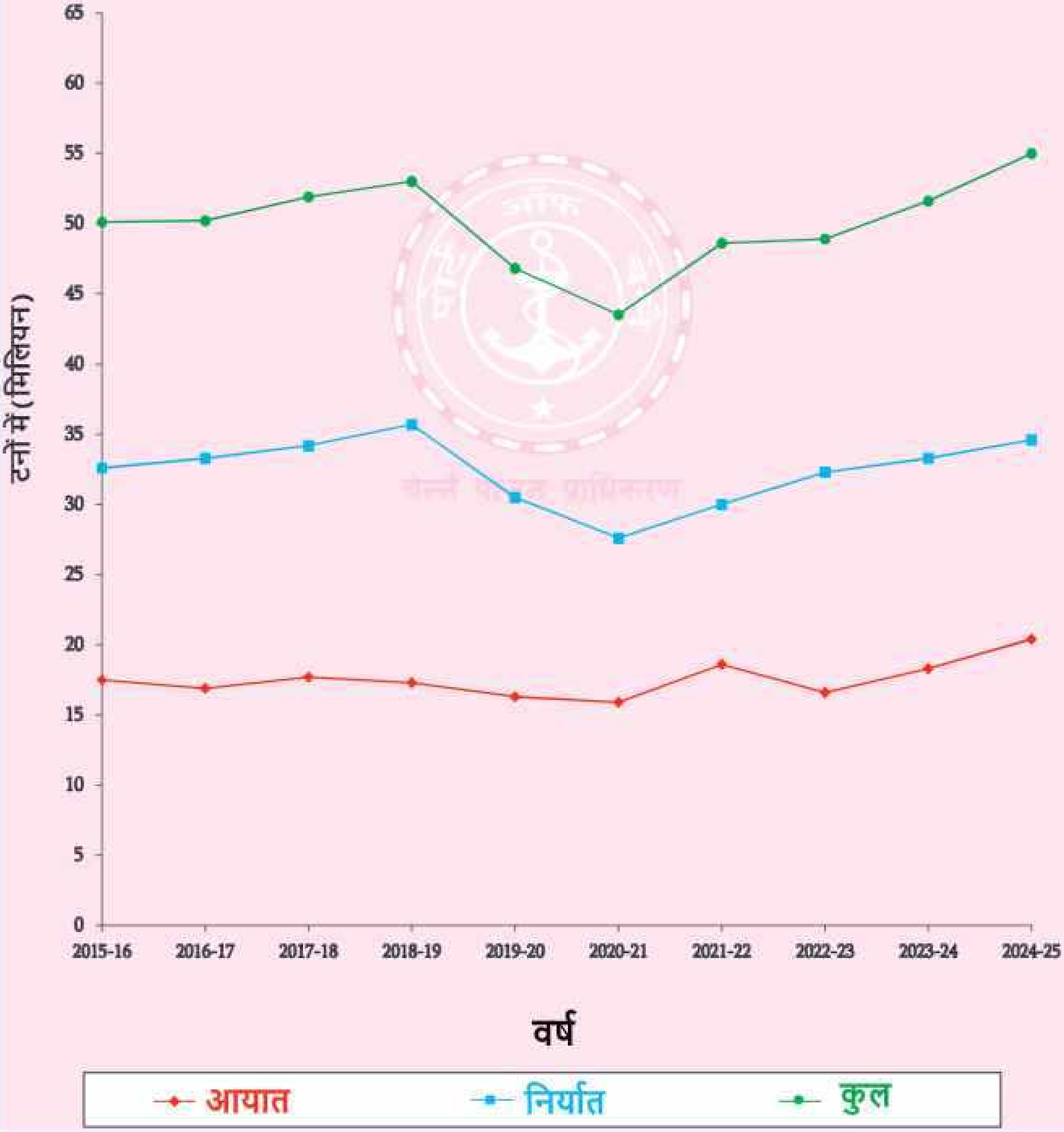

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के दौरान कुल यातायात

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के दौरान आयात और निर्यात

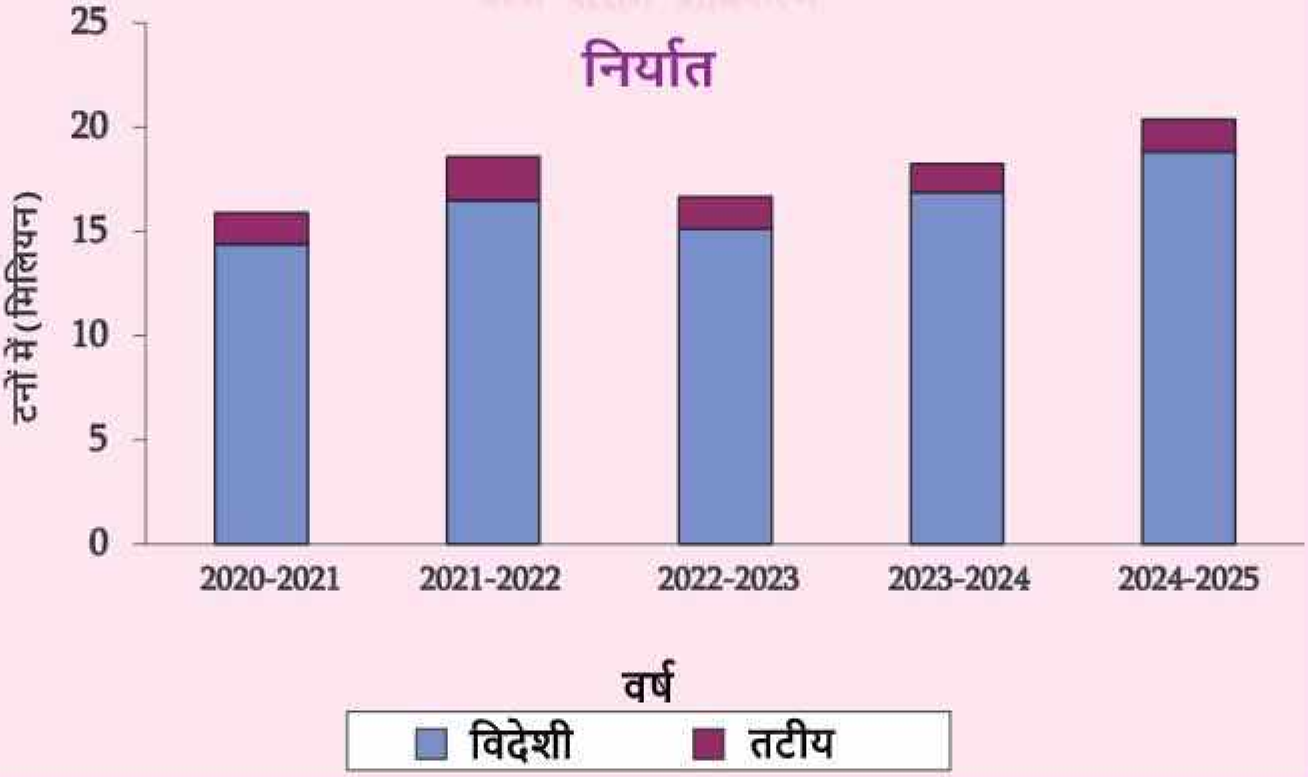

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

वर्ष 2024-25 के दौरान चेन्नै पोर्ट का कार्गो प्रोफाइल

आयात **(टनों में)**

ए. उर्वरक (फॉस्फेट सहित)	201,000
बी. रासायन (फॉस्फोरिक एसिड और सल्फर सहित)	133,233
सी.वनस्पति तेल	1,162,269
डी. खनिज तेल और अन्य पीओएल	11,514,541
ई. कंटेनराइस्ड कार्गो	18,672,306
एफ. अन्य	2,904,000
कुल आयात	**34,587,349**

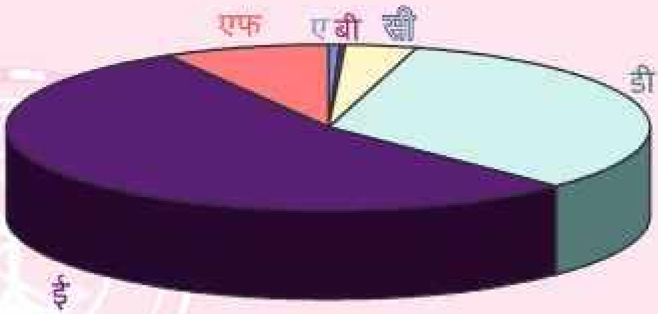

निर्यात **(टनों में)**

ए. बैराइट्स	626,080
बी. ग्रेनाइट पत्थर	180,513
सी. खनिज तेल और अन्य पीओएल	2,424,172
डी. कंटेनराइस्ड कार्गो	16,415,422
ई. अन्य	727,976
कुल निर्यात	**20,374,163**

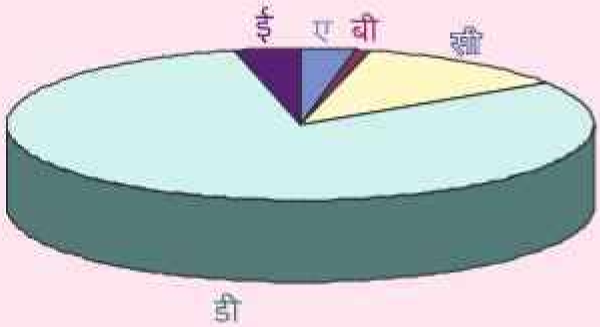

प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रचालन

1. प्लेवनशील क्राफ्ट

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान प्रत्येक क्राफ्ट के चालू दिनों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्राफ्ट		चालन दिनों की संख्या 2023-24	2024-25
टग	ओसीयन फेम (चार्टर पर)	360	361
	सी लायन एडमिरल (चार्टर पर)	360	363
	ओशियन ब्लिस (चार्टर पर)	359	363
पायलट लॉन्च	पूमारिचन(निजी)	353	348
	एबीएस रोहिनी (भाडा)/	364	351
	एसएचएम XI सीआईएसएफ पाट्रोल नाव (भाडा)	361	265
मूरिंग लॉन्च	मुल्लै	40	264
तेल पुनर्प्राप्ति जहाज ओआरवी मारुतम		363	365

2. कार्गो संहलाई उपस्कर

कार्गो संहलाई उपस्करों का कार्यचालन संतोषजनक रहा। कार्गो संहलाई उपस्करों की उपलब्धता और आपूर्ति का ब्योरा तालिका 12 और 13 में दी गई है।

3. विद्युत की आपूर्ति

वर्ष 2024-25 के लिए एलईडी प्रतिस्थापन की ऊर्जा बचत परिकलन।			
क्र. सं.	स्ट्रीट लाइट	प्रति वर्ष यूनिटों की बचत	प्रति वर्ष बचत की गई राशि रु.
1.	विभिन्न स्थानों पर 370 स्ट्रीट लाइटों के एलईडी प्रतिस्थापन की ऊर्जा बचत परिकलन	2,07,792	19,53,245/-
2.	विभिन्न स्थानों पर एलईडी लाइट फिटिंग के साथ 96 उच्च मास्ट टावरों की ऊर्जा बचत परिकलन	9,95,328	93,56,083/-
	कुल बचत	**12,03,120**	**1,13,09,328**

4. ड्रेजिंग

वर्ष 2024-25 के दौरान ड्रेजिंग कार्य नहीं लिया गया।

5. पोर्ट अनुरक्षण

गोदी और घाट, ब्रेकवाटर, सड़कें और रेलवे ट्रेक, यार्ड और भवनों का अनुरक्षण संतोषजनक रहा। अनुपयोगी सामग्री, कचड़ा, आदि को साफ करने और पोर्ट क्षेत्र को साफ़ रखने के लिए नियमित अभियान चलाया गया।

6. कार्गो संहलाई उत्पादकता

वर्ष 2024-25 के दौरान पोर्ट श्रमिकों द्वारा संहला गया माल 4,747,050 टन था। आयात 3,070,226 टन और निर्यात 1,676,824 टन रहा।

पिछले पांच वर्षो के दौरान पोर्ट श्रमिकों द्वारा संहलाई गए कार्गो का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	पोर्ट श्रमिको द्वारा सम्हाला गया टनेज	पोर्ट के जरिए कुल यातायात
2020-21	4,458,547	43,553,325
2021-22	4,051,310	48,564,461
2022-23	4,508,814	48,949,214
2023- 24	4,932,999	51,597,904
2024-25	4,747,050	54,961,512

प्रति हुक घंटे औसत उत्पादन 115.39 टन रहा। पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्पादकता (तरल और कंटेनराइजड कार्गो रहित) निम्न प्राकर से है:

वर्ष	प्रति क्रियाशील घंटे में उत्पादकता (टनों में)
2020-21	108.84
2021-22	72.52
2022-23	78.15
2023-24	145.65
2024-25	115.39

पिछले तीन वर्षों के दौरान तटीय श्रमिकों की संख्या और उनको भुगतान की गई मज़दूरी के विवरण नीचे दर्शाया गया है:

		2022-23	2023-24	2024-25
संख्या		153	317	276
डाटम उपार्जन *	रु.	73,68,196	1,29,44,161	1,76,87,507
समय-दर मज़दूरी और भत्ते	रु.	26,64,30,452	40,07,64,263	43,79,08,523
अनुग्रहपूर्व/उत्पादकता से जुडा बोनस	रु.	35,67,827	43,15,337	41,27,254

(* डेटाम उपार्जन केवल आयात और निर्यात के प्रोत्साहन भुगतान को दर्शाती है)

7. रेलवे दुर्घटनाएँ

वर्ष 2024-25 के अंत तक पिछले पाँच वर्षो के दौरान रेल दुर्घटना का विवरण निम्न प्राकर से है :

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	नष्ट हुए समय (घंटों में)	के द्वारा दायित्व स्वीकृत				
			यातायात विभाग	अभियन्ता विभाग	दक्षिण रेलवे	बाहरी पक्ष	यातायात विभाग
2020-21	7	89	1	5	1	-	-
2021-22	6	48	-	2	3	1	-
2022-23	1	7.50	-	1	-	-	-
2023-24	-	-	-	-	-	-	-
2024-25	2	29	1	-	1	-	-

8. डॉक सुरक्षा

इस पोर्ट में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के डीजीएफएएसएलआई के अंतर्गत डॉक सुरक्षा इन्स्पेक्टरेट कार्यरत है। यह इन्स्पेक्टरेट पोर्ट की सीमाओं के तहत डॉक श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण एवं आयात नियम,1989 विनियम के प्रवर्तन कार्यों का निष्पादन करता है।

इन्स्पेक्टरेट का मुख्य कार्यकलाप में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. जहाजों, डॉक और कार्गो संहलाई उपस्करों का निरीक्षण।
2. दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच।
3. डॉक कार्य के सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर अध्ययन आयोजित करना।

दुर्घटनाओं के आँकड़े :

पिछले पांच वर्षों के दौरान चेन्नै पोर्ट में हुई दुर्घटनाओं के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	जहाज पर			तट पर			महायोग
	घातक	गैर घातक	कुल	घातक	गैर घातक	कुल	
2020-21	0	0	0	1	0	1	1
2021-22	1	0	1	0	3	3	4
2022-23	0	0	0	2	0	2	2
2023-24	0	0	0	3	0	3	3
2024-25	1	0	1	0	0	0	1

जहाज़ पर कुल 1 रिपोर्ट योग्य घातक दुर्घटना हुई, जबकि तट पर कोई घातक या गैर-घातक दुर्घटना दर्ज नहीं की गई। सभी रिपोर्ट किए गए मामलों की वर्तमान में इस इन्स्पेक्टरेट द्वारा जाँच की जा रही है।

सुरक्षा से संबंधित सीएचआरडी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण और प्रतिभागियों की संख्या :

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों का स्तर	प्रतिभागियों की संख्या
1	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा	पर्यवेक्षक / प्रबंधक	202
2	विद्युत सुरक्षा	तकनीशियनों	40

वर्ष 2024-25 के दौरान, 3 डॉक सुरक्षा समिति बैठकें और 1 सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया गया।

दि. 24 अक्टूबर, 2024 को चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में डॉक सुरक्षा और खतरनाक रसायनों के प्रबंधन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका आयोजन डीजीएफएएसएलआई द्वारा चेन्नै पत्तन प्राधिकरण और आईआईटी चेन्नै के सहयोग से किया गया था। इस सम्मेलन में डॉक प्रचालन में सुरक्षा चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के विशेषज्ञ एकत्रित हुए। मुख्य बिंदुओं में अंतर-एजेंसी सहयोग की आवश्यकता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों का अनुपालन, खतरों की निगरानी के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग और श्रमिकों के लिए योग्यता-आधारित प्रशिक्षण का महत्व शामिल था। इस कार्यक्रम में जैव-खतरे प्रबंधन, आपातकालीन तैयारियों और डॉक प्रचालन में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण पर जोर दिया गया।

9. औद्योगिक संबंध

वर्ष 2024-2025 के दौरान पोर्ट में औद्योगिक संबंध आम तौर पर सौहार्दपूर्ण रहे।

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में 20 पंजीकृत ट्रेड यूनियनें कार्यरत हैं। मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, पहले सात यूनियनों को उनकी सदस्यता संख्या के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

व्यापार संघों द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवादों पर उप-सीएलसी(सी)/एएलसी(सी), चेन्नै के समक्ष समझोते बैठकें आयोजित की गई और औद्योगिक विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। प्रबंधन ने हड़ताल नोटिस जारी करने वाले कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों पर चर्चा करने के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ भी बैठकें कीं और मुद्दों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान, शास्त्री भवन स्थित सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में आईआर अधिकारियों ने 69 सुलह बैठकों में भाग लिया। 69 मामलों में से, 22 मामले बंद कर दिए गए और 12 मामले सीजीआईटी न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए।

10. सुरक्षा

वर्ष 1972 में अपनी स्थापना के समय से ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा चेन्नै पत्तन प्राधिकरण और उसकी संपत्ति की सुरक्षा की जा रही है। पोर्ट का विस्तार और उसकी गतिविधियों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कर्मियों, सामग्रियों और वाहनों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। देश में आतंकवादी और तोड़फोड़ की गतिविधियों बढ़ने से सुरक्षा का दायरा बदल गया है जिससे के.औ.सु.ब. पर ज्यादा उत्तरदायितव और ज़िम्मेदारी बढ गई है। के.औ.सु.ब. की प्रमुख प्राथमिकता पोर्ट के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की उचित सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना तथा पोर्ट में प्राधिकृत कर्मियों, सामग्रियों और वाहनों का सुरक्षित प्रवेश और निकास सुनिश्चित करना है, जिससे पोर्ट के निष्पादन में अधिकतम वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण आईएसपीएस (अंतर्राष्ट्रीय जहाज एवं पोर्ट सुविधा सुरक्षा) कोड में निर्धारित रक्षा मानकों का अनुपालन करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, के.औ.सु.ब. ने चेन्नै पत्तन प्राधिकरण को उत्कृष्ट सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया, जिसमें वी.आई.पी., विदेशी प्रतिनिधि समितियों, डिप्लोमेटस, नौसेना और भारतीय तट रक्षक बल की आवाजाही शामिल है। चेन्नै पत्तन पर के.औ.सु.ब. एचएचएमडी, ट्रॉली मिरर, अल्कोहल परीक्षण उपकरण, नाइट विजन दूरबीन, रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपकरण आदि से सुसज्जित है।

के.औ.सु.ब. ने पोर्ट अधिकारियों, पुलिस और अन्य राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा/खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर विभिन्न अवधियों में आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास "ओपीएस सागर कवच", "ओपीएस सजग" और "ओपीएस प्रहरी" में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, के.औ.सु.ब. विभिन्न परिदृश्यों पर पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर मॉक ड्रिल आयोजित करता है।

11. पोर्ट अग्निशमन सेवाएँ

वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बड़ी आग नहीं लगी।

प्रशासनिक रिपोर्ट
वित्त

वित्तीय स्थिति :-

1. आय

वर्ष 2024-25 के दौरान पोर्ट के कुल प्रचलनात्मक आय रु.1094.34 करोड़ की तुलना में पिछले वर्ष के दौरान रु. 1051.67 करोड़ था। प्रचालन आय में हुई वृद्धि का मुख्य कारण यह रहा कि यातयात गणता में हुई वृद्धि, डालर दर में हुई वृद्धि आदि ।

वर्ष 2024-25 के दौरान वित्त और विविध आय रु..457.93 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष के दौरान रु. 317.41 रहा । इस वृद्धि का कारण यह रहा कि वि.व 2023-24 के दौरान केपीएल से प्राप्त रु.240 करोड के विरुद्ध इस साल प्राप्त रु.390 करोड के डिविडेंड आय के कारण हुआ ।

2. व्यय

पिछले वर्ष में प्रचलनात्मक व्यय रु. 659.38 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान रु.674.34 करोड़ है। प्रचालन व्यय में हुई वृद्धि का मुख्य कारण यह रहा कि मदुरवायिल एलिवेटड सडक कारिडर परियोजना (10 साल से ज्यादा रु.92.18 करोड परिशोधित होने के कारण) हेतु एनएचएआई को अंशदान के परिशोधन, कानूनी व्यय में वृद्धि, संपत्ति कर तथा अधीकृत पूँजी परिसंपत्ति ब्लाक के कारण मूल्यह्रास आदि। फिर भी कार्गो संहलाई में हुई वृद्धि के कारण प्रचालन अधिशेष रु.27.71 करोड तक अधिक हुआ।

वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त और विविध व्यय के लिए रु. 508.23 करोड की तुलना में वि.व 2024-25 में रु.713.60 करोड़ रहा । इसका यह मुख्य कारण रहा कि दि.01.01.2022 से वेतन पुनरीक्षण/पेंशन समेकन के कारण कर्मचारी व पेंशनरों को पेशगी की अदायगी के कारण हुआ ।

3. कार्य परिणाम

वर्ष 2023-2024 में रु. 392.29 करोड की तुलना में वर्ष 2024-2025 में प्रचालन अधिशेष रु.420.00 करोड रहा । पिछले वर्ष के दौरान, कर के पहले निबल लाभ रु. 201.47 करोड की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान कर के पहले निबल लाभ रु.164.33 करोड है । वर्ष 2024-25 के दौरान रु.79.76 करोड का कर प्रावधान हुआ वि.व 2024-25 के दौरान विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि रु.84.57 करोड़ में से प्राधिकरण ने सामान्य बीमा निधि में रु.1 करोड और दो संवैधनिक आरक्षित निधियों अर्थात पूँजी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण और विकास, ऋणों के पुनर्भुगतान और आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित निधियों में से प्रत्येक में रु.9.42 करोड का अंशदान दिया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्ध शेष अधिशेष रु.64.74 करोड है।

4. लागत अनुपात

चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान संबंधित क्रियाकलापों के अंतर्गत अर्जित प्रत्यक्ष लागत (मूल्यह्रास और शिरोपरि रहित) और कुल लागत (मूल्यह्रास और शिरोपरि सहित) का प्रतिशत नीचे दर्शायी गयी है:

उपार्जन लागत का प्रतिशत

क्रियाकलापों	2023-24		2024-25	
	प्रत्यक्ष लागत	कुल लागत	प्रत्यक्ष लागत	कुल लागत
कार्गो संहलाई और भंडारण	41	105	38	82
पोर्ट और डॉक सुविधाएं	25	47	24	80
रेलवे	792	2148	982	2080
किराये योग्य भूमि और भवन	19	127	18	54

5. पूंजीगत व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय रु.154.41 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह रु.78.12 करोड़ था।

6. केपीएल के अधिग्रहण के लिए एसबीआई से ऋण:

पोर्ट ने मेसर्स कामराज पोर्ट लिमिटेड में इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए एसबीआई से रु.1775 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण लिया था। दि.31.03.2025 तक बकाया आवधिक ऋण शेष राशि रु.978.22 करोड़ रहा।

प्रशासनिक रिपोर्ट
मानव संसाधन प्रबंधन

1. जाति सांख्यिकी

पोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है ।

दि. 31.03.2025 तक वर्गवार और जातिवार नियुक्ति की स्थिति निम्नानुसार है:

	कर्मचारियों की संख्या				
वर्ग	**कुल**	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.व.**	**स.वि.**
वर्ग I	99	18	12	27	1
वर्ग II	85	24	8	9	1
वर्ग III	1392	331	38	440	30
वर्ग IV	907	251	15	184	17
कुल	**2483**	**624**	**73**	**660**	**49**

वर्ष 2024-25 के दौरान अनुकंपा नियुक्ति के लिए पंजीकृत आश्रितों की संख्या 10 है ।

प्रोन्नति :

वर्ष 2024-25 के दौरान की गई पदोन्नतियां नीचे दर्शाया गया हैं :

वर्ग	कुल अधिसूचित	कुल भरे हुए	अ.जा.	ज.जा.
वर्ग I	25	22	6	1
वर्ग II	19	20	3	1
वर्ग III	143	102	31	5
वर्ग IV (सफाई कर्मचारियों रहित)	77	23	3	-
कुल	**264**	**167**	**43**	**7**

सीधी भर्ती :

वर्ग	कुल अधिसूचित	कुल भरे हुए	अ.जा.	अ.ज.जा.
वर्ग I	22	1	-	-
वर्ग II	-	-	-	-
वर्ग III	16	15	4	-
वर्ग IV (सफाई कर्मचारियों रहित)	-	-	-	-
कुल	**38**	**16**	**4**	**-**

2. पोर्ट सतर्कता

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण का सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता है और प्रभावी भ्रष्टाचार-विरोधी और निवारक उपायों के माध्यम से शासन की उत्तरदायी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा विभाग का नेतृत्व किया जाता है, जो सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं । केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सतर्कता प्रशासन द्वारा कार्य किया जाता है और सीवीसी, सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (सतर्कता विंग) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ समन्वय किया जाता है।

यह विभाग, संगठन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भ्रष्टाचार एवं कदाचार के विरुद्ध एक निगरानीकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। विभागों के कार्यों में भ्रष्टाचार और कदाचार सहित निपटाने हेतु व्यापक निवारक, निगरानी और दंडात्मक उपाय शामिल हैं। इन कार्यों में शिकायतों की जांच करना, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच करना, अधिकारियों की निगरानी करना और भ्रष्ट प्रथाओं पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शामिल है।

विभाग का व्यापक उद्देश्य यह है कि किसी घटना होने के बाद उसका समाधान करने के बदले में कदाचार को रोकना है । सतर्कता विभाग के कार्यों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: (i) निवारक और सक्रिय सतर्कता; (ii) दंडात्मक सतर्कता; और (iii) निगरानी और पता लगाना।

निवारक सतर्कता में उन संवेदनशील प्रभागों में आकस्मिक निरीक्षण करना शामिल है जहाँ सार्वजनिक व्यवहार शामिल है, खरीदारी और ठेके से संबंधित फाइलों की जाँच, अधिकारियों/कर्मचारियों के संपत्ति विवरण की समीक्षा आदि। जहाँ भी आवश्यक हो, व्यवस्था में सुधार करने हेतु संबंधित विभागों को सुझाव दिया जाता है ताकि निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के साथ कडी रूप से पालन किया जा सके।

दंडात्मक सतर्कता में सत्यापन योग्य आरोपों की जांच करना, सीवीसी की इच्छानुसार जांच रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना, आवश्यकता पड़ने पर सीवीसी से सलाह लेना और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना आदि शामिल है।

निगरानी और जांच के संदर्भ में, प्रणालीगत विफलताओं और संभावित भ्रष्टाचार या कदाचार का पता लगाने के लिए, सतर्कता विभाग द्वारा नियमित और औपचारिक निरीक्षण किया जाता है, तथा संदेहित अधिकारियों पर भी निगरानी रखा जाता है।

इन व्यापक रणनीतियों को अपनाकर, सतर्कता विभाग न केवल मौजूदा मुद्दों का समाधान करता है, बल्कि निर्णय लेने में न केवल नियमों और विनियमों का पालन करने के महत्व के बारे में बल्कि काम करने के नैतिक तरीके के महत्व के बारे में पोर्ट के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करके एक पारदर्शी और जवाबदेह कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए भी परिश्रमपूर्वक काम करता है।

सतर्कता गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- मौजूदा संगठन प्रक्रिया की जांच करें और भ्रष्टाचार या कदाचार हेतु अवसर प्रदान करने वाले कारकों को दूर करें या कम करें तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएं।
- शिकायतों की जांच और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- अधिकारियों की "सहमत सूची" और संदेहित अधिकारियों की सूची तैयार करना ।

- संवेदनशील पदों की पहचान करना तथा संवेदनशील पदों पर अधिकारियों के रोटेशन की निगरानी करना।
- सतर्कता मंजूरी प्रदान करना।
- सीटीई प्रकार के निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करना।
- सीवीसी, सीबीआई और प्रशासनिक मंत्रालय के साथ सतर्कता मामलों पर निकट संपर्क/बातचीत बनाए रखें।
- सीवीसी और एमओपीएसडब्ल्यू को मासिक/त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है।

की गई गतिविधियों की स्थिति

1.	प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	29
2.	सतर्कता संबंधी शिकायतों की संख्या	:	09
3.	गैर-सतर्कता शिकायतों की संख्या	:	11
4.	ली गई कार्रवाई की संख्या	:	17
5.	गुमनाम / उपनाम शिकायतों की संख्या जिनपर कार्रवाई नहीं की गई	:	04
6.	जांच के तहत	:	शून्य
7.	सतर्कता क्लीयरेंस मंजूरी की संख्या		
	वर्ग I और II	:	213
	वर्ग III और IV	:	1887
8.	चल/अचल संपत्ति से संबंधित फाइलों की जांच	:	47

कार्यक्रम – सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वी ए डाबल्यू) 2024 पर कार्यक्रम

कैंद्रीय सतर्कता आयोग की परिकल्पना के अनुसार, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने, "राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति" के विषय पर दि. 28 अक्टूबर से दि.3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया। अभियान के एक हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय बैंक के साथ संयुक्त रूप से एक कर्टन रेजर कार्यक्रम, अधिकारियों के लिए कार्यशाला और रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र शामिल थे। छात्रों/अधिकारियों के लिए निबंध लेखन, स्लोगन लेखन जैसी प्रतियोगिताएं और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर अधिकारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु तथा जागरूकता फैलाने के लिए पोर्ट के स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों द्वारा एक आउटरीच गतिविधि वॉकथॉन का आयोजन किया गया। अधिकारियों और छात्रों को एक अखंडता शपथ दिलाई गई । परिवार के सदस्यों को भी ई-ईमानदारी प्रतिज्ञा लेने की सलाह दी गई। समापन समारोह में चै.प.प्रा के अध्यक्ष और तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव सहित गणमान्य व्यक्तियों के संबोधन शामिल थे। गणमान्य व्यक्तियों ने शासन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य जागरूकता और नैतिक आचरण के मूल्यों को बढ़ावा देना था।

3. चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

दि.12.10.2005 से चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को लागू किया । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 'आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल' के माध्यम से चे.प.प्रा. के संबंध में ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध है। https://rtionline.gov.in/ देश भर के नागरिकों को आरटीआई आवेदन या अपील प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए, आवेदकों को दि.14.03.2017 से उपलब्ध करा दिया है। चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा अब ऑनलाइन और भौतिक रूप में आरटीआई आवेदन/अपील स्वीकार की जा रही है।

प्रशासनिक कार्यालय भवन के "इन-गेट" पर एक अलग आरटीआई काउंटर खोला गया है और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदन/प्रथम अपील प्राप्त करने तथा आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जनता की सहायता के लिए एक कर्मचारी को विशेष रूप से तैनात किया गया है। यह हेल्प डेस्क कार्यालय समय अर्थात सुबह 09:45 बजे से शाम 17.45 बजे तक कार्यरत है।

एपीआईओ/सीपीआईओ/एफएए की नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों/अपीलों से निपटने के लिए प्रत्येक विभाग से एक अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी, उप विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी और सभी विभागाध्यक्षों को संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया है।

पोर्ट कर्मचारियों, पोर्ट उपयोगकर्ता और सामान्य जनता के बीच जागरूकता लोने हेतु और सूचना मांगनेवाले के मार्गदर्शन हेतु पोर्ट के मुख्य स्थानों पर सहायक जन सूचना अधिकारी/ जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के नाम को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है ।

स्वप्रेरणा प्रकटीकरण

सू.का.अ. अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार, महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत बनाए गए चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के सभी विनियमों और अन्य सूचना को, पोर्ट के वेबसाइट www.chennaiport.gov.in में प्रकाशित किया गया है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया है कि वह सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के वेब पोर्टल के स्वत : प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के लेखापरीक्षा का संचालन करें।

त्रैमासिक रिपोर्ट

आरटीआई अधिनियम के तहत चेन्नै पत्तन प्राधिकरण की तिमाही विवरणी समय-समय पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट और पोर्ट वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है।

सू.का अ. अधिनियम के तहत शुल्क का भुगतान

सू.का.अ. अधिनियम के तहत सूचना मांगते हुए आवेदन पत्र/पहले अपील को सीधे/डाक द्वारा आदि किसी भी रूप में निर्धारित शुल्क रु.10/- द्वारा नकद/मनीऑडर/पोस्टल आर्डर तथा डिमांड ड्राफ्ट स्वीकृत किया जाता है।

प्रशिक्षण

आरटीआई आवेदनों/अपीलों को संभलने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए मानव संसाधन विकास केंद्र (मा.सं.वि.कें) के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

दि.01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन/प्रथम अपील

वर्ष 2024-25 (दि.01.04.2024 से 31.03.2025 तक) के दौरान, 222 आरटीआई आवेदन और 31 प्रथम अपील प्राप्त हुईं और उनका निपटारा किया गया। इसके अलावा, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारियों ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और वर्ष के दौरान 11 द्वितीय अपीलों का निपटारा किया।

चेन्नै पोर्ट में सीपीजीआरएएमएस का कार्यान्वयन

जून 2007 में, भारत सरकार ने नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) नामक एक नया सॉफ्टवेयर शुरू किया और इसे भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी मंत्रालयों/विभागों में क्रियाशील कर दिया गया। तदनुसार, उक्त प्रणाली चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में भी लागू की गई।

दि.01.04.2024 से दि.31.03.2025 की अवधि के दौरान, पीजी पोर्टल पर 39 शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका निपटारा किया गया।

4. कर्मचारियों की संख्या और व्यय

दि.31 मार्च को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों (तटीय श्रमिकों को छोड़कर) की संख्या तथा उन पर किए गए व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :

		31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025
अधिकारियों की संख्या		192	195	188
कर्मचारियों की संख्या				
तटीय कर्मचारी रहित (वर्ग III & IV)		2816	2335	2,023
अधिकारियों के वेतन व मज़दूरी	रु.	39,20,44,776	42,52,54,444	43,88,11,527
अन्य कर्मचारियों के वेतन व मज़दूरी	रु.	3,35,54,68,768	3,02,21,43,301	3,88,98,97,692
अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुग्रहपूर अदायगी/उत्पादकता लिंक्ड बोनस	रु.	4,28,78,732	3,41,17,714	2,85,81,971

वर्ष 2024-25 के दौरान पेंशन और उपदान के लिए रु.392.40 करोड़ भुगतान किया गया जबकि पिछले वर्ष यह रु.349.97 करोड़ था।

5. स्टाफ प्रशिक्षण

वर्ष 2024-2025 के लिए सीएचआरडी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रशिक्षण की संख्या	कार्मिकों की संख्या
1	कर्मचारियों और हितधारकों के लिए इन-हाउस	20	842
2	बाहरी	11	89
3	आईसीटी प्रशिक्षण	12	424
4	इंटर्नशिप/प्रोजेक्ट प्रशिक्षण	--	560

6. श्रम कल्याण

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ प्रदान किया जाता है। चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित प्रमुख और महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएँ नीचे दी गई हैं:

(1) क्वार्टस:

चेन्नै पोर्ट ने, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को क्वार्टस उपलब्ध कराया हैं जैसे तोंडयारपेट में तोंडयारपेट हाउसिंग कॉलोनी, क्लाइव बैटरी में रामानुजम क्वार्टस, रॉयपुरम में ट्रस्ट विल्ला, स्प्रिंग हेवन रोड में नेपियर ब्रिज आदि । यहाँ विभिन्न प्रकार के 875 क्वार्टस (I से V प्रकार) हैं।

(2) कैंटीन:

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा तीन कैंटीन चलाया जा रहा है, एक प्रशासनिक कार्यालय भवन में और दो पोर्ट के परिसर के अंदर है। ये कैंटीन, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वच्छ और स्वास्थ्य भोजन / चाय/नाश्ता का, रियायती दरों पर उपलब्ध करा रही हैं।

(3) वित्तीय सहायता:

i) चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी एक त्यौहार को मनाने के लिए रु.50,000/- का ब्याज मुक्त त्यौहार अग्रिम दी जा रही है। यह राशि बिना ब्याज के 10 मासिक किश्तों में वसूली जा सकती है।

ii) चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ राहत, प्राकृतिक आपदा आदि के लिए पोर्ट के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को रु.50,000/- राशि का ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान किया जा रहा है

(iii) सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अधिकारी / कर्मचारी के परिवार को अंतिम संस्कार व्यय के लिए रु.6,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) परिवार सुरक्षा योजना बनाया गया है और कर्मचारी के वेतन से हर महीने रु.16/- की राशि काटी जा रही है, जब कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो मृतक कर्मचारी के परिवार को रु.20,000/- की अनुग्रह राशि दी जाती है।

(4) बच्चों की शिक्षा भत्ता:

वि.स एवं मु.ले.अ के आदेश संख्या सीडीएन/सीईए/2024, दिनांक 24.04.2025 के अनुसार, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के III और IV की श्रेणी में प्रत्येक कर्मचारी के अधिकतम दो बच्चों को एलकेजी से

उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष तक अध्ययन करने के लिए प्रति बच्चे को रु.27,000/- प्रति वर्ष का बाल शिक्षा भत्ता दी जा रही है।

(5) अतिरिक्त लाभ:

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए रेन कोट, औद्योगिक जूते, बेल्ट और बैज, वर्दी, साबुन, सुरक्षा हेलमेट, चमड़े के जूते और मोजे, चेप्पल जैसे फ्रिंज लाभ का प्रदान किया जा रहा है।

(6) पारिवारिक विवाद: परामर्श / पूछताछ:

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों के बीच पारिवारिक विवादों को समय-समय पर सुलझाया गया है।

(7) चेन्नै पोर्ट एवं डॉक एजुकेशनल ट्रस्ट हायर सेकंड्री स्कूल:

चेन्नै पत्तन के कर्मचारियों के बच्चों को और तोंडयारपेट हाउसिंग कॉलोनी के आसपास रहने वाले गरीब लोगों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा चेन्नै पोर्ट के तोंडयारपेट हाउसिंग कॉलोनी में चेन्नै पोर्ट एंड डॉक एजुकेशनल ट्रस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल चलाया जा रहा है। चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 से सभी छात्रों को कुछ कल्याणकारी सुविधाएँ भी प्रदान किया जा रहा है, जैसे 3 सेट यूनिफ़ॉर्म, 1 जोड़ी जूता, 2 सेट मोज़े, स्कूल बैग, पाठ्यपुस्तकें और नोटबुक, एटलस मैप, 1 सेट रंगीन पेंसिल, सैनिटरी आइटम आदि । इसके अलावा, स्कूल की फीस भी मौजूदा ढांचे के एक तिहाई तक कम हो गई है और दूसरों की तुलना में यह बहुत कम है।

(8) कल्याण समिति:

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण कल्याण समिति द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो वर्ष 1991 से कॉलोनी के निवासियों के बीच सहयोग, स्वच्छता, शांति, और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए तोंडयारपेट हाउसिंग कॉलोनी, बाबू जगजीवन राम स्टेडियम, ट्रस्ट विल्ला, रामानुजम क्वार्टर्स, स्प्रिंग हेवन रोड और नेपियर ब्रिज अधिकारी क्वार्टर्स के कुशल और व्यवस्थित रखरखाव की देखभाल के लिए काम किया जा रहा है।

(9) अधिकारी क्लब:

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के लाभ के लिए एक अधिकारी क्लब/मनोरंजन केंद्र का गठन करके कार्य किया जा रहा है।

(10) खेल गतिविधियाँ:

तोंडयारपेट हाउसिंग कॉलोनी में बाबू जगजीवन राम खेल परिसर (इनडोर/आउटडोर) में एक स्टेडियम का निर्माण और उन्नयन किया गया है, जिसमें एक लंबा मंडप और हज़ार दर्शकों की क्षमता है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अत्याधुनिक जिम की सुविधा उपलब्ध है, एक तोंडयारपेट हाउसिंग कॉलोनी में बीजेआर खेल परिसर में है और दूसरा नेपियर ब्रिज अधिकारी क्वार्टर्स में है जहाँ शारीरिक व्यायाम और योगासन का अभ्यास किया जाता है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। नेपियर ब्रिज अधिकारी क्वार्टस

में अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याण के लिए नियमित रूप से योग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित करने के लिए अन्य शैक्षणिक संस्थानों को कम शुल्क पर बाबू जगजीवन राम खेल परिसर का आवंटन किया जा रहा है।

(11) तमिल संगम:

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों में तमिल भाषा, देशभक्ति और एकता को बढ़ावा देने के लिए, 'चेन्नै पोर्ट तमिलसंगम' द्वारा समय-समय पर तमिल साहित्य, संस्कृति, प्राचीन कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों की ख्याति के प्रचार हेतु कविता प्रतियोगिता, पट्टिमंद्रम और वक्तृत्व सभा तथा विभिन्न वाद-विवाद जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा "चेन्नै पोर्ट तमिल संगम" को प्रतिवर्ष रु.1.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है।

(12) महिला कर्मचारी:

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए चेन्नै पोर्ट द्वारा नारी शक्ति विकास के लिए धन आवंटित की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम जैसे चिकित्सा उपचार, तनाव प्रबंधन, त्वचा देखभाल, हस्तशिल्प उत्पादन, योग सत्र आदि का आयोजन किया गया है।

(13) चेन्नै पोर्ट व डॉक शैक्षिक ट्रस्ट हायर सेकंड्री स्कूल

पांच दशकों के अधिक अवधि से, चेन्नै पोर्ट का स्कूल 50,000 से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए सीखने का एक प्रतीक बना रहा है। स्कूल द्वारा शुद्ध व स्वच्छ कक्षाएँ, पूर्ण रूप से सक्षम पुस्तकालय, पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशालाएँ और विशाल खेल मैदान आदि प्रदान किया जाता है। शिक्षा न्यूनतम लागत पर प्रदान की जाती है और पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, वर्दी जैसी आवश्यक चीजें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके द्वारा क्रीमी लेयर समुदाय वाले वंचित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाता है।

(14) विशेष बच्चों के लिए स्वबोधिनी वेकेशनल सेंटर

चेन्नै पोर्ट द्वारा स्थापित विशेष बच्चों के लिए स्वबोधिनी स्कूल और वोकेशनल सेंटर द्वारा वंचित क्षेत्रों के 80 ऑटिस्टिक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इस पहल के द्वारा शैक्षणिक, सामाजिक और जीवन कौशल विकास को एकीकृत की जाती है। इन बच्चों को सशक्त बनाने और सामुदायिक स्वीकृति और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए संरचित शिक्षा, संचार कौशल, संवेदी एकीकरण और चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(15) पुस्तकालय और सूचना सेवा

कार्यालय परिसर में, अच्छी तरह के सुसज्जित पुस्तकालय द्वारा, कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान किया जाता है, जिसमें ज्ञान, संसाधनों तक आसान पहुंच और सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल वातावरण शामिल है।

1. **पुस्तकालय का स्थान और पहुँच:** कार्यालय के पुस्तकालय, कार्यालय के नई शताब्दी भवन की पहली मंजिल पर सुविधाजनक रूप से स्थित है, जिससे सभी कर्मचारियों के लिए पहुँच आसान हो जाती है। इसकी केंद्रीय स्थिति कार्यालय के सभी विभागों के लिए सुलभ बनाती है। पुस्तकालय नियमित कार्यालय समय के दौरान खुला रहता है, जिससे कर्मचारी अपनी सुविधानुसार आ सकते हैं।

2. **संग्रह और संसाधन:** पुस्तकालय में विविध प्रकार के संसाधनों का संग्रह है, जो विभिन्न रुचियों और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस संग्रह में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पुस्तकें**: व्यावसायिक विकास, नेतृत्व, प्रौद्योगिकी, व्यापार, स्वास्थ्य आदि जैसे विषयों को कवर करने वाली काल्पनिक और गैर-काल्पनिक पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला।
- **पत्रिकाएं**: लोकप्रिय पत्रिकाएं, जर्नल और समाचार पत्र जो नवीनतम अंतर्दृष्टि, उद्योग के रुझान और समाचार प्रदान किया जाता है।
- **संदर्भ सामग्री**: सूचना तक त्वरित पहुंच के लिए विश्वकोश, शब्दकोश, एटलस और अन्य संदर्भ।
- **आध्यात्मिक विंग:** कर्मचारियों के बीच मानसिक कल्याण और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के प्रयास में, पुस्तकालय में एक आध्यात्मिक विंग की स्थापना की गई है।

3. **सुविधाएं और सुख-सुविधाएं:** कार्यालय के पुस्तकालय द्वारा आरामदायक और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान किया जाता है:

- **पढ़ने के क्षेत्र** कर्मचारियों को पढ़ने और अध्ययन के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था के साथ समर्पित स्थान।
- **शांत क्षेत्र** मौन पठन और केन्द्रित कार्य के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र।
- **बैठक का कमरा** पुस्तकालय परिसर में अलग कमरे जिन्हें छोटे समूह चर्चा या सहयोगात्मक कार्य के लिए आरक्षित किया जा सके।

4. **पुस्तकालय सेवाएँ:** कार्यालय के पुस्तकालय द्वारा कर्मचारियों को सीखने और अनुसंधान आवश्यकताओं के समर्थन के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **उधार लेना और नवीनीकरण:** कर्मचारियों द्वारा निश्चित अवधि के लिए पुस्तकें और अन्य सामग्रियों उधार पर लिया जा सकता है । आवश्यकता पड़ने पर उधार अवधि बढ़ाने के लिए नवीकृत विकल्प उपलब्ध हैं।
- **पुस्तकालय नीतियाँ:** सुचारू संचालन और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, कार्यालय के पुस्तकालय ने कुछ नीतियां स्थापित की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- **सदस्यता:** कर्मचारियों को पुस्तकालय सदस्य के रूप में पंजीकरण कराना आवश्यक है, जिससे उन्हें उधार लेने की सुविधा और अन्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके।
- **ऋण अवधि और सीमाएं**: उधार ली जा सकने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या और उन्हें रखने की अवधि निर्दिष्ट करना।
- **अतिदेय जुर्माना:** उधार ली गई सामग्री को समय पर वापस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु देरी से लौटाने पर जुर्माना लगाना।
- **आचार संहिता** शांतिपूर्ण और सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश स्थापित करना, जिसमें शोर के स्तर, भोजन और पेय नीतियों और पुस्तकालय सामग्री के संचालन संबंधी नियम शामिल हैं।

प्रशासनिक कार्यालय में मुख्य पुस्तकालय के अलावा, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण गेस्ट हाउस में अतिथियों के लाभ के लिए एक अलग पुस्तकालय भी उपलब्ध है।

कार्यालय में उपलब्ध पुस्तकालय सुविधाएँ कर्मचारियों के व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुमूल्य संसाधन और सहायता प्रदान करती हैं। विविध संग्रह, आरामदायक सुविधाओं और उपयोगी सेवाओं के साथ, कार्यालय पुस्तकालय ज्ञान तक पहुँच को बढ़ाता है और निरंतर सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है।

(16) परिवार सुरक्षा योजना

पोर्ट के प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु रु.16 की राशि कटौती की जाती है। जिन कर्मचारियों को सेवा के दौरान मृत्यु होती है उनके परिवार को अंतिम निपटान के समय रु.20,000 की राशि का भुगतान किया जाता है।

मृत कर्मचारियों के परिवार को अंतिम संस्कार व्यय

सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अधिकारी/कर्मचारी के परिवार को अंतिम संस्कार व्यय के लिए रु.6,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(17) खेल परिषद

वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय महा पत्तनों (एआईएमपी) टूर्नामेंटों और प्रत्येक विषय में अन्य टूर्नामेंटों में चेन्नै पत्तन प्राधिकरण टीमों की भागीदारी का विवरण निम्नानुसार है:

बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप और भारोत्तोलन:	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने दि.11 से दि.12 फरवरी 2025 तक जेएनपीटी द्वारा आयोजित एआईएमपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उप विजेता स्थान जीता। जीए विभाग के ओ.ए श्री.थंगराज ने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और मिस्टर मेजर पोर्ट टाइटल जीता है। श्री. के. रमेश ने रजत पदक जीता है। श्री के. वेंकटेशन ने कांस्य पदक जीता है
	1. चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने दि.11 और दि.12 फरवरी 2025 को जेएनपीटी द्वारा आयोजित एआईएमपी वेइट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में विजेता ट्रॉफी जीती है। 2. सिविल के वरिष्ठ सहायक श्री ई. प्रेमकुमार ने एआईएमपी चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक और ओवरऑल स्टाइलिश लिफ्टर का टाइटल जीता है। 3. श्री एन.आनंद और आर.मणि ने एआईएमपी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 4. श्री डी. भास्कर ने एआईएमपी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है 5. श्री एस. गजेन्द्रन और आर. रंगनाथन ने एआईएमपी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है
कैरम:	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने दि.27 जनवरी 2025 से दि.31 जनवरी 2025 तक विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित एआईएमपी कैरम टूर्नामेंट में ओवरऑल चैंपियनशिप जीत ली है। 1. एम एंड ईई विभाग के जेई, श्री पी. अरुणगिरी ने एकल स्पर्धा में विजेता रहे 2. यातायात विभाग के मजदूर श्री एस. राजकुमार ने एकल स्पर्धा में तीसरे विजेता रहे और एम एंड ईई विभाग के एएमएम श्री एस. राजसीलन ने एकल स्पर्धा में तीसरे विजेता रहे । 3. वेटरन 50+ में यातायात विभाग के मिस्त्री श्री भुवनेश्वरन ने इस स्पर्धा में प्रथम विजेता रहे और समुद्री विभाग के ग्रीसर श्री आर. बालाजी ने इस स्पर्धा में तीसरे विजेता रहे। 4. 45+ आयु वर्ग में यातायात विभाग के विंच ड्राइवर श्री पी. महादेवन ने प्रथम विजेता रहे तथा एम.एंड.ई. विभाग के तकनीकी एच.एस., श्री एन. सेकर, द्वितीय विजेता हैं।

शतरंज :	चेन्नै पोर्ट शतरंज टीम ने दि.26 फरवरी से दि.28 फरवरी 2025 तक चेन्नै में आयोजित एआईएमपी टूर्नामेंट में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। 1. श्री के. एलंगोवन ने शतरंज प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 2. श्री वी.एस. लक्ष्मी नरसिम्हन ने शतरंज प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता है।
	3.श्रीमती वी. सुजाता ने महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। 4. श्रीमती पी. कर्पगासेल्वी ने महिला शतरंज प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है।
क्रिकेट:	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा दि.22 से दि.26 जनवरी 2025 तक आयोजित एआईएमपी क्रिकेट चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया है।
सांस्कृतिक टीम:	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने पारादीप में आयोजित एआईएमपी सांस्कृतिक टूर्नामेंट में लाइट म्यूजिक कार्यक्रम में दूसरा स्थान हासिल किया है। यातायात विभाग के सहायक अधीक्षक श्रीमती झांसी रानी को नाटक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।
फुटबॉल:	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण को दि.12 फरवरी से दि.16 फरवरी 2025 तक पारादीप पोर्ट द्वारा आयोजित एआईएमपी फुटबॉल चैम्पियनशिप में तीसरा स्थान मिला।
हॉकी:	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण हॉकी टीम ने दि.04 मार्च से दि.07 मार्च 2025 तक मुंबई पोर्ट द्वारा आयोजित एआईएमपी हॉकी चैम्पियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया है।
कबड्डी:	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने दि.19 मार्च से दि.21 मार्च 2025 तक वीओसी पोर्ट द्वारा आयोजित एआईएमपी कबड्डी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है।
लॉन टेनिस:	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण लॉन टेनिस टीम ने दि. 5 मार्च से दि.7 मार्च 2025 तक एनएमपीटी में एआईएमपी लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भाग लिया। श्री जी. विनोद कुमार, हार्बर मास्टर, मरीन विभाग ने 45+ पुरुष एकल स्पर्धा में रनर अप ट्रॉफी जीती है।
शटल:	चेन्नै पोर्ट शटल बैडमिंटन टीम (पुरुष, अनुभवी और महिला) ने 3 से 5 फरवरी 2025 तक मर्मगोवा पत्तन प्राधिकरण, मर्मगोवा द्वारा आयोजित एआईएमपी शटल चैम्पियनशिप में भाग लिया है। 1. चेन्नै पोर्ट ने पुरुष चैम्पियनशिप जीत ली है। 2. चेन्नै पोर्ट पुरुष टीम ने वेटरन टीम चैम्पियनशिप के अंतर्गत एआईएमपी चैम्पियनशिप में उपविजेता स्थान हासिल किया। 3. जीए विभाग के सहायक अधीक्षक श्री आर.अमेरंद्रन ने वेटरन ओपन 50+ श्रेणी के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है 4. यातायात विभाग के श्री जी.पी.महेश, ग्रीसर, और श्री के.आर.आनंद, कपलिंग पोर्टर, ने वेटरन ओपन डबल्स 45+ वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 5. श्री जी.पी.महेश, ग्रीसर ने वेटरन सिंगल 45+ श्रेणी में रजत पदक जीता है। 6. डॉ. संगीता और श्रीमती जेसिंथा ने महिला युगल 45+ वर्ग में कांस्य पदक जीता है।
टेबल टेनिस:	चेन्नै पोर्ट टेबल टेनिस टीम ने दि.26 से दि.28 फरवरी 2025 तक चेन्नै पोर्ट द्वारा आयोजित एआईएमपी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लिया है। 1) 45+ डबल्स (मराइन विभाग के सीनियर एमआरई श्री पी. विजय आनंद, और यातायात विभाग के एएस श्री टी.पी. श्रीधर) ने कांस्य पदक जीता है 2) 50+ डबल्स में यातायात विभाग के (श्री जे. जॉन बॉस्को, टैली क्लर्क, और वित्त विभाग के एएस श्री एस. गोपीकृष्ण) ने रजत पदक जीता है 3) 50+ सिंगल (यातायात विभाग के टैली क्लर्क श्री जे. जॉन बॉस्को) ने दि.26 से दि.28 फरवरी 2025 तक चेन्नै पोर्ट द्वारा आयोजित एआईएमपी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है।

7. चिकित्सा सुविधाएं

दि.1 जुलाई 1939 को एक छोटी डिस्पेंसरी के रूप में चेन्नै पत्तन प्राधिकरण अस्पताल का उद्घाटन हुआ था और 84 वर्षों के बाद अब यह एक पूर्ण माध्यमिक देखभाल अस्पताल के रूप में कार्य करता है। इस अस्पताल में निम्नलिखित दो इकाइयाँ हैं:

1. मुख्य अस्पताल परिसर में चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ, प्रयोगशाला, आकस्मिक चिकित्सा, गहन चिकित्सा डायलिसिस इकाई, ऑपरेशन थियेटर परिसर आदि स्थित हैं।
2. मुख्य अस्पताल के सामने डायमंड जुबली बिल्डिंग में मधुमेह विशेषज्ञ केंद्र, जिसमें बाह्य रोगी विशेषज्ञ और संबद्ध सेवाएं उपलब्ध हैं।

कर्मचारियों और उनके आश्रितों,सेवानिवृत्त कर्मचारीयों और उनके जीवनसाथियों, और सीआईएसएफ कर्मचारीयों और उनके आश्रितों कुल मिलकर लगभग 24,500 लोगों को 125 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में सभी व्यापक विशेषज्ञताएँ (चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और स्त्री रोग) उपलब्ध हैं इसके अलावा, चे.प.प्रा. अस्पताल चेन्नै और उसके आसपास बसे केपीएल, एनआईपीएम कर्मचारियों और अन्य पत्तनों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उपचार सुविधाएँ प्रदान किया जाता है।

उपलब्ध एवं प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

अस्पताल में एक समर्पित गहन चिकित्सा इकाई, मेडिकल वार्ड, महिला वार्ड, वृद्धावस्था वार्ड, शल्य चिकित्सा वार्ड और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड उपलब्ध हैं। इसके अलावा, हमारे पास विशेष रेडियोलॉजी विभाग, प्रयोगशाला, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर सुइट, डायलिसिस विंग, एक विशेष मधुमेह विशेषज्ञ सेवा और अर्ध-निजी कक्षों वाला आधुनिक वार्ड भी है। अस्पताल निदान और उपचार दोनों के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है।

अस्पताल में सभी विशेषज्ञताओं के 18 नियमित डॉक्टर कार्यरत हैं, तथा इसके अतिरिक्त, चे.प.प्रा. रोगियों की व्यापक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने के लिए उन विशेषज्ञताओं के लिए 12 परामर्शदाता/विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं ।

अस्पताल में एक विस्तृत चिकित्सा भंडार प्रभाग है, जो शल्य चिकित्सा, चिकित्सा उपकरणों और आवश्यक दवाओं की खरीद का ध्यान रखता है। अस्पताल ने तृतीय देखभाल उपचार के लिए 20 अस्पतालों (10 मल्टी स्पेशियलिटी और 10 सिंगल स्पेशियलिटी अस्पताल) और 6 डायग्नोस्टिक केंद्रों को सीजीएचएस दरों पर सूचीबद्ध किया है, जिनकी सेवाएँ चे.प.प्रा. के पास उपलब्ध नहीं हैं।

संबद्ध सेवाएँ

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार चे.प.प्रा. रोगियों के लाभ के लिए दि. 24.11.2022 से चेन्नै पत्तन प्राधिकरण अस्पताल में आयुष की एक इकाई सिद्ध क्लिनिक काम करना शुरू कर किया है ।

जनगणना

वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई बाह्य रोगी सेवाओं की कुल संख्या 1,36,634 है और इन-पेशेंट सेवाएं 2256 की संख्या है ।

अस्पताल ने अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर में 163 बड़ी सर्जरी और 61 छोटी सर्जरी भी की। सिद्ध क्लिनिक में वर्ष 2024-25 के दौरान 3629 वाह्य रोगी सेवाएं प्रदान की गईं।

प्राथमिक चिकित्सा और एम्बुलेंस

एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा सेवा, आकस्मिक (आपातकालीन कक्ष) चौबीसों घंटे कार्यरत है। वर्तमान में, पोर्ट के भीतर आपात स्थिति से निपटने और मरीजों के लाभ के लिए उन्हें चे.प.प्रा. अस्पताल से विभिन्न रेफरल अस्पतालों/डायग्नोस्टिक केंद्रों में भर्ती/विशेषज्ञ परामर्श/जांच के लिए स्थानांतरित करने के लिए 03 एम्बुलेंस चल रही हैं। इन 3 एम्बुलेंस में से 2 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 1 मिनी ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस हैं।

अस्पताल की रसोई और आहार

इन-हाउस रसोई में एक स्थायी आहार विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ कार्यरत हैं, जो व्यक्तिगत रूप से रोगियों की बीमारी के अनुसार उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं की निगरानी करते हैं।

वर्तमान में, पोर्ट अस्पताल एक सुप्रसिद्ध, सुसज्जित प्रमुख माध्यमिक देखभाल अस्पताल है, जिसमें इन-हाउस विशेषताएं, अच्छी तरह से पोषित नर्सिंग सेवा, आपातकालीन और प्राथमिक चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध हैं।

स्वच्छ भारत

- दिनांक 11.09.2024 को मुख्य अस्पताल, डायमंड जूबली भवन परिसर में सफाई अभियान चलाया गया।
- दि.24.10.2024 को डायमंड जूबली बिल्डिंग, मुख्य अस्पताल भवन क्षेत्र और सर्जिकल ब्लॉक क्षेत्र के आसपास विशेष अभियान 4.0 सफाई अभियान चलाया गया।
- दि.02.10.2024 से दि.31.10.2024 तक दैनिक सफाई अभियान (कार्य दिवस)।
- जीएसआर के अनुसार स्क्रैप की पहचान और निपटान किया गया।

निवारक और संवर्द्धक स्वास्थ्य देखभाल:

- लायंस क्लब ऑफ चेन्नै रॉयल एलीट के सहयोग से दि.01.10.2024 को चेन्न अस्पताल में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
- दि.11 अक्टूबर 2024 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- दि.19.8.2024 से दि.22.10.2024 तक वार्षिक मास्टर स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किया गया और 90 कर्मचारियों की जांच की गई।
- अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान 84 स्टीवडोर कर्मचारियों को शारीरिक फिटनेस प्रदान की गई।

- दि.01.12.2024 को चेन्नै पत्तन प्राधिकरण अस्पताल में विश्व एड्स दिवस मनाया गया।
- सिद्ध क्लिनिक अच्छी तरह से काम कर रहा है और दि.19.12.2024 को चेन्नै पत्तन प्राधिकरण अस्पताल में सिद्धा दिवस मनाया गया।
- एमआईवी-2030 के एक भाग के रूप में, दि.27.12.2024 को चे.प.प्रा के 25 डीवीडी ड्राइवरों/ ड्राइवरों की नेत्र जांच की गई।
- फरवरी 2025 के दौरान 33 सीआईएसएफ कर्मचारियों की मातृ स्वास्थ्य जांच की गई।
- परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय के मार्गदर्शन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत, पत्तन, पोत परिवहन मंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत दि.07.12.2024 से दि.24.03.2025 तक 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन अभियान का उद्घाटन किया। सभी ऑपरेशन थिएटरों में मरीजों को पर्चे वितरित किए गए।
- चेन्नै निगम के अधिकारियों के समन्वय से, दि.12.03.2025 को इनर हार्बर में टीबी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और 60 कर्मचारियों ने स्क्रीनिंग में भाग लिया।
- टीबी के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसे खत्म करने के लिए दि.13.03.2025 को चेन्नै पत्तन प्राधिकरण परिसर में टीबी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- राज्य टीबी अधिकारियों के समन्वय में, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण अस्पताल ने दि.21.03.2025 को प्रशासनिक भवन में मधुमेह और टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
- सर्जिकल ब्लॉक और मधुमेह ओपी में हर दूसरे महीने टीबी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने दि.24.3.2025 को 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और 900 कर्मचारियों की जांच की गई और 11 पॉजिटिव मामले पाए गए।
- 22 सफाई कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा स्वास्थ्य जांच की गई।
- अस्पताल डाइट किचन के 5 ठेके कर्मचारियों की वार्षिक जांच की गई तथा सभी कर्मचारियों के लिए कृमिनाशक दवा दी गई।

अन्य सुविधाएं

- अस्पताल का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण (अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली) अर्थात चिकित्सा पंजीकरण, दवा वितरण और प्रयोगशाला एवं निदान सहित आंतरिक रेफरल सेवाएं।
- तरल और ठोस जैव चिकित्सा अपशिष्ट पृथक्करण और निपटान।
- कंप्यूटेड एक्स-रे प्रणाली।
- आधुनिक महिला वार्ड, पुरुष वार्ड, सर्जिकल वार्ड को पर्यावरण अनुकूल गद्दों के साथ नवीनीकृत किया गया।
- मॉड्यूलर कार्यालय।
- हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मार्गदर्शन के अनुसार मनोचिकित्सा, हृदय रोग विज्ञान और स्त्री रोग विभाग में वेलनेस क्लीनिक।
- ई-ऑफिस/एसएपी।
- 84 नए चिकित्सा उपकरणों के साथ उन्नत किया गया।

- नए फाउलर खाट, सामान्य खाट और बेड साइड लॉकर के साथ उन्नत किया गया।
- नर्सिंग छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- वृद्ध रोगियों के लिए जेरियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन।

भविष्य की चल रही योजनाएँ

- सभी वार्डों के लिए 5 नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर और ऑन्कोलॉजी वार्ड के लिए 1 लेमिनार फ्लो और 1 ईएनटी वर्क स्टेशन की खरीद।
- अस्पताल में सीटी स्कैन की स्थापना।
- कैंसर रोगियों के लिए ऑन्कोलॉजी वार्ड का उद्घाटन।
- पोर्ट के लाभार्थियों की व्यापक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कार्डियो डायबिटिक सेंटर खोलना।
- वृद्ध रोगियों के लिए विशेष रूप से बाह्य रोगी विभाग खोलना ताकि एक ही छत के नीचे व्यापक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जा सके।
- आपदा प्रबंधन के लिए विशेष रूप से वार्ड खोलना।
- विशिष्ट सिद्ध चिकित्सा इकाई की स्थापना।
- अस्पताल में अमृत फार्मेसी आउटलेट का उद्घाटन।
- अग्निशमन प्रणाली का प्रावधान।
- ऑन्कोलॉजी और विशेष दवाओं की त्वरित खरीद के लिए एसआरएम (आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन) पोर्टल।
- नए फ्रीजर बॉक्स के साथ शवगृह का नवीनीकरण।
- वॉशर एक्सट्रैक्टर और कैलेंडरिंग मशीन के साथ कपड़े धोने की इकाई को फिर से खोलना।
- आहार तैयार करने और बर्तनों के स्टरलाइज़ेशन के लिए उन्नत मशीनों के साथ रसोईघर का आधुनिकीकरण।
- चिकित्सा विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना।

8. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत विभिन्न सामाजिक विकास परियोजनाओं के समर्थन हेतु रु.3.49 करोड़ की निधि देने की प्रतिबद्धता जताई है। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने द्वारा, चेन्नै पोर्ट सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामुदायिक कल्याण में सुधार पर केंद्रित है।

इसके अतिरिक्त, सरकारी मार्गदर्शन के अनुसार राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को 20% (कुल सीएसआर निधि का रु.69,80,000) की राशि आवंटित किया गया है, जो भारत के समुद्री इतिहास के संरक्षण और संवर्धन में योगदान देता है।

इन सीएसआर गतिविधियों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

1. **लाभार्थी का नाम: मद्रास मेडिकल कॉलेज**

   आवंटित राशि : रु.54 लाख

   इस परियोजना में व्याख्यान कक्षों, ऑडिटोरियम को एयर कंडीशनिंग के साथ उन्नत करना शामिल है।

2. **लाभार्थी का नाम: पेन (नारी ट्रस्ट का संरक्षण और सशक्तिकरण)**

   आवंटित राशि: रु. 9 लाख

   इस परियोजना में 1000 प्रतिभागियों को मानसिक लचीलापन, कैरियर मार्गदर्शन, परीक्षा संबंधी तनाव और छात्रों को मनोवैज्ञानिक शक्ति प्रदान करना शामिल है।

फीडबैक से पता चला कि इस कार्यक्रम का छात्रों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इससे उनमें लचीलापन और आत्मविश्वास विकसित हुआ है। इस पहल ने समग्र विकास और सफलता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में नियमित रूप से इसी तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

3. **लाभार्थी का नाम: विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र**

   (श्री रामकृष्ण मठ की एक इकाई)

   आवंटित राशि : रु.30 लाख

युवा शिक्षार्थियों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना। कार्य प्रगति पर है।

4. **लाभार्थी का नाम: ग्रेटर चेन्नै कॉर्पोरेशन।**

आवंटित राशि: रु.66.83 लाख

विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए निगम बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सीजीएचएसएस) में नए कक्षाओं का निर्माण।
कार्य प्रक्रियाधीन है।
यह सुविधा अधिक छात्रों को आकर्षित की सकती है और समग्र शिक्षा में सुधार ला सकती है।

5. **लाभार्थी का नाम: जिला कलेक्टर**

आवंटित राशि : रु.52.13 लाख

यह परियोजना जिला कलेक्टर के सहयोग से आंगनवाड़ी विकास पर केंद्रित है ताकि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और पोषण सुविधाओं में सुधार हो सके। कार्य प्रगति पर है।

6. **लाभार्थी का नाम: ग्रेटर चेन्नै ट्रैफिक पुलिस**

आवंटित राशि : रु.25 लाख

सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु आवश्यक यातायात संकेत-चिह्नों की स्थापना। बेहतर यातायात प्रबंधन में सहायता हेतु उद्देश्य। कार्य प्रगति पर है।

7. **लाभार्थी का नाम: बक्सर के राम ट्रस्ट**

आवंटित राशि : रु.21.24 लाख

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल एटीएम की स्थापना।

8. **लाभार्थी का नाम:प्रजापिता ईश्वरीय विश्व विद्यालय**

आवंटित राशि : रु.5 लाख

सुरक्षित पेयजल उपलब्धता के लिए जल शोधन संयंत्र स्थापित करना।

9. **लाभार्थी का नाम: अमर सेवा संगम**

आवंटित राशि : रु.16 लाख

ग्राम-आधारित पुनर्वास कार्यक्रम का शुभारंभ

अमर सेवा संगम (एएसएसए) द्वारा वर्ष 2000 से ग्राम आधारित पुनर्वास पहल (वीबीआरआई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण तमिलनाडु में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है।

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने एएसएसए को 20 लैपटॉप दान करके इस पहल में योगदान दिया। इस सहयोग से वीबीआरआई के लिए उपलब्ध तकनीकी संसाधनों में वृद्धि होगी, जिससे बेहतर डेटा प्रबंधन, प्रशिक्षण और सेवा वितरण में सुविधा होगी।
एएसएसए और चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के बीच सहयोग, इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार रणनीतिक साझेदारियां समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ा सकती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग बच्चों और उनके परिवारों के लिए बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं।

सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से इन परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकित किया गया। यह ज्ञात है कि चेन्नै पत्तन प्राधिकरण (चे.प.प्रा) ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार किया है। इन परियोजनाओं का प्रभाव कई प्रमुख क्षेत्रों में परिलक्षित हुआ है ।

➢ **शिक्षा और कौशल विकास**

i) ग्रेटर चेन्नै कॉर्पोरेशन - सीजीएचएसएस में नई कक्षाएँ उन्नत बुनियादी ढाँचा उच्च नामांकन दर को प्रोत्साहित करता है

ii) विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र – डिजिटल साक्षरता प्रयोगशालाएँ कई लोगों ने कंप्यूटर तक पहुंच हासिल कर ली है, डिजिटल कौशल में रोजगार के अवसर में सुधार किया है ।

• **स्वास्थ्य सेवा एवं बाल कल्याण**

i) मद्रास मेडिकल कॉलेज – व्याख्यान कक्ष का उन्नयन उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा के परिणाम स्वरूप बेहतर प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर तैयार होते हैं, जिससे अंततः शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है।

ii) आंगनवाड़ी विकास
बचपन में स्वस्थ विकास से आगे चलकर कुपोषण और सीखने में आने वाली कमियों में कमी आती है।

• **सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा**

i) ग्रेटर चेन्नै ट्रैफिक पुलिस – सड़क संकेत स्थापना सड़क अनुशासन और सुरक्षा में सुधार होगा, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों को लाभ होगा।

ii) वाटर एटीएम और जल शोधन संयंत्र (बक्सर के राम ट्रस्ट और प्रजापीठ ईश्वरीय विश्वविद्यालय) से बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता।

• **सामाजिक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य**

i) अमर सेवा संगम - ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम
विकलांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता और रोजगार क्षमतामें सुधार।

ii) पेन ट्रस्ट - मनोवैज्ञानिक सहायता कार्यक्रम

मानसिक स्वास्थ्य और जागरूकता में वृद्धि, गरीब समुदायवालों के बीच तनाव और चिंता को कम करना।

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के सीएसआर प्रयास सिर्फ कॉर्पोरेट दायित्व नहीं हैं, बल्कि जीवन बदलने वाले हस्तक्षेप हैं जो समुदायों को सशक्त बना रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और आजीविका में सुधार किया जा रहा है । इन परियोजनाओं का प्रभाव तात्कालिक लाभों से कहीं अधिक है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करता है।

वैश्विक मान्यता

सीएसआर के अंतर्गत गतिविधियों के अलावा, चेन्नै पोर्ट की सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे वंचित और विशेष बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य, समुदाय के जीवन स्तर में सुधार, प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी चिंताओं, आदि पर विविध पहलों ने हमें समुदाय के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के अपने मिशन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करने में सक्षम बनाया है। ये प्रयास संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

चेन्नै पोर्ट के उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करते हुए, वैश्विक बैंचमार्क के रूप में मान्यता दी गई है, जो सामुदायिक निर्माण श्रेणी में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स (आईएपीएच) सस्टेनेबिलिटी अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय पोर्ट बन गया है। अक्टूबर 2024 में हैम्बर्ग, जर्मनी में विश्व पोर्ट सम्मेलन में प्रदान की गई यह मान्यता, चेन्नै पोर्ट की प्रतिबद्धता और समावेशी द्वारा सतत विकास के लिए सभी को समावेशी समृद्ध भविष्य की आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की जाती है।

प्रशासन रिपोर्ट
सामान्य

1. हिंदी का प्रागामी प्रयोग

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण (सीएचपीए) के हिंदी कक्ष ने वर्ष 2024-2025 के दौरान राजभाषा (राजभाषा) के प्रचार-प्रसार हेतु उल्लेखनीय प्रगति और प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। सतत पहलों, सहयोगात्मक आयोजनों और मान्यता प्राप्त उपलब्धियों के माध्यम से, प्रकोष्ठ ने अपने प्रशासनिक और कर्मचारी मंडलों में हिंदी के प्रयोग और स्वीकृति को और सुदृढ किया है।

1.1 त्रैमासिक हिंदी कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं (कामराजर पोर्ट लिमिटेड - केपीएल के साथ)

राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) के मार्गदर्शन में, हिंदी कक्ष ने कामराजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) के सहयोग से त्रैमासिक हिंदी कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित किया।

ये सत्र निम्नलिखित पर केन्द्रित है:

- टिप्पण और आलेखन के लिए व्यावहारिक हिंदी प्रशिक्षण।
- पोर्ट प्रचालन से संबंधित तकनीकी शब्दावली पर कार्यशालाएं।
- निबंध लेखन, नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग, हिंदी गायन, तथा समाचार पत्र वाचन कार्यक्रम जैसी प्रतियोगिताएं।
- चे.प.प्रा. और केपीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त भागीदारी, अंतर-संगठनात्मक तालमेल को बढ़ाना।

1.2. हिंदी पखवाड़ा एवं हिंदी दिवस समारोह (अगस्त-सितंबर 2024)

केपीएल के साथ संयुक्त रूप से दि.27 अगस्त से 9 सितंबर, 2024 तक जीवित हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।

मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- प्रतियोगिताएं: समाचार पत्र वाचन, एक मिनट का भाषण, गीत गायन, नारा लेखन, अनुवाद और तकनीकी हिंदी शब्द लेखन।
- कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए सांस्कृतिक गतिविधियॉं।
- विजेताओं को स्मृति चिन्ह वितरित किये गये।

1.3 हिंदी प्रशिक्षण

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण (सीएचपीए) के हिंदी कक्ष ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थित हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करने द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए लगातार पहल की है।

केंद्रीय हिंदी शिक्षण योजना के सहयोग से समय-समय पर हिंदी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

कर्मचारियों को हिंदी में अपनी दक्षता धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ जैसे संरचित भाषा पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

वर्ष के दौरान 21, 09 और 02 कर्मचारियों को क्रमशः प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ में प्रशिक्षित किया गया। जो कर्मचारी सफलतापूर्वक हिंदी पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, वे निम्नलिखित प्रोत्साहनों के लिए पात्र हैं:

प्रबोध: रु.500/-

प्रवीण: रु.500/-

प्राज्ञ: रु.600/- इसके साथ उनके चालू वेतनमान में एक वर्ष की अग्रिम वेतन वृद्धि।

इन प्रशिक्षण प्रयासों से राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के आत्मविश्वास और हिंदी में अपने आधिकारिक उत्तरदायित्वों को निभाने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

1.4 बच्चों के प्रोत्साहन

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में, कर्मचारियों के बच्चों को हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से प्राथमिक से प्रवीण स्तर तक के पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर विभिन्न नकद प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

1.5. हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूपण में अधिक शब्द लिखने के लिए प्रोत्साहन योजना।

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में नकद प्रोत्साहन योजना निम्नानुसार प्रचलित है:

एक कैलेण्डर वर्ष में अर्थात जनवरी से दिसम्बर तक, प्रत्येक वर्ष हिन्दी में 1000 शब्द लिखने पर रु.250/- तथा प्रत्येक अतिरिक्त 1000 शब्द लिखने पर रु.300/- दिये जायेंगे।

1.6. हिंदी गृह पत्रिका सागर सलोनी के 14वें अंक का विमोचन।

हिंदी दिवस समारोह के दौरान, पोर्ट प्रशासन की आंतरिक गृह पत्रिका 'सागर सलोनी' के 14वें अंक का विमोचन किया गया। यह प्रकाशन कर्मचारियों के साहित्यिक योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु पोर्ट के पहलों पर प्रकाश डालता है।

1.7. नराकास (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) से पुरस्कार और मान्यता

क्षेत्रीय नराकास कार्यक्रमों में चे.प.प्रा की सक्रिय भागीदारी ने उल्लेखनीय मान्यता अर्जित की:

- राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार।
- सर्वश्रेष्ठ पत्रिका के लिए प्रथम पुरस्कार।
- अंताक्षरी प्रतियोगिता में सहायक अधीक्षक श्रीमती एस. कुमुदा और हिंदी अनुवादक श्री एम. बलराज को द्वितीय पुरस्कार मिला।
- श्रीमती एस. अरुणा, वरिष्ठ सहायक सचिव को 5 दिवसीय अनुवाद पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सम्मानित किया गया।
- चेन्नै पोर्ट परिसर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी हिंदी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- नाटक प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार

1.8. आईगाट कर्मयोगी पोर्टल पर राजभाषा पाठ्यक्रम

दि.09.05.2024 को 30 कर्मचारियों ने राजभाषा पाठ्यक्रम पूरा किया।

उन्होंने आईगाट कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया और अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए।

1.9. हिंदी-अंग्रेजी में ईबीएस कार्यान्वयन

- ई-ऑफिस प्रणाली द्विभाषी पहुंच प्रदान करती है।
- आसान संदर्भ के लिए सामान्य शब्दावली हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है।

1.10. राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण श्रीमती संगीता तोपनो और श्री राकेश कुमार, राजभाषा विभाग, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। निरीक्षण दल ने राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

1.11 राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रा.भा.का.स)

रा.भा.का.स की बैठक नियमित रूप से तिमाही में एक बार आयोजित की जाती है।

हिंदी भाषा की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।

1.12. नेतृत्व की भागीदारी और प्रेरणा

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष, आईएएस श्री सुनील पालीवाल और उपाध्यक्ष, श्री एस. विश्वनाथन, आईएएस ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करके और कार्यक्रमों में भाग लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उपस्थिति ने कर्मचारियों को राजभाषा कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

पूरे वर्ष के दौरान किए गए इस निरंतर प्रयास से न केवल संवैधानिक दायित्व का कायम रहा, बल्कि सांस्कृतिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिला, कर्मचारियों में हिंदी में संचार कौशल में सुधार हुआ और आधिकारिक निकायों से मान्यता भी प्राप्त हुई।

2. विपणन प्रयासों का विवरण

विपणन टीम द्वारा लक्ष्य प्राप्ति और पोर्ट के व्यापार में सुधार हेतु नियमित रूप से प्रचार गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है। आयोजित कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

2.1 व्यापार सुविधा बैठक

- दक्षिण भारत में उद्योगों और व्यापार के लिए चेन्नै पोर्ट पर उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए दि.26.09.2024 से दि.28.09.2024 तक चेन्नै ट्रेड में भारतीय उद्योग परिसंघ - सीआईआई सेएयरो एक्सपो 2024 में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- पवन ऊर्जा क्षेत्र से विभिन्न हितधारकों को आकर्षित करने के लिए दि.23.10.2024 को चेन्नै ट्रेड सेंटर में भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ और पीडीए वेंचर्स द्वारा आयोजित 6वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और पवन ऊर्जा भारत 2024 सम्मेलन में भाग लिया।
- भारत की वर्तमान समुद्री क्षमताओं का आकलन करने और प्रमुख चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए दि.05.11.2024 को आईटीसी ग्रैंड चोला में "नवाचार की यात्रा और भविष्य का मार्गदर्शन" के विषय पर कानक्लेव 2025 का आयोजन किया गया।

- भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय आर्थिक समय में वर्तमान मुद्दों को संबोधित करने के लिए दि.11.11.2024 को मुंबई में रूस भारत व्यापार मंच में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- भारत में जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने और निवेश करने के लिए भारत के एचडी केएसओई के 3 डेलिगेटीडेलिगेटीस द्वारा दि.16.12.2024 से दि.20.12.2024 तक दौरा (एक दिन चेन्नै में, दि.16 कोच्चि, मुंबई और नई दिल्ली में)।
- चेन्नै पोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दिनांक 11.01.2025 से दि.20.03.2025 तक आयोजित चेन्नै व्यापार मेले में भाग लिया, जिसमें चेन्नै पोर्ट द्वारा विकसित विभिन्न नई सुविधाओं और विस्तारित सेवाओं का प्रदर्शन किया गया।
- चेन्नै पोर्ट ने दि.07.02.2025 को व्यावसायिक प्रचार गतिविधि के रूप में मेसर्स सी ट्रेड द्वारा कोयंबटूर, तमिलनाडु में आयोजित कार्गो कनेक्शन कॉन्क्लेव 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी का आयोजित किया ।

2.2 इंटरैक्टिव सत्र / बैठक

- पूर्वी समुद्री गलियारे को चालू करने के लिए दि.04.07.2024 को कंटेनरयुक्त कार्गो के हितधारकों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया था।

2.3 रियायतें बढ़ाई गई

विभिन्न ग्राहकों को निम्नलिखित रियायतें दी गयी हैं:

2.3.1 कंटेनर जहाजों के लिए प्रत्येक पोत कॉल पर निर्धारित दरमान के अनुसार वीआरसी में अग्रिम रियायत।

1. सभी तटीय कंटेनर जहाजों के लिए 15% अग्रिम रियायत
2. एक्जिम कंटेनर जहाजों के लिए वीआरसी में रियायत अग्रिम आधार पर निम्नानुसार है:

जहाज का जी.टी.	प्रति यात्रा टीईयूस			
	1 से 2000	2001 से 4000	4001 से 6000	6001 और ऊपर
20,000 जीटी तक	25%	30%	30%	30%
20,001 से 40,000 जीटी	30%	35%	35%	35%
40,001 से 60,000 जीटी	30%	35%	40%	50%
60,001 जीटी और उससे अधिक	35%	40%	50%	60%

2.3.2 तटीय ट्रांसशिपमेंट और एक्जिम लेडन ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों को ले जाने वाले तटीय जहाजों के लिए वीआरसी में रियायत

- प्रति यात्रा 100 टीईयू या अधिक एक्जिम लदे ट्रांसशिपमेंट कंटेनर ले जाने वाले तटीय जहाजों के लिए वीआरसी में 70% की अग्रिम रियायत।
- तटीय लेडन ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों के 100 टीईयू या संयुक्त एक्जिम और तटीय लेडन ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों के 100 टीईयू ले जाने वाले तटीय जहाजों के लिए वीआरसी में 50% की अग्रिम रियायत।

ट्रांसशिपमेंट कंटेनर ले जाने वाले तटीय कंटेनर जहाज उपरोक्त किसी भी रियायत का लाभ उठा सकते हैं और इस रियायत के साथ तटीय जहाजों के लिए कोई अन्य रियायत नहीं ली जा सकती है।

- प्रत्येक यात्रा पर 100 टीईयू या अधिक एक्जिम लेडन ट्रांसशिपमेंट कंटेनर ले जाने वाले विदेशी जहाजों के लिए रियायत - मौजूदा वीआरसी रियायत के साथ चेन्नै पोर्ट के दरमान (एसओआर) के पोत संबंधी प्रभारों पर 5% अतिरिक्त रियायत।

2.3.3. 10 वर्षीय रियायत - मेसर्स हुंडई मोटर्स के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) इंडिया लिमिटेड (2028 तक) और मेसर्स केआईए मोटर्स (2029 तक)

मैसर्स हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) और मैसर्स केआईए मोटर्स (केआईए) के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए चेन्नै पोर्ट के माध्यम से रो-रो जहाजों द्वारा पूर्णतः निर्मित कार इकाइयों के निर्यात के लिए पोत और कार्गो संबंधी शुल्कों में रियायत हेतु समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- ✓ घाटशुल्क पर 50% से 70% तक की रियायत।
- ✓ पोत संबंधी शुल्कों में 10% से 30% तक की छूट।
- ✓ पोर्ट में कारों को ले जाते समय परेशानी मुक्त दस्तावेज़ीकरण

सी.एच.पी.ए. निम्नलिखित प्रदान करेगा:

- ❖ प्राथमिकता बर्थिंग
- ❖ प्रतिबद्ध मात्रा के आधार पर कारों की स्टेकिंग के लिए पक्का भंडारण क्षेत्र
- ❖ 20 दिनों के लिए निःशुल्क संग्रहण

2.3.4 क्रूज जहाजों के लिए रियायत

जल परिवहन मंत्रालय ने पत्र संख्या एस डावल्यू-15011/2/2020 -क्रूज़ अनुभाग दिनांक 24 जुलाई 2024 के माध्यम से सूचित किया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रूज़ जहाजों के लिए टैरिफ के चल रहे युक्तिकरण को दि.01.10.2024 से दि.30.09.2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर आगे की अवधि के विस्तार की समीक्षा की जाएगी।

i. क्रूज जहाज के लिए क्रूज टैरिफ $ 0.085 प्रति जीआरटी (निश्चित दर) और ठहरने के पहले 12 घंटों के लिए $ 6 प्रति यात्री (हेड टैक्स) की दर से वसूल किया जाएगा।

ii. क्रूज जहाज के बर्थ पर 12 घंटे से अधिक समय तक रुकने पर क्रूज जहाज पर प्रति घंटे प्रति जीआरटी 0.0175 डॉलर का निश्चित शुल्क लगाया जाएगा।

iii. क्रूज़ जहाजों को मात्रा छूट निम्नानुसार दी जाएगी:

प्रति वर्ष 10 कॉल तक - कोई छूट नहीं,

(ए) प्रति वर्ष 11 कॉल से 35 कॉल तक - 10% छूट,
(बी) प्रति वर्ष 36 कॉल से 70 कॉल तक - 15% छूट,
(सी) प्रति वर्ष 70 से अधिक कॉल - 20% छूट।

3. विकासात्मक परियोजनाएँ

ए. पीपीपी परियोजनाएं

1. चेन्नै पोर्ट पर बर्थिंग अवसंरचना, प्रदूषण प्रतिक्रिया टीम और स्लिपवे के लिए आईसीजी को टिंबर पांड/ बोट बेसिन को पट्टे पर देना ।

वर्ष 2015 के दौरान, आईसीजी ने अपनी निधि में से दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर ड्राई-डॉक सुविधा विकसित करने में रुचि दिखाई और अप्रैल 2019 में, आईसीजी ने सूचित किया कि रक्षा मंत्रालय ने सीएचपीए से 99 वर्षो की अवधि के लिए टिम्बर पांड/बोट बेसिन क्षेत्र के पट्टे की परियोजना को मंजूरी दे दी है। आईसीजी ने अग्रिम प्रीमियम के आंशिक भुगतान के लिए रु.453.63 करोड़ का भुगतान किया। सीएचपीए ने आईसीजी पर सितंबर 2019 तक प्रचलित जी-सेक दर के आधार पर अग्रिम प्रीमियम और एसडी राशि की भिन्नता को चुकाने का आग्रह किया।

अग्रिम प्रीमियम में 25% छूट के लिए आईसीजी के अनुरोध के आधार पर, चे.प.प्रा. ने बोर्ड के दिनांक 17.12.2021 के बीआर संख्या 130 के संदर्भ में और प.पो.प व ज.मं की स्वीकृति के माध्यम से, आईसीजी को 99 वर्ष के पट्टे के लिए अग्रिम प्रीमियम में 25% छूट और सुरक्षा जमा राशि को छोडने तथा शेष राशि ₹162,88.82,800/- (जीएसटी सहित) को भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। हालॉकि, आईसीजी ने आज तक शेष राशि का भुगतान नहीं किया है। चे.प.प्रा., एसएलए और एलओए के शीघ्र निष्पादन हेतु उपरोक्त शेष राशि का भुगतान करने के लिए आईसीजी से निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

इस बीच, मार्च 2025 के दौरान, आईसीजी ने चे.प.प्रा. से अनुरोध किया है कि वह आईसीजी द्वारा पहले से ही भुगतान की गई राशि की अनुपात में पट्टे की अवधि की गणना करते हुए, प्रचलित रियायत के साथ एक संशोधित प्रस्ताव भेजे । जिसपर चेन्नै पोर्ट द्वारा जांच की जा रही है।

2. भारती डॉक बर्थ I और III (बर्थ संख्या: 26बी और 27बी) पर कैप्टिव आधार पर 30 वर्ष तक की अवधि के लिए पीओएल/अन्य तरल कार्गो को संभालने के लिए समर्पित सुविधा स्थापित करना:

वर्तमान में मेसर्स सीपीसीएल और मेसर्स आईओसीएल द्वारा कच्चे तेल और पीओएल के संचालन के लिए बीडी I और बीडी III बर्थ का उपयोग किया जा रहा है और मेसर्स सीपीसीएल ने इन बर्थो को कैप्टिव आधार पर लेने में रुचि दिखाई है। इसलिए, इस प्रस्ताव को परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए चुना गया।

हालॉकि, बाद में सीपीसीएल ने बताया कि चूँकि इन बर्थों का निर्माण 1972 और 1987 में हुआ था, इसलिए इन बर्थों का निर्माण पुनर्वास कार्यों के बाद ही किया जा सकता है। एनटीसीपीडब्ल्यूसी द्वारा दि.31.03.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, "पुनर्वास कार्यों" के लिए निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।

इसके बाद, दि.18.01.2024 को वीसी के माध्यम से संयुक्त सचिव (पोर्टस) द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान, "चेन्नै पोर्ट के बर्थ 26-बी (बीडी-I) और बर्थ संख्या 27-बी (बीडी-III) को पोर्ट पर निर्भर उद्योगों को कैप्टिव आधार पर पट्टे पर देने" की समीक्षा के संबंध में, चे.प.प्रा. के अध्यक्ष ने बताया कि चूंकि बर्थ बहुत पुरानी हैं, इसलिए दोनों बर्थों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई शुरू की गई है और इस प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा।

इसके अलावा, बर्थ के प्रमुख संचालक होने के नाते सीपीसीएल के पास निकट भविष्य में चेन्नै स्थित रिफाइनरी की वर्तमान क्षमता 10.05 एमटीपीए से ज्यादा बढाने की कोई योजना नहीं है और दोनों बर्थों के लिए कार्गो संहलाई को मौजूदा 12 एमटीपीए से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, सीपीसीएल/आईओसीएल के अलावा किसी ने भी इन बर्थों को लेने में रुचि नहीं दिखाई। इसलिए, कैप्टिव/पीपीपी आधार पर बीडी I और बीडी III को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को छोड़ने का प्रस्ताव किया गया।

इसके बाद, उक्त परियोजना को परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए पहचानी गई चेन्नै पोर्ट की परियोजनाओं की सूची में से हटाने हेतु चे.प.प्रा. के दि. 11.03.2024 और दि.19.05.2025 के पत्र के माध्यम से मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया।

3. मप्पेडु में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास:

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से "मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों (एमएमएलपी) की स्थापना" के कार्यान्वयन हेतु प्रबंधन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल), चेन्नै पत्तन प्राधिकरण (सीएचपीए), तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) और रेलवे विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) जैसे हितधारकों के साथ विशेष उद्देश कंपनी (एसपीवी) का गठन किया जाएगा। एमएमएलपी अवसंरचना का विकास एक निजी डेवलपर द्वारा किया जाएगा। एनएचएलएमएल, विशेष उद्देश कंपनी "चेन्नै एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड" के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी है। एमएमएलपी की अनुमानित लागत रु.1423.50 करोड़ है (जिसमें रियायतग्राही द्वारा निवेश किए जाने वाले रु.782.58 करोड़ शामिल हैं)।

हितधारकों के बीच क्रमशः दि.12.10.2021 और दि.24.05.2022 को समझौता ज्ञापन और प्रथम पूरक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दि.26.05.2022 को आधारशिला रखी गई।

एमएमएलपी के विकास के लिए कुल क्षेत्रफल 180.69 एकड़ है, जिसमें मप्पेडु में चे.प.प्रा. की 120.46 एकड़ लीजहोल्ड भूमि शामिल है, जिसे सिपकाट से पट्टे पर लिया गया था; रेलवे यार्ड के लिए 24 एकड़ अधिग्रहण के तहत पार्सल-II के लिए तथा शेष 36.23 एकड़ आवश्यक भूमि पार्सल-I के लिए टिडको/तमिलनाडु सरकार की सहायता से अधिग्रहित की गई ।

दि.11.11.2022 को "डीबीएफओटी आधार पर मप्पेडु में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास, संचालन और अनुरक्षण" के लिए रियायत प्राप्तकर्ता मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नवी मुंबई को पुरस्कार पत्र (एलओए) जारी किया गया । दि.26.12.2022 को एसपीवी, चेन्नै एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड और रियायत प्राप्तकर्ता मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच रियायत समझौता निष्पादित किया गया । परियोजना की अवधि 45 वर्ष है (नियुक्त तिथि से निर्माण अवधि सहित) नियत तिथि दि.15.02.2024 को अधिसूचित की गई।

एमएमएलपी का विकास 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा:

- चरण - I: नियुक्त तिथि अर्थात फरवरी 2026 से 2 वर्ष
- चरण-II: नियुक्त तिथि अर्थात फरवरी 2034 से 10 वर्ष
- चरण-III: नियुक्त तिथि अर्थात फरवरी 2039 से 15 वर्ष

रियायतग्राही ने चरण-I विकास के अंतर्गत वेयरहाउस परिसरों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है।

बी. प्रमुख सड़क संपर्क परियोजनाएँ

1. चेन्नै पोर्ट से मदुरावोयल तक नई चार लेन एलिवेटेड सड़क (गतिशक्ति पहल के अंतर्गत):

चेन्नै पोर्ट से मदुरावोयल तक एलिवेटेड रोड परियोजना 2007 में तैयार की गई थी ताकि शहर की सड़कों को प्रभावित किए बिना, एनएच4 के माध्यम से चेन्नै पत्तन से भीतरी इलाकों तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। वर्ष 2011 में शुरू हुई बीओटी मॉडल के तहत शुरू की गई यह परियोजना मार्च 2012 में तमिलनाडु सरकार के हस्तक्षेप के कारण रुक गई थी। जल एवं वायु मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (सीपीए) के निरंतर प्रयास के बाद, तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के साथ संशोधित संरेखण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया। निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, एनएचएआई ने दि.23.07.2020 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि उनके सक्षम प्राधिकारी ने परियोजना को ईपीसी मोड पर शुरू करने की स्वीकृति दे दी है।

यह परियोजना 13 प्रवेश/निकास रैंपों वाली डबल-डेक एलिवेटेड सड़क के रूप में बनाई गई है, जो स्थानीय शहरी वाहनों के लिए टयर I और पोर्ट को जाने वाले वाहनों के लिए टयर II है। सड़क की लंबाई 20.935 किमी और चौड़ाई 4 लेन है। परियोजना की कुल पूंजी लागत रु.5510 करोड़ है। यह परियोजना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) परियोजनाओं के अंतर्गत

शामिल है। एक दि.16.05.2022 को तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री की उपस्थिति में एनएचएआई, तमिलनाडु सरकार, चे.प.प्रा और भारतीय नौसेना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दि.26.05.2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखी गई। दि.17.04.2023 को पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त हुई।

परियोजना के प्रस्तावक एनएचएआई, सीएचपीए और तमिलनाडु सरकार हैं। एनएचएआई कार्यान्वयन एजेंसी ने दि.31.07.2023 को ईपीसी मोड पर चार पैकेजों (I से IV) में मेसर्स जे.कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को जेवी में तथा एज़विर्ट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के साथ मुंबई (पैकेज I और IV) और मेसर्स जे.कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पैकेज II और III) के साथ संयुक्त उद्यम में कार्य प्रदान किया है। ठेके समझौते पर दि.11.09.2023 को हस्ताक्षर किए गए और नियत तिथि दि. 23.11.2023 से घोषित की गई है। पूरा होने की निर्धारित अवधि मई 2026 है। सभी चार पैकेजों में कार्य प्रगति पर है।

सी. अन्य प्रमुख परियोजनाएँ

I. पूर्ण परियोजनाएं:

1. चेन्नै पोर्ट में बर्थ संख्या 24बी (बीडी II) के बैकअप क्षेत्र में ट्रेलरों/ट्रकों के लिए बफर पार्किंग यार्ड का विकास: अनुमानित लागत: रु.52.85 करोड़ है (सिविल कार्य - रु.46.15 करोड़ और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कार्य - रु. 6.7 करोड़) (गति शक्ति पहल के तहत) (सागरमाला द्वारा वित्त पोषित परियोजना अनुदान रु.39.42 करोड़ है)

बर्थ संख्या 24बी (बीडी II), पूर्व ओर बर्थ के बैकअप क्षेत्र में ट्रेलरों/ट्रकों के लिए लगभग 84000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बफर पार्किंग यार्ड का विकास, जिसमें वर्षा जल निकासी-सह-केबल चेज़ सुविधाएं शामिल हैं, जैसा कि डोरमेट्री, ड्राइवरों के लिए शौचालय और स्नानघर, कैंटीन, कार्यालय स्थान, डीपीई बॉक्स जांच के लिए निर्धारित क्षेत्र, रीफर प्वाइंट, कंटेनर ट्रेलरों/ट्रकों के लिए मरम्मत कार्य केंद्र, एटीएम सुविधा, रोशनी, हाई मास्ट टावर, सीसीटीवी कैमरे, आरएफआईडी, पार्किंग के लिए स्लॉट का वैज्ञानिक आवंटन, गेट अपॉइंटमेंट सिस्टम - टर्मिनल ऑपरेटर के साथ एकीकरण - सॉफ्टवेयर, आदि।

दि.25.01.2023 को सिविल कार्यों के लिए रु.32.69 करोड़ की लागत से एलओए जारी किया गया और उसी ठेकेदार को रु.6.69 करोड़ की लागत से अतिरिक्त मात्रा/कार्य प्रदान किए गए। यार्ड का कार्य पूरा हो गया और दि.28.02.2024 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अतिरिक्त कार्य दि.28.02.2025 को पूरे हो गए।

2. **60 किलोग्राम सीएमएस डायमंड क्रॉसिंग के साथ मौजूदा डायमंड क्रॉसिंग का नवीकरण तथा दोहरी संहलाई से बचने के लिए सेंटर यार्ड को और कॉनकॉर यार्ड से सेंटर यार्ड तक सीधे प्रवेश और पश्चिमी यार्ड I और II में इंजन ऑन लोड अवधारणा के लिए शीर्ष वायरिंग के रूप में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण और आईपीआरसीएल के माध्यम से सेंटर यार्ड-II तक पूर्ण वायरिंग। (गतिशक्ति पहल के तहत) परियोजना लागत रु.7.22 करोड़ ।**

सीएचपीए ने विस्तृत प्राक्कलन और परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) तैयार करने के लिए आईपीआरसीएल को दि.24.01.2023 को एलओए जारी किया। कार्य दि.28.02.2025 को पूरा हुआ।

3. **ईई(सी)सीडीआई प्रभाग कार्यालय परिसर में 90 केएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। (परियोजना लागत रु.1.57 करोड़)**

पीवीए जेल मीडिया के साथ उन्नत एमबीबीआर तकनीक पर 90 केएलडी क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र के सर्वेक्षण, जांच, डिजाइन निर्माण कमीशनिंग और संचालन के लिए एकमुश्त दर ठेका को "चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के लिए ईई(सीडी)। सिविल अनुरक्षण कार्यालय परिसर के लिए और अगले 5 वर्षों के लिए सीवेज उपचार संयंत्र के परीक्षण" कार्य का निर्माण बागवानी/वृक्षारोपण कार्यों, कार्यों, धूल को दबाने के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव जैसे पीने योग्य उद्देश्यों के अलावा उपचार के बाद एकत्र अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने और सीएचपीए में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए किया गया था। चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के लिए एसटीपी 90 केएलडी आईएसओ 14001-2015 (ईएमएस) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक दायित्व सहित पर्यावरण मानकों की आवश्यकता को पूरा किया जाता है।

दि.20.01.2023 को रु.1 करोड़ के मूल्य पर एलओए जारी किया गया। कार्य दि.12.01.2025 को पूरा हुआ। 5 वर्षों के लिए संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) अवधि दि.17.01.2025 से शुरू हो गई है।

4. **शेष सिविल कार्यों के पूरा होने के लिए जोखिम और लागत ठेका ईई(सी) सीडी I डिवीजन में ई1 और ई4 वेयरहाउस में क्षतिग्रस्त एसीसी शीट को हटाकर उसकी जगह गैर-एस्बेस्टस नालीदार छत शीट लगाना। (अनुमानित लागत: रु.2.40 करोड़)।**

दिनांक 27.05.2024 को एलओए जारी किया गया।कार्य दि.06.12.2024 को पूरा हुआ। कुल परियोजना लागत रु.5.32 करोड़ है ।

5. **शेष सिविल कार्यों के पूरा होने के लिए जोखिम और लागत ठेका ईई(सी) सीडी I डिवीजन में जेडी I, जेडी III, जेडी V (उत्तर) में क्षतिग्रस्त एसीसी शीट को हटाकर गैर-एस्बेस्टस नालीदार छत शीट के साथ प्रतिस्थापित करना। (अनुमानित लागत: रु.1.95 करोड़)**

दि.15.05.2024 को एलओए जारी किया गया। कार्य दि.21.02.2025 को पूरा हुआ। कुल परियोजना लागत रु.4.41 करोड़ है ।

6. **शेष सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए जोखिम और लागत निविदासेंटर बर्थ, डब्ल्यूक्यू III ट्रांजिट शेड्स में क्षतिग्रस्त एसीसी शीट की छत को गैर-एसीसी शीट की छत से बदलना, सेंटर बर्थ, डब्ल्यूक्यू III और डब्ल्यूक्यू IV ट्रांजिट शेड्स में क्षतिग्रस्त फर्श को बदलना और नवीनीकरण कार्य। (अनुमानित लागत: रु.2.65 करोड़)**

दि.15.03.2024 को रु.3.15 करोड़ की लागत से एलओए जारी किया गया। कार्य दि.20.04.2025 को पूरा हुआ। कुल परियोजना लागत रु. 6.80 करोड़ है ।

7. **टेट्रापोड्स की कास्टिंग और प्लेसिंग में उत्तरी और पूर्वी ब्रेकवाटर को मजबूत करना (परियोजना लागत: रु.3.08 करोड़)**

दि.09.03.2024 को रु.2.25 करोड़ के मूल्य पर एलओए जारी किया गया। कार्य दि.22.11.2024 को पूरा हुआ।

8. **चेन्नै पोर्ट में गेट संख्या 1 से गेट संख्या 4 तक केबल चेज़ प्रदान करना। (परियोजना लागत: रु.3.43 करोड़)**

दि.27.10.2023 को रु.2.47 करोड़ के मूल्य पर एलओए जारी किया गया। कार्य दि.19.10.2024 को पूरा हुआ।

9. **चेन्नै पोर्ट के गेट संख्या 7 पर आरएफआईडी बैगेज स्कैनर आदि की सुविधा के साथ विश्राम गृह सह प्रवेश द्वार का निर्माण। (परियोजना लागत रु.1.61 करोड़)**

दि.13.12.2023 को रु.1.19 करोड़ के मूल्य पर एलओए जारी किया गया। कार्य पूरा हुआ और दि.16.02.2025 को चे.प.प्रा के अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किया गया।

10. **एनक्यू घाट की मरम्मत कार्य और समुद्री विश्राम आश्रय भवन का नवीनीकरण - बर्थिंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पोत के लिए दीर्घावधि आधार पर डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) को एनक्यू बर्थ का पट्टे पर देना, (परियोजना लागत रु.1.19 करोड़)**

दि.03.08.2023 को रु.68.47 लाख के मूल्य पर एलओए जारी किया गया। कार्य दि.24.12.2024 को पूरा हुआ।

11. **टी.एच. कॉलोनी में मौजूदा प्राथमिक विद्यालय भवन के सुधार कार्य हेतु ठेका। (परियोजना लागत रु.1.71 करोड़)**

24.02.2024 को रु.1.57 करोड़ के मूल्य पर एलओए जारी किया गया। कार्य दि.30.08.2024 को पूरा हुआ और 30.08.2024 को उद्घाटन किया गया।

12. **चेन्नै पोर्ट पर प्रवेश चैनल में उभरे हुए कैसन को हटाने सहित जेडी प्रवेश दीवारों की मरम्मत। (परियोजना लागत रु.5.63 करोड़)**

मेसर्स रैपिड कटिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दि.19.12.2024 को रु. 2,76,99,600/- के मूल्य पर एलओए जारी किया गया, कार्य दि. 21.02.2025 को पूरा हुआ।

13. **एडीएम कार्यालय कैंटीन, अस्पताल आदि से खाद्य / सब्जी / रसोई अपशिष्ट के लिए एडीएम कार्यालय कैंटीन के निकट 50 केपीडी बायो गैस संयंत्र उपलब्ध कराना, जिसमें 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षण भी शामिल है।** (परियोजना लागत रु.2.60 लाख)

दि.05.11.2024 को रु.2.26 लाख मूल्य पर एलओए जारी किया गया। कार्य दि.10.02.2025 को पूरा हुआ। संचालन एवं अनुरक्षण दि.21.04.2025 से शुरू हुआ।

14. **पुराने प्रशासनिक कार्यालय परिसर में एंकर डिस्प्ले संरचना का निर्माण।**(परियोजना लागत रु.13 लाख)

दि.22.01.2025 को रु.10.64 लाख की लागत से एलओए जारी किया गया। कार्य दि.11.04.2025 को पूरा हुआ और दि.14.04.2025 को उद्घाटन किया गया।

15. **चे.प.प्रा. अस्पताल प्रयोगशाला से तरल जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र प्रदान करना और स्थापित करना तथा ईटीपी के लिए जीआई शीट शेड प्रदान करना। (परियोजना लागत रु.8 लाख)**

दि.09.09.2024 को ₹5,79,820.32 के मूल्य पर एलओए जारी किया गया। कार्य दि. 02.05.2025 को पूरा हुआ।

II चालू परियोजनाएँ:

1. **चेन्नै पोर्ट में चार एक्जिम गोदामों का निर्माण और एक्जिम गोदामों के आसपास कंक्रीट सड़कों का विकास (परियोजना लागत: रु.73.91 करोड़)**

4 एक्जिम गोदामों (18,000 वर्ग मीटर) के निर्माण का प्रस्ताव है, जिसमें रिटेनिंग वॉल, भवन के चारों ओर सड़क, केबल चेज़ सहित विद्युत सबस्टेशन, विद्युतीकरण/प्रकाश व्यवस्था, गोदामों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल का निर्माण शामिल है। बोर्ड ने दिनांक 09.05.2023 के बीआर संख्या 31/2023-24 के तहत प्राक्कलित स्वीकृति की मंजूरी दे दी है। दि.25.10.2024 को ₹43.91 करोड़ (सिविल कार्यों के लिए) की लागत से एलओए जारी किया गया। माननीय पीएस एंड डब्ल्यू मंत्री द्वारा दि.04.11.2024 को आधारशिला रखी गई। कार्य प्रगति पर है। मई 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

2. **पक्के भंडारण यार्ड का विकास (चरण-II) (परियोजना लागत: रु.63.34 करोड़)**

मार्शलिंग यार्ड (65,600 वर्ग मीटर), जेडी (पूर्व) के दक्षिणी भाग में पक्के भंडारण यार्ड का विकास – 32,700 वर्ग मीटर, बोर्ड द्वारा 2024-25 की बीआर संख्या 111 के तहत अनुमोदित है रु.36.91 करोड़ की लागत से मेसर्स जेकेजी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को दि.03.02.2025 को एलओए जारी किया गया। कार्य प्रगति पर है। मई 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

3. चेन्नै पोर्ट पर मौजूदा क्रूज टर्मिनल में सुधार (परियोजना लागत: रु.22.04 करोड़)

एनबीसीसी को जमा राशि के आधार पर कार्य करने का कार्य सौंपा गया था, जिसके लिए चे.प.प्रा. और एनबीसीसी के बीच दि.14.03.2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दि.07.02.2025 को प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हुआ। एनबीसीसी ने समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रारंभिक जमा राशि का 10% दि.17.02.2025 को जारी करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, दि.13.03.2025 को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से रु.2,01,73,929/- की राशि जारी कर दी गई है। दि.20.03.2025 को रु.19,63,98,082.25 राशि की लागत पर कार्य सौंपा गया। कार्य प्रगति पर है। अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है।

4. नाविक क्लब का विकास (परियोजना लागत: रु.22.04 करोड़)

एनबीसीसी को जमा राशि के आधार पर कार्य करने का दायित्व सौंपा गया था, जिसके लिए सीएचपीए और एनबीसीसी के बीच दि.14.03.2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दि.21.02.2025 को प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हुआ। एनएनबीसीसी ने समझौता ज्ञापन के अनुसार दि.17.02.2025 को प्रारंभिक जमा राशि का 10% जारी करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, दि.13.03.2025 को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से रु.64,25,113/- की राशि जारी कर दी गई है। दि.09.04.2025 को रु.5,10,07,498.94 मूल्य का कार्य आवंटित किया गया । कार्य प्रगति पर है। दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है

5. टीएचसी में तूफानी नाले, सीवेज नाले, परिधीय परिसर की दीवार का निर्माण, पंप रूम सहित ओएचटी का नवीनीकरण, नाम पट्ट लगाना और फुटपाथ पर पत्थर बिछाना और अन्य मरम्मत कार्य। (परियोजना लागत: रु.5.79 करोड़)

रु.4.30 करोड़ के मूल्य पर दि.04.01.2024 को ठेका प्रदान किया गया। जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

6. पुराने हाइड्रोलिक पावर हाउस का हेरिटेज भवन के रूप में नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार (जमा कार्य) (परियोजना लागत: रु.5.25 करोड़)

रु.5.25 करोड़ के मूल्य पर तमिलनाडु लोक निर्माण विभाग को नामांकन के आधार पर कार्य सौंपने के लिए अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दि.30.01.2025 को प्राप्त हुई है। दि.03.02.2025 को एलओए जारी किया गया। दि.15.04.2025 को तमिलनाडु लोक निर्माण विभाग को रु.5.25 करोड़ की राशि जारी की गई।

7. औद्योगिक कैंटीन के पीछे की ओर 1,00,000 लीटर क्षमता वाले एलएलआर का निर्माण तथा बी कोय बिल्डिंग में स्थित मौजूदा ओएचटी का नवीनीकरण। (परियोजना लागत रु.44.50 लाख)

दि.18.11.2024 को रु.30,42,197/- के मूल्य पर एलओए जारी किया गया। कार्य प्रगति पर है। नवंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

8. बीडीआईआई में सेल टाइप फेंडर उपलब्ध कराना और लगाना (परियोजना लागत रु.1.65 करोड़)

दि.25.09.2024 को एलओए जारी किया गया। कार्य प्रगति पर है। दि.09.06.2025 को कार्य पूरा हुआ ।

9. गेट संख्या 6, 7 (रेलवे क्रॉसिंग के पास) और ईई (सी) सीडी-I डिवीजन में तटीय सड़क के किनारे में शौचालय ब्लॉक उपलब्ध कराना (परियोजना लागत रु.0.65 करोड़)

दि.12.06.2024 को एलओए जारी किया गया। कार्य प्रगति पर है । दि.25.06.2025 को कार्य पूरा हुआ ।

10. ईई(सी) सीडी-I प्रभाग में साउथ क्वे-I रोड पर टिम्बर पांड के पास मौजूदा ओएचटी के लिए नई डॉग लेग्ड सीढ़ी प्रदान करना और संरचनात्मक सदस्यों को मजबूत करना (परियोजना लागत रु.0.65 करोड़)

दि.25.01.2025 को एलओए जारी किया गया। कार्य प्रगति पर है । दि.19.08.2025 को कार्य पूरा हुआ ।

11. नेपियर ब्रिज के निकट चेन्नै पत्तन प्राधिकरण अधिकारी आवास के ए,बी,सी,डी,ई,एफ ब्लॉक, एचडी 1, एचडी2, एचडी3, एचडी4, एचडी 5 ब्लॉक में सेमी मॉड्यूलर किचन का कार्य उपलब्ध कराना। (परियोजना लागत रु.0.95 करोड़)

दि.04.03.2025 को रु.94,71,719.79 मूल्य का एलओए जारी किया गया। कार्य प्रगति पर है। नवंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है।

12. तेल डॉक पर अगिनशमन प्रणाली की वृद्धि

तेल डॉक बीडी-1 और बीडी-3 पर अग्निशमन प्रणाली को रु.35.41 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर 2017 के ओआईएसडी मानक 156 को पूरा करने के लिए उन्नत किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान रु.4.42 करोड़ का व्यय किया गया है। आईओसीएल ने निविदा आमंत्रित की है और इसके बाद मेसर्स को एलओए जारी किया गया है। दिनांक 11.08.2025 को सुरबी पाइल फाउंडेशन एवं जियो टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अग्निशमन पंप हाउस का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

III. भविष्य की परियोजनाएँ.

1. माल के प्रभावी प्रवेश और निकासी के लिए चेन्नै पोर्ट पर आंतरिक सड़क नेटवर्क का विकास। (अस्थायी परियोजना. लागत: रु.390 करोड़)

चेन्नै पोर्ट और मदुरावॉयल को जोड़ने वाली एलिवेटेड सडक का निर्माण पूरा होने से चेन्नै पोर्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए, पोर्ट को ज़्यादा कार्गो आकर्षित करने और उनकी तेज़ आवाजाही के लिए एक स्थायी और मज़बूत आंतरिक नेटवर्क सुविधा की ज़रूरत होगी। तदनुसार, चेन्नई पोर्ट ने "कार्गो के प्रभावी प्रवेश और निकासी के लिए चेन्नै पोर्ट पर आंतरिक सड़क नेटवर्क के विकास" हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु दि.08.08.2023 को एक तकनीकी सलाहकार, मेसर्स एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड, चेन्नै को नियुक्त किया और दि.12.09.2023 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

सलाहकार, मेसर्स एससिस्टम इंडिया लिमिटेड द्वारा फरवरी 2025 के दौरान अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें आंतरिक सड़क परियोजना को तीन चरणों में लागू करने की सिफारिश की गई है। परियोजना की कुल लागत रु.390 करोड़ है और निविदा आमंत्रण के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) को उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु पसंदीदा विकल्प माना गया है। उपरोक्त प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु तथा भारतमाला योजना के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु चेन्नै पोर्ट द्वारा जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है।

2. जेडी प्रवेश दीवार का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण (परियोजना लागत: रु.154.60 करोड़)

चे.प.प्रा. ने 15.03.2024 को मंत्रालय को एक पत्र भेजा जिसमें "चेन्नै पोर्ट पर जेडी प्रवेश दीवारों के सुदृढीकरण और उन्नयन" परियोजना को डीपीआर के साथ प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) के मूल्यांकन के लिए रु.154.60 करोड़ (जीएसटी सहित) के प्राक्कलित लागत पर मंत्रालय के विचार और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

सचिव (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) की अध्यक्षता में दि.25-10-2024 को हाइब्रिड मोड में प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) की बैठक आयोजित की गई। मंत्रालय से दि.16.12.2024 को डीआईबी की मंज़ूरी प्राप्त हुई। दि.03.01.2025 को एनआईटी जारी की गई। दि.04.03.2025 को निविदा खोली गई। एकल प्रस्ताव प्राप्त हुआ। मूल्यांकन प्रगति पर है।

3. चेन्नै पोर्ट पर तटीय घाट (लगभग 850 मीटर लंबाई) के पीछे मौजूदा रिवेटमेंट की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण (परियोजना लागत: रु.57.19 करोड़)

दि.18.08.2025 को एल ओ ए जारी किया गया। कार्य प्रगति मे है। मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

4. चेन्नै पोर्ट पर भारती गोदी में तेल जेटी 26बी (बीडीआई) और 27बी (III) का संबद्ध भवनों और नई पाइपलाइन ट्रेसल के साथ पुनर्वास। (परियोजना लागत: रु.25.34 करोड़)

एनटीसीपीडब्ल्यूसी ने दि.15.02.2025 को अंतिम रिपोर्ट बीओक्यू को सौंप दी है। अनुमान तैयार कर प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

4. सभी भूमि अभिलेखों का उत्परिवर्तन

भूमि अभिलेखों के म्यूटेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है और तमिलनाडु सरकार, राजस्व विभाग के साथ अनुनय-विनय के बाद, सर्वेक्षण किए गए 456 एकड़ भूमि क्षेत्र में से 425 एकड़ भूमि क्षेत्र के लिए पट्टा, पीएलआर अर्क और एफएमबी रेखाचित्र प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा, 2023 के दौरान तमिलनाडु सरकार के राजस्व विभाग द्वारा एक विस्तृत भूमि सर्वेक्षण किया गया और दि.04.08.2023 को चेन्नै जिला के राजपत्र में धारा 6(1) के तहत 545 एकड़ भूमि और जल को और 33.52 एकड़ भूमि के लिए म्यूटेशन (नाम सुधार) पुनः अधिसूचित किया गया जिसका नाम "चेन्नै पत्तन प्राधिकरण" के रूप में सही किया जाना है और चेन्नै जिला कलेक्ट्रेट द्वारा संसाधित किया जाना है। तमिलनाडु सरकार में इस भूमि क्षेत्र के लिए भूमि

अभिलेखों का म्यूटेशन प्रक्रियाधीन है। फिर भी पूरे भूमि चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के कब्जे में है और परिधीय परिसर की दीवार द्वारा संरक्षित है।

5. हरित पोर्ट पहल:

चे.प.प्रा. में समय-समय पर परिवेशी वायु गुणवत्ता, समुद्री जल, पेयजल और ध्वनि स्तर की निगरानी और परीक्षण की तैयारी की जाती है ।

चे.प.प्रा. में 40 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य दि.21.03.2023 को पूरा हो गया है। इसका संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) दि.14.06.2023 से दि.13.06.2028 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रगति पर है।

चे.प.प्रा. में 90 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण दि.18.11.2024 को पूरा हो गया है। 5 वर्षों की आगामी अवधि के लिए संचालन एवं अनुरक्षण कार्य (ओ एंड एम) दि.17.01.2025 से दि.16.01.2030 तक प्रगति पर है।

तोंडयारपेट कॉलोनी में 120 केएलडी क्षमता तथा चे.प.प्रा. के राजाजी सालै में 100 केएलडी क्षमता एसटीपी की स्थापना का प्रस्ताव जांच के अधीन है।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

- समय-समय पर विभिन्न वैधानिक मार्गदर्शन के अनुसार चे.प.प्रा. में विभिन्न पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी और परीक्षण।
- आईएसओ 14001-2015 प्रमाणन दि.04.04.2026 तक वैधता के साथ चे.प.प्रा को जारी किया गया।
- चे.प.प्रा. की परियोजनाओं के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में निर्धारित शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- समय-समय पर चे.प.प्रा. परियोजनाओं से संबंधित टीएनपीसीबी, सीपीसीबी और एमओईएफ और सीसी के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के लिए कैंटीन और भारी कार्यशाला सहित 18 बर्थों की संपूर्ण पोर्ट सुविधाओं को संचालित करने के लिए टीएनपीसीबी से दि.31 मार्च 2027 तक वैधता के साथ नवीकरण सहमति प्राप्त की गई।
- जब भी आवश्यक हो, चे.प.प्रा. की परियोजनाओं के लिए डीसीजेडएमए से सीआरजेड मंजूरी, तमिलनाडु सरकार से टीएनएससीजेडएमए और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मंजूरी प्राप्त करना।
- समय-समय पर चे.प.प्रा. अस्पताल को नवीकरण सहमति प्राप्त करना।
- चे.प.प्रा. की सड़कों और घाटों सहित यार्डों के रखरखाव के लिए रोड स्वीपिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है।
- ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत 13583 वृक्षारोपण का कार्य पूरा हो गया है। वृक्षारोपण का क्षेत्रफल कुल बंदरगाह क्षेत्र का 12% है।
- फॉग कैनन मशीन को चे.प.प्रा. सड़कों और यार्डों सहित घाटों के नियमित रखरखाव के लिए लगाया गया है।

- चे.प.प्रा. के एडीएम कार्यालय कैंटीन के निकट 50 केपीडी बायोगैस संयंत्र की स्थापना दि.10.02.2025 को पूरी हो गई है। इसका संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) 2 वर्ष की अवधि अर्थात दि.21.04.2025 से दि.20.04.2027 तक रहेगा।
- चेन्नै पत्तन प्राधिकरण अस्पताल में अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित किया गया।

6. स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए)

- स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए) या स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) को आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट, नई दिल्ली में भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
- चेन्नै पोर्ट भी 2016 से एसबीए को लागू कर रहा है ताकि शिपिंग मंत्रालय द्वारा 22 प्रमुख शीर्षकों के तहत पहचाने गए विभिन्न गतिविधियों को चलाकर पोर्ट परिसर को साफ और स्वच्छ रखा जा सके।
- इन गतिविधियों में घाट की सफाई, शेड और पोर्ट के सड़कों की सफाई और मरम्मत, परिचालन क्षेत्र में सभी शौचालय परिसरों का आधुनिकीकरण, सभी कार्यालय भवनों की रंगाई और सफेदी, अनावश्यक वनस्पति को हटाना आदि शामिल हैं।
- चेन्नै पोर्ट द्वारा निम्नलिखित राशि का उपयोग किया गया ।
  - i) वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए रु.731 लाख (रु.329 लाख के अनुदान सहित) ।
  - ii) वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए रु.340.32 लाख (रु.200 लाख के अनुदान सहित)।
  - iii) वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए रु.179.29 लाख (रु.200 लाख के अनुदान सहित) ।
  - iv) वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए रु.271.05 लाख, और राज्य मंत्री से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ ।
  - v) वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए रु.132.86 लाख, और राज्य मंत्री से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ ।
  - vi) वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए रु. 201.60 लाख (अनंतिम), और राज्य मंत्री से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ ।
  - vii) वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए रु.228.68 लाख ।
  - viii) वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए रु. 223.20 लाख (अनंतिम)।
  - ix) वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए रु.157.18 लाख ।

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण सभी शनिवारों को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हुए पोर्ट परिसर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए) को कार्यान्वयन किया जा रहा है।

अध्यक्ष

चेन्नै - 600 001 **चेन्नै पत्तन प्राधिकरण**

भारत के समुद्री अवसंरचना का मजबूतीकरण

तमिलनाडु के जोलारपेट में माल शेड सुविधा का उद्घाटन

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

भाग-II

लेखा पर से इतर सांख्यिकी
2024-25

लेखा पर से इतर सांख्यिकी

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1ए	पोर्ट की स्थलाकृति	73
1बी	भंडारण सुविधाएँ	74
1सी	बर्थ विवरण	75
1डी	प्लवनशील नाव	76
1ई	कार्गो सम्हलाई उपकरण	77
2ए	कुल आयात यातायात	78
2बी	कुल निर्यात यातायात	79
2सी	पिछले पाँच साल के दौरान संहाले गए पदार्थवार यातायात	80
3	कार्गो सम्हलाई के वितरण का विवरण	81
4	संहलाई की गई आयात कार्गो वितरण का विवरण	83
5	संहलाई की गई निर्यात कार्गो के अनुसार क्षेत्रवार विवरण	84
6	संहलाई किए गए कंटेनरों के प्रकार और संख्या	85
7ए	जहाजों की संख्या और उनका आकार	86
7बी	पिछले पाँच वर्षो के लिए प्रचलनात्मक संख्याकी	87
8	जहाजों का निष्पादन	88
9	पूर्व बर्थिंग विलंब के वितरण का विवरण	89
10	बर्थ गैर कार्य समय के वितरण का विवरण	90
11	बर्थ ग्रहण विवरण	91
12	कार्गो संहलाई उपस्करों की उपलब्धि	92
13	कार्गो संहलाई उपस्करों का उपयोग	93
14	कार्गो संहलाई उत्पादकता	94
15	कन्टैनरों का टेर भार	95
16	प्राप्त पदार्थ वार निर्यात	96

लेखा पर से इतर सांख्यिकी

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
17	भेजा गया पदार्थ-वार आयात कार्गो	97
18	पोर्ट में नियुक्ति	98
19	दुर्घटनाओं का विवरण	99
20	वित्तीय सूचक	100
21	प्लान योजनाओं पर पूँजी व्यय	101

तालिका सं.1 (ए)
महत्वपूर्ण पोर्ट सांख्यिकी
पोर्ट की स्थलाकृति

स्थान		प्रवेश मार्ग			चक्रन सर्कल		डॉक/पोर्ट का प्रकार
आक्षांश	देशांतर रेखा	लंबाई (मीटर)	न्यूनतम गहराई (मीटर)	न्यूनतम चौढाई (मीटर)	संख्या	डयामीटर (मीटर)	
13^0 06' उ	80^0 18' पू	करीब 7000 मी.	भीतरी चेनल 18.6 एम. सीडी से नीचे बाहरी चेनल 19.2 मी. सीडी से नीचे	मुडने वाले स्थान पर क्रमिक 244 मी. से 410 मी. तक बढता जाता है फिर लगातार 305 मी. चौढाई का अनुरक्षण किया जाता है।	1 (बाहरी हारबर)	560	सभी मानसूनी अप्राकृतिक बंदरगाह और वेट डॉक सहित एक भीतरी बंदरगाह तथा बोट बेसिन तथा सूखा डॉक के साथ 24 घंटे नौचानल सुविधाएँ होती हैं।

तालिका सं.1 (बी)
महत्वपूर्ण पोर्ट सांख्यिकी
पोर्ट में भंडारण सुविधाएँ

प्रकार	सूखा भंडारण आवास			द्रव भंडारण टंकी				कन्टैनर			टिप्पणी
	संख्या	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	पोर्ट के भीतर पोर्ट के बाहर स्थान	संख्या	पोर्ट के भीतर पोर्ट के बाहर स्थान	क्षमता (के. / टन)	कार्गो के प्रकार	संख्या	पोर्ट के भीतर पोर्ट के बाहर स्थान	क्षमता / क्षेत्र (वर्ग मीटर)	
ए) पोर्ट का											
ए) कवरड											
i) ट्रांजिट शैड	4	12131	पोर्ट के अंदर	-	-	-	-	-	-	-	1.डब्ल्यू क्यू-III, 2.डब्ल्यू क्यू-IV, 3.सेंटर बर्थ, 4.खतरनाक कार्गो शेड
ii) वेयर हॉउस / एक्जिम गोदाम	16	60602	पोर्ट के अंदर	-	-	-	-	-	-	-	1. जेडी-I, 2. जेडी-III, 3. जेडी-V(उ), 4. जेडी-V(द), 5.एम1, 6.एम2, 7.ई1, 8.ई4, 9.पुराना चौकनी, 10. पुराना एमएसडी, 11. सुपीरियर पूर्व पार्ट 1 व 2, 12. सुपीरियर पूर्व पार्ट 3 व 4, 13. पश्चिम शेड 14. खतरनाक कार्गो शेड 15. एक्जिम गोदाम (पू.) 16. एक्जिम गोदाम (प.)
कुल कवरड क्षेत्र		**72733**									
बी) खुला	-	**1333415**	पोर्ट के अंदर	-	-	-	-	-	-	-	
बी) आबंटित क्षेत्र व रिक्त											
ए) कवरड											
i) ट्रांजिट शेड	-	1710	पोर्ट के अंदर	-	पोर्ट के अंदर	-	-				
ii) वेयर हॉउस	-	19466	पोर्ट के अंदर	-	पोर्ट के अंदर	-	-				
iii) रिक्त क्षेत्र	-	51557									
कुल कवरड क्षेत्र	-	72733	पोर्ट के अंदर	37	पोर्ट के अंदर क्षेत्र I	188128.00	खाद्य तेल, सीबीएफएस, ईंधन तेल	-	-	-	
बी) खुला											
i) आबंटित क्षेत्र	-	271197		47	पोर्ट के अंदर क्षेत्र IV	150434.00	फास्फोरिक एसिड खाद्य तेल, गैर खतरनाक द्रव कार्गो	-	-	-	
ii) रिक्त क्षेत्र ट्रांसिट 303235	-	496689	पोर्ट के अंदर पोर्ट के अंदर		पोर्ट के अंदर						
iii) अन्य खुला क्षेत्र ट्रांसिट - 303235		565529	पोर्ट के अंदर		पोर्ट के अंदर						तट रक्षक : 1660 व.मी., कॉनकोर : 13750 व.मी., भारतीय नौसेना : 3253.60 व.मी., सीमाशुल्क : 20000 व.मी., सीसीटीपीएल: 250700 व.मी., सीआईटीपीएल: 276165 व.मी.
लंबी अवधि पट्टा/ लाइसेंस - 565528.60	-										
iv) कुल खुला क्षेत्र	-	**1333415**	पोर्ट के अंदर		पोर्ट के अंदर	336582.00					

तालिका सं. 1(सी)
महत्वपूर्ण पोर्ट सांख्यिकी
बर्थ विवरण

क्रम सं.	बर्थ	प्रकार	रेटड क्षमता (एमटीपीए)	ऑग आकुपन्सी में क्षमता (एमटीपीए)*	अनुसूचित गहराई (मीटर)	की लंबाई (मीटर)	टिप्पणी
डॉ. अम्बेडकर डॉक :							
1	19ए - एनक्यू	यात्री/सामान्य/द्रव बल्क	1.0	0.7	8.50	198.00	
2	18ए - डब्ल्यूक्यू-1	सामान्य/रो-रो/द्रव बल्क	1.4	0.9	11.00	170.60	
3	17ए - डब्ल्यूक्यू-2	सामान्य/रो-रो/द्रव बल्क	1.5	1.0	12.00	170.60	
4	16ए - सीबी	सामान्य/खाद्यान्न	2.2	1.5	12.00	170.60	
5	15ए - डब्ल्यूक्यू-III	सामान्य/खाद्यान्न	2.7	1.9	12.00	170.60	
6	14ए - डब्ल्यूक्यू-IV	सामान्य/यात्री	2.7	1.9	11.00	170.60	11मी से 795 मी तक व 9.5मी से 810 मी तक
7	13ए - एसक्यू-1	सामान्य/सूखा थोक	2.6	1.8	9.50	246.60	
8	6ए - एसक्यू -II	सामान्य/सूखा थोक/द्रव थोक	1.4	1.0	9.50	179.00	
जवाहर डॉक :							
9	12जे - जेडी-1	सूखा थोक/सामान्य	4.2	2.9	12.50	218.33	
10	11जे - जेडी -3	सूखा थोक/सामान्य	4.3	3.0	13.00	218.33	
11	10जे - जेडी-5	सूखा थोक/सामान्य	3.1	2.2	13.00	218.33	
12	07जे -जेडी-2	सूखा थोक/द्रव थोक/सामान्य	4.4	3.1	14.00	218.33	
13	08जे -जेडी-4	सूखा थोक/द्रव थोक/सामान्य	2.8	2.0	14.00	218.33	
14	09जे - जेडी-6	सूखा थोक/द्रव थोक/सामान्य	3.3	2.3	12.50	218.33	
भारती डॉक :							
15	26बी - बीडी1	पीओएल	6.7	4.7	14.60	355.65	
16	24बी - बीडी II	पीओएल/अन्य द्रव	2.8	2.0	16.50	382.00	
17	27बी - बीडी III	पीओएल	25.7	18.0	16.50	307.10	हाई वाटर के दौरान 17.0 मी.
चेन्नै कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लि. (टर्मिनल - I)							
18	20बी - सीटीबी 1	कंटेनरस	31.3	26.5	13.40	200.00	
19	21बी - सीटीबी 2	कंटेनरस			13.40	200.00	
20	22बी - सीटीबी 3	कंटेनरस			13.40	200.00	
21	23बी - सीटीबी 4	कंटेनरस			15.00	285.00	
चेन्नै अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल प्राइवेट लि. (टर्मिनल - II)							
22	5 ए - एससीबी 1	कंटेनरस	29.5	25.1	15.00	275.00	पोर्ट के दोनो तरफ 12.5 मीटर से आगे सहित
23	4ए - एससीबी 2	कंटेनरस			15.00	270.00	
24	3 ए - एससीबी 3	कंटेनरस			15.00	287.00	
भारती डॉक पर नए बर्थ							
25	01 बी - सीबी 1	तटीय कार्गो जिसमें अनाज, दालें, लोहा और इस्पात, धातु स्क्रैप, पत्थर, लकड़ी आदि शामिल हैं।	1.0	0.7	11.00	130.00	
26	02बी - सीबी 2	तटीय कार्गो जिसमें अनाज, दालें, लोहा और इस्पात, धातु स्क्रैप, पत्थर, लकड़ी आदि शामिल हैं।			10.00	130.00	
27	25बी - बंकर बर्थ		1.0	0.7	9.00	180.00	
		कुल	135.6	103.9			

* कंटेनर बर्थ के लिए वांछित अधिभोग 85% और गैर कंटेनरीकृत बर्थ 70%

तालिका सं. 1(डी)
महत्वपूर्ण पोर्ट सांख्यिकी
प्लवनशील नाव

क्र.सं.	क्राफ्ट का नाम		क्षमता
	ए-ड्रेजर्स		
	बी-टग	बोलार्ड पुल (टन)	बीएचपी
1	ओशन फेम (किराए पर)	35	2 x 1800
2	सीलयन अडमिरल (किराए पर)	50	2 x 2500
3	ओशन बल्सि (किराए पर)	60	2 x 2682
	सी -पायलट लाँच		
1	एबीएस रोहिनी (किराए पर)		2 x 700
2	एसएचएम XI के.औ.सु.ब. पाटरोल बोट (किराए पर)		2 x 225
3	पूमारिचन (स्वामित्व)		2 x 603
	डी- जहाज/बोट सर्वेक्षण		
	ई-मूरिंग लाँच		
1	मुल्लै (स्वामित्व)		1 x 125
	एफ-वहु प्रयोजन बंदरगाह		
1	ओआरवी मरुदम (स्वामित्व)		2 x 395

तालिका सं. 1(ई)
महत्वपूर्ण पोर्ट सांख्यिकी
कार्गो सम्हलाई उपकरण

विवरण	संख्या
डीजल इलेक्ट्रिक लोको	
i) 700 एच पी	7

तालिका सं. 2 (ए)

वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख पदार्थों की सम्हलाई के अनुसार कुल आयात यातायात

(टनों में)

क्र.सं. (1)	पदार्थ (2)	समुद्र (3)	तटीय (4)	कुल (5)
1	कंटेनर	**17,575,120**	**1,097,186**	**18,672,306**
2	अन्य ब्रेक थोक	**1,457,024**	**0**	**1,457,024**
3	सूखा थोक:			
	ए) पासफेट	201,000		201,000
	बी) रसायनिक खाद			-
	सी) सल्फर	21,240		21,240
	डी) अन्य	277,788	1,072,553	1,350,341
	कुल सूखा थोक	**500,028**	**1,072,553**	**1,572,581**
4	द्रव थोक:			
	ए) लूब्रिकेंटस			-
	बी) अन्य खनिज तेल	9,221,482	2,293,059	11,514,541
	सी) पाम तेल	476,499		476,499
	डी) सूरजमुकी तेल	679,770		679,770
	ई) सोयाबीन तेल	6,000	-	6,000
	एफ) अन्य	84,275	124,353	208,628
	कुल द्रव थोक	**10,468,026**	**2,417,412**	**12,885,438**
	कुल (1 से 4)	**30,000,198**	**4,587,151**	**34,587,349**
	कुल आयात यातायात			**34,587,349**

तालिका सं. 2 (बी)

वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख पदार्थों की सम्हलाई के अनुसार

कुल निर्यात यातायात

(टनों में)

क्र.सं. (1)	पदार्थ (2)	समुद्र (3)	तटीय (4)	कुल (5)
1	**कंटेनर**	**15,450,055**	**965,367**	**16,415,422**
2	**अन्य ब्रेक थोक**	**599,058**	**3,203**	**602,261**
3	**सूखा थोक:**			
	ए) खाद्यान्न			-
	बी) बेराइटस	626,080		626,080
	सी) अन्य	284,200	19,590	303,790
	कुल सूखा थोक	**910,280**	**19,590**	**929,870**
4	**द्रव थोक:**			
	ए) लूब्रिकेंटस	9,090		9,090
	बी) अन्य खनिज तेल	1,847,901	567,181	2,415,082
	सी) अन्य	2,438		2,438
	कुल द्रव थोक	**1,859,429**	**567,181**	**2,426,610**
	कुल (1 - 4)	**18,818,822**	**1,555,341**	**20,374,163**
	कुल निर्यात यातायात			**20,374,163**

तालिका सं. 2 (सी)

पिछले पाँच साल के दौरान संहाले गए पदार्थवार यातायात

('000 टनों में)

पदार्थ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
द्रव थोक					
पीओएल - क्रूड	8180	9192	11365	11394	10301
उत्पादक	2049	2658	2783	3350	3638
खाद्य तेल	874	960	1219	1237	1162
रसायन	120	130	119	129	112
अन्य द्रव	45	65	76	61	99
कुल द्रव थोक	11268	13005	15562	16171	15312
कंटेनर					
सी सी टी एल	10404	14095	12730	14246	16836
सी आई टी पी एल	16361	16828	15641	16424	17828
अंदरी हारबर	3	2	6	8	424
कुल कंटेनर	26768	30925	28377	30678	35088
सूखा थोक					
पेल्लेटस	33	0	113	827	860
बेराइट्स	380	850	793	869	626
उर्वरक फिनिशड	135	0	0	0	0
उर्वरक कच्चा	202	268	280	289	222
मैंज	62	84	32	0	0
डोलोमाइट	142	56	70	143	72
औद्योगिक नमक	53	45	122	70	90
जिप्सम	145	188	347	214	0
लाइमस्टोन	1770	73	12	8	10
कोबल स्टोन	130	202	174	205	172
कच्चा चीनी	0	0	0	0	23
सिलिका सेंड	86	87	152	90	83
स्क्रेप	30	106	1088	122	221
लेटराइट	0	422	0	43	57
फ्लोरस्पार	0	0	0	0	14
अन्य सूखा थोक कार्गो	25	20	6	51	52
कुल सूखा थोक	3193	2401	3189	2931	2502
ब्रेक थोक					
ग्रानाइट	33	78	61	87	180
लोहा व इस्पात	1900	1400	984	1205	1239
सिमेंट	5	15	1	0	2
परियोजना कार्गो	155	191	285	191	208
रो-रो	175	227	304	273	238
अन्य/विविध	56	322	186	62	192
कुल ब्रेक थोक	2324	2233	1821	1818	2059
महायोग	43553	48564	48949	51598	54961

तालिका सं. 3

वर्ष 2024-25 के दौरान पताकावार कार्गो सम्हलाई के वितरण का विवरण

('000 टनों में)

क्रम सं.	राष्ट्रीयता	कार्गो जहाज	कार्गो टनेज		
			आयात	निर्यात	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	विदेशी				
1	इण्डियन	71	4,305	1,518	5,823
2	अमेरिकन	4	29	-	29
3	एंटीगुआ और बारबुडा	28	101	29	130
4	बहामास	29	150	62	212
5	बांग्लादेश	1	10	-	10
6	बारबाडोस	13	276	17	293
7	बेलीज़	2	14	-	14
8	चीन	61	1,872	1,702	3,574
9	कोमोरस	5	-	4	4
10	कुक द्वीपसमूह	11	922	-	922
11	साइप्रस	14	218	223	441
12	डेनमार्क	15	133	79	212
13	डोमिनिका	1	-	1	1
14	गैबॉन	2	240	-	240
15	जर्मनी	5	144	88	232
16	जिब्राल्टर	2	-	2	2
17	ग्रीस	4	698	-	698
18	हांग कांग	149	3,556	3,010	6,566
19	इंडोनेशिया	12	206	79	285
20	इसले ऑफ मेन	3	29	60	89
21	इटली	1	15	-	15
22	कोरिया	45	905	788	1,693
23	लाइबेरिया	94	1,576	1,203	2,779
24	लक्ज़म्बर्ग	2	-	2	2
25	मलेस्सिया	1	10	3	13
26	माल्टा	13	703	335	1,038
27	मार्शल द्वीपसमूह	86	1,637	1,465	3,102
28	नीदरलैंड	9	13	2	15
29	नॉर्वे	3	21	-	21
30	पाकिस्तान	1	19	-	19
31	पलऊ	4	241	41	282
32	पनामा	290	3,696	1,556	5,252
33	फ़िलिपींस	4	17	4	21
34	पुर्तगाल	34	536	558	1094
35	रूसी	7	100	2	102

तालिका सं. 3 (जारी..)

वर्ष 2024-25 के दौरान पताकावार कार्गो सम्हलाई के वितरण का विवरण

('000 टनों में)

क्रम सं.	राष्ट्रीयता	कार्गो जहाज	कार्गो टनेज		
			आयात	निर्यात	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	विदेशी				
36	सेंट किट्स और नेविस	4	11	1	12
37	सेंट विंसेंट	1	10	-	10
38	साओ तोमे और प्रिंसिपे	1	5	-	5
39	सिएरा लियोन	3	243	-	243
40	सिंगापूर	217	6,963	5,878	12,841
41	थाईलैंड	11	123	62	185
42	तुवालु	5	26	11	37
43	संयुक्त अरब अमीरात	1	-	1	1
44	युनाइटेड किंगडम	1	6	-	6
45	वानुअतु	1	-	1	1
46	वियतनाम	12	221	32	253
	कुल	**1,283**	**30,000**	**18,819**	**48,819**
	तटीय				
1	इंडिया	304	3,514	1,538	5,052
2	एंटीगुआ और बारबुडा	3	17	-	17
3	बाहामास	3	118	-	118
4	बांग्लादेश	4	2	5	7
5	बेलाइज	2	-	1	1
6	कुक द्वीप	2	14	-	14
7	डेनमार्क	1	31	-	31
8	कोरिया	3	24	-	24
9	लाइबेरिया	8	263	-	263
10	माल्टा	2	88	-	88
11	मार्शल द्वीपसमूह	4	135	-	135
12	पनामा	24	244	11	255
13	फ़िलिपींस	2	13	-	13
14	पोरतूगल	1	35	-	35
15	सिंगापुर	4	19	-	19
16	तुवालु	1	8	-	8
17	वियतनाम	3	62	-	62
	कुल	**371**	**4,587**	**1,555**	**6,142**
	महायोग	**1,654**	**34,587**	**20,374**	**54,961**

तालिका सं. 4

वर्ष 2024-25 के दौरान मूल के अनुसार सम्हलाई की गई आयात कार्गो वितरण का विवरण (टनों में)

क्र. सं.	मूल	संहलाई किए गए पदार्थ				कुल
		सूखा थोक	द्रव थोक	ब्रेक बल्क	कंटेनर्स	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	तटीय	1,072,553	2,922,248	–	1,097,186	5,091,987
2	यू.एस.ए	30,001	–	–	–	30,001
3	सी आई एस *	–	2,945,628	5,509	–	2,951,137
4	जापान	81,194	–	91,193	–	172,387
5	जर्मनी	–	–	–	–	–
6	पश्चिम यूरोप	–	–	710	–	710
7	दक्षिण अमेरिका	–	99,729	–	–	99,729
8	पूर्वी यूरोप	–	–	–	–	0
9	पूर्वी आफ़रिका	19,000	129,779	–	–	148,779
10	पश्चिमी आफ़रिका	182,000	133,579	–	–	315,579
11	दक्षिण आफ़रिका	–	2,965	–	–	2,965
12	कनडा	11,968	–	–	–	11,968
13	फिनलैंड	–	28,469	–	–	28,469
14	अन्य दक्षिण पूर्वी एशिया देश	41,892	565,613	256,293	–	863,798
15	अन्य	133,969	5,936,487	1,121,090	–	7,191,546
16	विदेशी कंटेनर कार्गो	–	–	–	17,575,120	17,575,120
	कुल	1,572,577	12,764,497	1,474,795	18,672,306	34,484,175

*सीआईएस - स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल

तालिका सं. 5

वर्ष 2024-25 में गंतव्य के अनुसार संभाला गया निर्यात कार्गो का वितरण

(टनों में)

क्र. सं.	स्थान	संहलाई किए गए पदार्थ				कुल
		सूखा थोक	द्रव थोक	ब्रेक थोक	कंटेनर्स	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	तटीय	19,500	791,272	3,567	965,367	1,779,706
2	यू एस ए	225,064		15,677		240,741
3	सी आई एस *			179		179
4	जापान		38,500	206		38,706
5	जर्मनी			18,588		18,588
6	पश्चिमी यूरोप	26,637		50,615		77,252
7	दक्षिण अमेरिका	6,100		38,658		44,758
8	पूर्वी यूरोप			12,202		12,202
9	पूर्वी आफ़रिका			17,579		17,579
10	पश्चिमी आफ़रिका			9,154		9,154
11	दक्षिण आफ़रिका		77,000	59,801		136,801
12	कनडा			3,712		3,712
13	उत्तरी यूरोप			1,207		1,207
14	क्रोअटीया			2,990		2,990
15	अन्य दक्षिण पूर्वी एशिया देश	112,500	104,437	32,527		249,464
16	अन्य	539,980	1,541,000	298,719		2,379,699
17	विदेशी कंटेनर कार्गो				15,450,055	15,450,055
	कुल	**929,781**	**2,552,209**	**565,381**	**16,415,422**	**20,462,793**

*सीआईएस - स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल

तालिका सं. 6

वर्ष 2024-25 के दौरान संहलाई किए गए कन्टेनरों के प्रकार और संख्या

वर्ग	प्रकार	20फीट सामान्य (रीफर)	40फीट सामान्य (रीफर)	45फीट सामान्य (रीफर)	कुल (टी ई यूस) सामान्य (रीफर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ए) आयात	एफ सी एल	297,442 (1,489)	280,140 (5,168)	182 (-)	858,086 (11,825)
	एल सी एल	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	खाली	14,948 (-)	14,482 (-)	3 (-)	43,918 (-)
	कुल (ए)	**312,390 (1,489)**	**294,622 (5,168)**	**185 (-)**	**902,004 (11,825)**
(बी) निर्यात	एफ सी एल	140,194 (1,040)	102,092 (9,202)	17 (-)	344,412 (19,444)
	एल सी एल	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	खाली	139,402 (-)	146,665 (-)	125 (-)	432,982 (-)
	कुल (बी)	**279,596 (1,040)**	**248,757 (9,202)**	**142 (-)**	**777,394 (19,444)**
(सी) ट्रान्सिशिपमेंट	लोड	73,792	8,482	-	90,756 (-)
	खाली	6,184	1,561	-	9,306 (-)
	कुल (सी)	**79,976**	**10,043**	**-**	**100,062 (-)**
(डी) शिफ्टिंग					
	आयात	1072	1286	-	3,644 (-)
	निर्यात	1072	1286	-	3,644 (-)
	कुल (डी)	**2144**	**2572**	**-**	**7,288 (-)**
(ई) कुल (ए+बी+सी+डी)		674,106 (2,529)	555,994 (14,370)	327 (-)	1,786,748 (31,269)

तालिका सं. 7 (ए)

वर्ष 2024-2025 के दौरान संहाले गए जहाजों की संख्या और उनका आकार

(टनों में)

क्र. सं.	वर्ग	जहाजों की संख्या	आकार		
			एन आर टी	जी आर टी	डी डाबल्यू टी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कार्गो परिचालन हेतु जहाज				
	कंटेनर				
	सेलुलर कांबी केरियर्स कंटेनर स्थिति जहाज	822	8,916,624	18,813,959	22,978,087
	ब्रेक थोक केरियर्स	254	2,564,333	6,025,626	5,843,164
	सूखा थोक				
	कन्वेंशनल	92	1,336,093	2,342,248	3,935,347
	यांत्रीकृत	-	-	-	-
	द्रव थोक				
	क्रूड	94	4,421,510	7,358,644	13,595,033
	उत्पादन	208	2,002,090	4,517,919	7,221,991
	रसायन	19	80,709	163,698	262,422
	वनस्पति	114	833,499	1,846,397	2,948,312
	अन्य	19	55,240	134,992	184,132
	कुल (ए)	1,622	20,210,098	41,203,483	56,968,488
2	यात्री जहाज (बी)	12	35,297	109,634	29,637
3	अन्य (सी) टूरिस्ट	20	499,508	921,522	94,713
	महा योग (ए+बी+सी)	1,654	20,744,903	42,234,639	57,092,838

* बंकरिंग, नौसेना मरम्मत तथा सर्वेक्षण जैसे गैर कार्गो जहाज रहित

तालिका सं. 7 (बी)

पिछले पाँच वर्षों के लिए प्रचलनात्मक सांख्यकी

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	कार्गो जहाजों की संख्या	1315	1444	1616	1579	1654
2	गैर- कार्गो जहाजों की संख्या	621	773	1113	1088	895
3	संहलाई किए गए कार्गो (टनों में)					
	आयात	27659019	29970148	32283035	33341389	34587349
	निर्यात	15894306	18594314	16666179	18256515	20374163
	कुल	43553325	48564462	48949214	51597904	54961512
4	पी बी डी औसत (घंटो में) -पोर्ट खाते	0.82	0.76	0.81	0.33	0.08
5	पी बी डी औसत (घंटो में) - ओवरआल	1.41	1.45	0.81	0.33	16.59
6	टी आर टी औसत (दिनों में) -पोर्ट खाते	1.72	1.76	1.58	1.51	1.69
7	टी आर टी औसत (दिनों में) - ओवरआल	2.17	2.25	2.00	1.87	2.03
8	औसत पार्सल साइज	33190	33505	30299	32673	33113
9	औसत जहाज बर्थ डे औटपुट (टनों में)	15928	15497	15672	18728	16872
10	आवरआल बर्थ आकुपन्सी (% में)	35.90	44.62	42.10	41.90	46.11
11	तटीय पेसंजर जहाज की संख्या	5	1	51	44	28
12	विदेशी यात्री जहाज की संख्या	0	0	3	1	4
13	कंटनराइस्ड कार्गो (टीईयूस)	1386926	1602319	1470305	1589540	1818017
14	कारों/ट्रकों की संख्या	133562	170482	231412	214758	183069
15	कार्गो का मॉडल परिवहन (मिलियन टन में)					
	रेल द्वारा	4.48	2.69	1.50	1.29	1.07
		(10.30%)	(5.54%)	(3.07%)	(2.49%)	(1.95%)
	सडक द्वारा	28.93	34.14	33.25	34.49	36.82
		(66.43%)	(70.29%)	(67.93%)	(66.85%)	(66.99%)
	पाइपलाइन्स द्वारा	10.14	11.73	14.20	15.82	15.00
		(23.27%)	(24.17%)	(29.00%)	(30.66%)	(27.29%)

तालिका सं. 8

वर्ष 2024-25 के दौरान जहाजों का निष्पादन

क्र. स.	विवरण		कंटेनर	ब्रेक थोक	सूखा थोक		द्रव थोक	कुल
					यांत्रिक	कन्वेंशनल		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	जहाजों की संख्या		822	286	-	92	454	1654
2	संहलाया गया कार्गो	'(टनों में)	35,087,728	2,020,866	-	2,555,989	15,104,427	54,769,010
3	औसत टर्न राउंड समय - पोर्ट लेखा	(घंटों में)	35.92	37.22	-	68.89	44.99	40.47
4	औसत टर्न राउंड समय - ओवरआल	(घंटों में)	41.64	49.48		80.85	54.60	48.73
5	बर्थ में ठहरने का औसत	(घंटों में)	40.21	47.73	-	78.47	52.83	47.10
6	औसत कार्य समय	(घंटों में)	34.26	34.40	-	65.43	43.08	38.44
7	पूर्व बर्थिंग का औसत	(घंटों में)	0.07	0.07	-	0.07	0.09	0.08
8	गैर कार्य समय का औसत	(घंटों में)	5.94	13.33	-	13.05	9.76	8.66
9	पार्सल आकार का औसत	'(टनों में)	42,686	7,066	-	27,782	33,270	33,113
10	प्रति जहाजों का औसत उत्पादन	'(टनों में)	25,480	3,553	-	8,497	15,113	16,872
11	बर्थ में गैर-कार्य समय की प्रतिशतता		14.78	27.93	-	16.63	18.47	18.39

टिप्पणी : बंकरिंग, नौसेना, मरम्मत, सर्वे जहाज जैसे गैर कार्गो जहाज शामिल नहीं है

तालिका सं. 9

वर्ष 2024-25 के दौरान कारणवार पूर्व बर्थिंग विलंब के वितरण का विवरण

क्र. सं.	जहाजों के प्रकार	जहाजों की सं	कारण (घंटों में)								
			अप्राप्तता			स्ट्राइक/ काम में रुकावट	नेवीगेशन	ड्राफ्ट रोध	जहाज लेख/ एजेंटों का विकल्प	अन्य	कुल (कॉ. 4 to 11)
			बर्थ	टग/क्राफ्ट	पाइलट/क्रू						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	कंटेनर	822	–	–	–	–	59.36	–	9413.97	–	9473.33
2	ब्रेक थोक	286	–	–	–	–	20.78	–	1375.93	–	1396.71
3	सूखा थोक										
	ए यांत्रिक प्रचालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	बी कन्वेनशनल प्रचालन	92	–	–	–	–	6.07	–	651.33	–	657.40
4	द्रव थोक	454	–	–	–	–	40.81	–	15866.27	–	15907.08
	कुल	1654	–	–	–	–	127.02	–	27307.50	–	27434.52

बंकरिंग नौसेना मरम्मत और सर्वेक्षण जहाज जैसे गैर कार्गो जहाज इसमें शामिल नहीं है

तालिका सं.10

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक के दौरान कारणवार बर्थ गैर कार्य समय के वितरण का विवरण

(घंटों में)

क्र. सं.	जहाजों के प्रकार	जहाजों की सं	बर्थ का अप्राप्तता	कामगारों की हाजिरी	उपस्करों की अनुपलब्धता	उपस्कर रुकावट	शेड में भीड़-भीड़	कार्गो अनुपलब्धता	स्ट्राइक/ काम में रुकावट	मौसम स्थिति	बिजली रुकावट	हेटच ओपनिंग/ क्लोसिंग	सैलिंग हेतु प्रतीक्षा	एजंट का विकल्प/ जहाजों लेखा	अन्य	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	ब्रेक थोक	286	0.00	137.32	2.23	0.00	0.75	19.46	0.92	221.80	0.50	199.72	365.78	438.46	2425.71	3812.65
2	सूखा थोक															
	ए यांत्रिक प्रचालन	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बी कन्वेनशनल प्रचालन	92	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	111.44	0.00	72.22	109.09	232.08	591.08	1200.29
3	द्रव थोक	454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67	274.81	469.27	1144.76	2526.61	4430.12
	कुल	832	0.00	213.20	2.23	0.00	0.75	27.96	0.92	333.24	15.17	546.75	944.14	1815.30	5543.40	9443.06

कंटेनर जहाज के अलावा

तालिका सं.11

वर्ष 2024-25 के दौरान बर्थ ग्रहण विवरण

क्र. सं.	बर्थ	दिनों की संख्या उपलब्ध	दिनों की संख्या बर्थ ग्रहण	बर्थ ग्रहण प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डॉ अम्बेडकर डॉक :				
1	उत्तरी क्वे	365	102	27.9
2	पश्चिमी क्वे - I	365	155	42.5
3	पश्चिमी क्वे - II	365	117	32.1
4	सेन्टर क्वे	365	60	16.4
5	पश्चिमी क्वे - III	365	148	40.5
6	पश्चिमी क्वे - IV	365	172	47.1
7	दक्षिण क्वे - I	365	210	57.5
8	दक्षिण क्वे - II	365	198	54.2
जवहर डॉक :				
9	जवहर डॉक - I	365	228	62.5
10	जवहर डॉक - II	365	171	46.8
11	जवहर डॉक - III	365	157	43.0
12	जवहर डॉक - IV	365	143	39.2
13	जवहर डॉक - V	365	148	40.5
14	जवहर डॉक - VI	365	133	36.4
भारती डॉक :				
15	भारती डॉक - I	365	259	71.0
16	भारती डॉक - II	365	200	54.8
17	भारती डॉक - III	365	258	70.7
चेन्नै कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. (टर्मिनल - I)				
18	कंटेनर बर्थ - I	365	98	26.8
19	कंटेनर बर्थ - II	365	168	46.0
20	कंटेनर बर्थ - III	365	129	35.3
21	कंटेनर बर्थ - IV	365	138	37.8
चेन्नै अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल प्रा. लि. (टर्मिनल - II)				
22	द्वितीय कंटेनर टर्मिनल - I	365	194	53.2
23	द्वितीय कंटेनर टर्मिनल - II	365	219	60.0
24	द्वितीय कंटेनर टर्मिनल - III	365	232	63.6
तटीय बर्थ				
25	तटीय बर्थ - I	365	150	41.1
26	तटीय बर्थ - II	365	189	51.8
	कुल	**9490**	**4376**	**46.1**

तालिका सं.12

वर्ष 2024-25 के दौरान कार्गो सम्हलाई उपस्करों की उपलब्धि

क्र. सं.	उपस्करों का विवरण	उपकरणों की संख्या	यातायात मांग की पूर्ति के अपेक्षित		के कारण कम आपूर्ति (प्रतिशत)					ओवर होल्ड	मुख्य	टिप्पणी
			प्रति दिन औसत मांग	प्रति दिन औसत की आपूर्ति	स्टाफ़ की गैर-हाजिरी	उपकरणों की कमी	उपकरणों की खराबी	काम में रुकावट	अन्य	यूनिटों की सं.	मरम्मत की गई ईकाईयाँ की सं.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	डीजल इलक्ट्रिक लोको	7	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

तालिका सं. 13

वर्ष 2024-25 के दौरान कार्गो संहलाई उपस्कर का उपयोग

क्र. सं.	उपकरणों का विवरण	उपकरणों की संख्या	उपलब्ध कुल घंटे की संख्या (कुल)	अनुपलब्धता के कारण (घंटों में)				उपलब्ध कार्य समय (नेट) 4-(5+6+7+8)	वास्तविक कार्य समय (घंटों में)	उपलब्धि की प्रतिशतता =9/4* 100	उपयोग की प्रतिशतता		कम उपयोग करने का कारण
				ओवर ऑल	छुट्टी तथा अवकाश समय	ब्रेक डाउन	अन्य कारण मुख्य मरम्मत घंटे				उपलब्धा कार्य समय घंटे =10/9*100	उपलब्ध ग्रास कार्य घंटे =10/4*100	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	डीजल इलक्ट्रिक लोको	7	61,320	0	0	-	5880	55440	26128	90.41	47.13	42.61	–

तालिका सं.14

वर्ष 2024-25 के लिए कार्गो सम्हलाई उत्पादकता

डाटम लाइन व कार्गो	कार्यरत हुक सं.	कार्यरत हुक घंटे	कार्यरत श्रम हुक घंटे	सम्हाले गए टनेज	औसत उत्पादकता (टनेज) प्रति हुक	प्रति हुक घंटे	प्रति श्रम घंटे
आयात							
सभी सामान्य कार्गो	618.00	4,635.00	58,102.50	192973.12	312.25	41.63	3.32
51 किलोग्राम से अधिक वजन वाला थैले	–	–	–	–	–	–	–
(35 किलोग्राम से 51 किलोग्राम) वजन वाले थैले	237.00	1,777.50	30,157.50	100720.72	424.98	56.66	3.34
35 किलोग्राम से कम वजन वाले थैले	49.00	367.50	4,837.50	9,399.00	191.82	25.58	1.94
लोहा व इस्पात	1090.00	8,175.00	89,572.50	1194555.66	1,095.92	146.12	13.34
ग्रेब द्वारा फास्पेट तथा गेहूँ	296.00	2,220.00	4,440.00	222239.93	750.81	100.11	50.05
बल्क में लोहा स्क्रेब (मेक.)	298.00	2,235.00	4,470.00	143441.84	481.35	64.18	32.09
सभी प्रकार के धातु व मिनरल	937.00	7,027.50	14,055.00	1024069.59	1092.92	145.72	72.86
सभी प्रकार के धातु व मिनरल (एचएमसी)	84.00	630.00	630.00	182826.19	2,176.50	290.20	290.20
कुल	**3609.00**	**27,067.50**	**206265.000**	**3070226.05**	**850.71**	**113.43**	**14.88**
निर्यात							
सभी सामान्य कार्गो	1161.00	8,707.50	74,745.00	676456.49	582.65	77.69	9.05
51 किलोग्राम से अधिक वजन वाला थैले	–	–	–	–	–	–	–
(35 किलोग्राम से 51 किलोग्राम) वजन वाले थैले	93.00	697.50	9,067.50	52,313.63	562.51	75.00	5.77
35 किलोग्राम से कम वजन वाले थैले	62.00	465.00	6,210.00	14,303.80	230.71	30.76	2.30
लोहा व इस्पात	8.00	60.00	540.00	3,970.10	496.26	66.17	7.35
ग्रेब द्वारा फास्पेट तथा गेहूँ	–	–	–	–	–	–	–
बल्क में लोहा स्क्रेब (मेक.)	–	–	–	–	–	–	–
सभी प्रकार के धातु व मिनरल	409.00	3,067.50	6,135.00	384903	941.08	125.48	62.74
सभी प्रकार के धातु व मिनरल (एचएमसी)	143.00	1,072.50	1,072.50	544877	3,810.33	508.04	508.04
कुल	**1876.00**	**14,070.00**	**97,770.00**	**1676824.02**	**893.83**	**119.18**	**17.15**
आयात तथा नियात कुल	**5485.00**	**41,137.50**	**304035.000**	**4747050.07**	**865.46**	**115.39**	**15.61**

तालिका सं.15

वर्ष 2024-25 के दौरान कार्गो और कन्टैनरों का टेर भार

कन्टैनर कार्गो	टेर भार	कुल (1+2)
(1)	(2)	(3)
29,517,490	5,570,238	35,087,728

तालिका सं. 16

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न प्रकार के यातायात द्वारा प्राप्त पदार्थ वार निर्यात

क्रम सं.	पदार्थ	रेल द्वारा प्राप्त		सड़क द्वारा प्राप्त		पाइपलाइन द्वारा प्राप्त		कुल	
		टन	%	टन	%	टन	%	टन	%
1	अयस्क लोहा		-		-		-	-	-
2	अन्य ओर		-	626,080	**3.76**		-	626,080	**3.24**
3	कन्टैनर *	338,947	**90.25**	15,040,027	**90.40**		-	15,378,974	**79.53**
4	पी.ओ.एल.		-	101,987	**0.61**	2,322,185	**99.90**	2,424,172	**12.54**
5	अन्य कार्गो	36,634	**9.75**	869,417	**5.23**	2,438	**0.10**	908,489	**4.70**
	कुल	375,581	100.00	16,637,511	100.00	2,324,623	100.00	19,337,715	100.00

*ट्रांसशिपमेंट व पुनः भंडारण को छोडकर

तालिका सं. 17

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न प्रकार के यातायात भेजा गया पदार्थ-वार आयात कार्गो

क्र. सं.	पदार्थ	रेल द्वारा प्रेषित		सड़क द्वारा प्रेषित		पाइप लाइन द्वारा प्रेषित		कुल	
		टन	%	टन	%	टन	%	टन	%
1	पी.ओ.एल.		-	177,473	**0.88**	11,337,068	**89.46**	11,514,541	**34.32**
2	उर्वरक		-		-		-	-	-
3	उर्वरक (कच्चा माल)		-	222,240	**1.10**		-	222,240	**0.66**
4	थर्मल कोयला		-		-		-	-	-
5	अन्य कोयला		-		-		-	-	-
6	कन्टैनर *	641,764	**91.87**	16,995,136	**84.22**		-	17,636,900	**52.57**
7	अन्य कार्गो	56,800	**8.13**	2,785,723	**13.80**	1,335,739	**10.54**	4,178,262	**12.45**
	कुल	698,564	100.00	20,180,572	100.00	12,672,807	100.00	33,551,943	100.00

*ट्रांसशिपमेंट व पुनः भंडारण को छोडकर।

तालिका सं.18

पोर्ट में नियुक्ति - वर्गवार (31.03.2025 तक)

संख्या और अधिकारियों का वर्ग		गैर कार्गो सम्हालने वाले कर्मचारियों की संख्या		कार्गो सम्हलाई कामगारों संख्या अन्य तटीय कामगारो से इतर		कार्गो सम्हलाई की तटीय कामगार	कुल
वर्ग I	वर्ग II	वर्ग III	वर्ग IV	वर्ग III	वर्ग IV		
228	133	1,682	1,042	867	435	576	4,963

तालिका सं.19

वर्ष 2024-25 के दौरान हुई दुर्घटनाओं का विवरण

क्रम सं.	कारण	संख्या					
		घातक		गैर-घातक		कुल	
		पोर्ट	गैर-पोर्ट	पोर्ट	गैर-पोर्ट	पोर्ट	गैर-पोर्ट
1	व्यक्तियों के गिरने से	1	–	497	–	498	–
2	चीज़ों के गिरने से	–	–	2	–	2	–
3	चीजो पर चढने से, टक्कर लगाने या भिड जाने के कारण	–	–	5	–	5	–
4	चीजों के बीच फंस जाने के कारण	–	–	4	–	4	–
5	अति प्रयास या गलत चालन के कारण	–	–	–	–	–	–
6	अधिकतम तापमान के साथ संपर्क या अनाश्रयता	–	–	–	–	–	–
7	विस्फोटन	–	–	–	–	–	–
8	रेडियंशन सहित हानिकारक पदार्थों से संपर्क या अनाश्रयता	–	–	–	–	–	–
9	अन्य कारण	–	–	76	–	76	–
	कुल	1	–	584	–	585	–

तालिका सं. 20

वित्तीय सूचक

विवरण	2023-24	2024-25
	(रु. करोड़ों में)	
1 पूँजी पर वापसी		
i) नियोजित पूँजी (विनिवेशों और स्थाई जमा रहित)	374.52	313.86
ii) वापसी की दर (प्रतिशत)	104.74	133.82
2 प्रचालन अनुपात		
i) परिचालन व्यय	659.38	674.34
ii) परिचालन आय	1051.67	1094.34
iii) अनुपात (प्रतिशत)	62.70	61.62

3 उपार्जन की लागत का अनुपात (कार्यकलाप वार)

	उपार्जन पर लागत का प्रतिशत			
	2023-24		2024-25	
	प्रत्यक्ष लागत (मूल्यह्रास तथा ओवरहेड-रहित)	कुल लागत (मूल्यह्रास. तथा ओवरहेड - सहित)	प्रत्यक्ष लागत (मूल्यह्रास. तथा ओवरहेड - रहित)	कुल लागत (मूल्यह्रास तथा ओवरहेड - सहित)
i) कार्गो संहलाई व भंडारण	41	105	38	82
ii) पोर्ट और डॉक सुविधाएँ	25	47	24	80
iii) रेलवे कार्य	792	2,148	982	2,080
iv) किराये योग्य भूमि और भवन	19	127	18	54

तालिका सं. 21

वर्ष 2024-25 के दौरान पूँजी व्यय

(रु. करोड़ों में)

क्र सं	विवरण	अनुमोदित आरवीई 2024-25	चालू वर्ष 2024-25 (आरवीई)				2024-25 के दौरान वास्तविक व्यय				टिप्पणी
			आंतरिक स्रोत	बजटरी सपोर्ट	अन्य	कुल	आंतरिक स्रोत	बजटरी सपोर्ट	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ए	**पूँजी कार्य**										
ए	जारी योजनाएँ	41.46	37.43	4.03	-	41.46	141.56	-	-	141.56	-
बी	नई योजनाएँ	19.51	19.51	-	-	19.51	12.85	-	-	12.85	-
	कुल(ए)	60.97	56.94	4.03	-	60.97	154.41	-	-	154.41	-

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

भाग - III

लेखा परिशिष्ट
2024-25

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

लेखा परिशिष्ट 2024-25

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	पोर्ट विकास कार्य पूँजी	109
2	आय व व्यय - उपदान निधि	123
3	तुलन पत्र - उपदान निधि	124
4	आय व व्यय - पेंशन निधि	125
5	तुलन पत्र - पेंशन निधि	126
6	आय व व्यय - सामान्य भविष्य निधि	127
7	तुलन पत्र - सामान्य भविष्य निधि	128

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

2024-25

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
1	जोलारपेट में गुड्स शेड सुविधा का विकास (जिसे "जोलारपेट में गुड्स शेड के विकास के लिए पेवर ब्लॉक यार्ड, बिटुमिनस एप्रोच रोड और सहायक भवन प्रदान करना" नाम दिया गया है) ।				4.57
2	तोंडियारपेट हाउसिंग कॉलोनी में क्वार्टर और अन्य संरचना में सुधार।	126.00	170.38	205.07	401.71
3	चेन्नै पोर्ट में भारती डॉक पर बंकर बर्थ का निर्माण।	10.00			60.00
4	ईई(सी) सीडी I डिवीजन में ई1 और ई4 गोदाम का नवीनीकरण - (निवेश संतुलन)।	112.00	205.00	278.40	14.00
5	ईई(सी)सीडी I डिवीजन में जेडी 1, जेडी II और जेडी V (उत्तर) ट्रांजिट शेड का नवीनीकरण - (गोदाम में निवेश को संतुलित करना)।	81.00	120.00	151.68	25.67
6	चे.प.प्रा. में 'ई' कॉम्प्लेक्स गोदाम के पीछे सड़क जंक्शन और खतरनाक कार्गो नाली के बीच तटीय सड़क को कंक्रीट करना।	97.00	155.00	170.83	77.07
7	चेन्नै पोर्ट पर तटीय बर्थ का निर्माण।	5.00	1.00		
8	जेडी 4 और जेडी6 बर्थ पर फेंडर की आपूर्ति और फिक्सिंग।				147.16
9	ईई (सी) एलडी डिवीजन के डब्ल्यूक्यू III और IV ट्रांजिट शेड का नवीनीकरण ।	178.00	220.00	180.32	135.58
10	जेडी4 और जेडी6 के हिस्सों पर जेडी के आधुनिकीकरण का शेष कार्य और जेडी4 और जेडी6 के किनारे ड्रेजिंग का कार्य।				23.41
11	बीडी-II (बर्थ सं 24बी) बैक अप क्षेत्र में कंटेनर ट्रेलरों के लिए बफर पार्किंग यार्ड का विकास और चेन्नै पत्तन पर बंकर बर्थ की ओर जाने वाली मौजूदा कंक्रीट सड़क को चौड़ा करना।	150.00	403.45	668.28	3441.74
12	मास्टर प्लान के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एक बार पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना ।				25.42
13	जेडी प्रवेश दीवार का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।	100.00	100.00	393.07	49.74
14	पॉइंट्स और क्रॉसिंग के लिए 8.5 क्रॉसिंग पीएससी स्लीपरों में 1 सं की खरीद	100.00			171.45

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
15	सीवेज अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र/कचरा निपटान संयंत्र की स्थापना ।				
	(बी) 90 केएलडी	19.00	26.00	24.07	36.11
16	हेवी वर्कशाप के पश्चिमी शेड के लिए नई स्टील ट्रस छत प्रणाली का प्रावधान।				331.04
17	60 किलो सीएमएस डायमंड क्रॉसिंग के साथ मौजूदा डायमंड क्रॉसिंग को हटाना और पश्चिमी यार्ड I और II पर लोड अवधारणा पर इंजन के लिए टॉप वायरिंग के रूप में रेलवे लाइनों के डबल हैंडलिंग और विद्युतीकरण से बचने के लिए सेंटर यार्ड और कॉनकोर यार्ड से सेंटर यार्ड तक सीधा प्रवेश और आईपीआरसीएल के माध्यम से सेंटर यार्ड- II के लिए फुल वायरिंग।	422.00	269.00	265.13	462.98
18	टेट्रापोड्स की ढलाई और प्लेसमेंट में उत्तरी और पूर्वी ब्रेकवाटर को मजबूत करना।	215.00	267.00	302.57	23.14
19	ईएक्स (सी) दक्षिण डिवीजन में नेपियर ब्रिज के पास चेन्नई पत्तन प्राधिकरण ऑफिसर्स क्वार्टर के ए, बी, सी, डी, ई, एफ और एनबी ब्लॉकों में सुधार कार्य।	51.36	52.70	87.34	32.03
20	दक्षिणी डिवीजन क्षेत्र में सीआईएसएफ बैरकों की ओर जाने वाले सीआईएसएफ परेड ग्राउंड और एप्रोच रोड में मौजूदा बिटुमिनस कंक्रीट को फिर से बनाना।				23.59
21	रेडियो रोड रेलवे क्रासिंग पर रेलवे केबिन का पुनर्निर्माण और मार्शलिंग यार्ड के संबद्ध कार्य के आसपास मौजूदा मुख्य नाले से जोड़ने वाले नाले का पुनर्नर्माण।				6.13
22	चेन्नई पत्तन में दक्षिण क्वे-I व्हार्फ रोड पर मौजूदा क्षतिग्रस्त पिलर रूम भवन को तोड़ना और शौचालय सहित विश्राम कक्ष का निर्माण।				12.59
23	ईई (सी) सीडी -II में रेलवे लेवल क्रॉसिंग के पास शेड 13 और 14 और रेलवे गेटमैन रूम के उत्तर की ओर शौचालयों का निर्माण।				10.59
24	ईई (सी) एनडी में मधुसूदन शेड पीसीसी की ओर जाने वाली सड़क।				10.94
25	सिगनल स्टेशन भवन के भूतल में कैंटीन का निर्माण।				29.37
26	डब्ल्यूक्यू-I और डब्ल्यूक्यू-II के पश्चिमी और पूर्वी तरफ कार पार्किंग यार्ड के चारों ओर गेट के साथ चेनलिंक बाड़।	10.00	26.69	22.80	10.00

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
27	मौजूदा सीआईएसएफ रूम/सीमा शुल्क कक्ष पर वाट्च रूम का निर्माण, नए पम्पहाउस के निकट नई सीआईएसएफ बंक, पुराने सीआईएसएफ बंक, भारती डॉक पर पम्परूम में सुधार कार्य।	1.89	6.89		
28	तौंडियारपेट हाउसिंग कॉलोनी में शौचालय और स्नानघर की फर्श टइ लें और दीवार की डाइ प्रदान करके और पूर्व (टीएचसी) परिसर में रसोई के ऊपर ग्रेनाइट स्लैब बिछाकर सुधार।	156.56		2.19	194.78
29	तौंडियारपेट हाउसिंग कॉलोनी में एए स्कीम रोड के सामने डॉ बाबू जगजीवनराम स्टेडियम की क्षतिग्रस्त पूर्वी साइड चारदीवारी का पुनर्निर्माण।				10.68
30	टीएचसी में डॉ बाबू जगजीवनराम स्टेडियम की टेनिस कोर्ट, वॉली बॉल कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक का नवीनीकरण, बॉक्सिंग रिंग प्लेटफॉर्म और यार्ड का सुधार।	60.00	25.49	26.00	66.94
31	चेन्नै पत्तन में गेट सं 1 से गेट सं 4 तक केबल चेस की व्यवस्था करना।	100.00	226.00	236.97	21.35
32	आर एंड सी डिपो के उत्तर की ओर सड़क कंक्रीट के साथ सड़क स्तर को ऊपर उठाना, नाली की दीवारों का पुनर्निर्माण और दक्षिण क्षेत्र में नाली के फर्श के स्तर को बढाना।	20.00	13.41	13.68	16.67
33	दक्षिणी जोन में सीआईएसएफ बैरकों में सी एंड डी कंपनी के कब्जे वाले भवन को संरचनात्मक सदस्यों को सुदृढ करना और सुधार प्रदान करना।	50.00	60.00	57.50	
34	चेन्नै पत्तन पर ईई (सी) सीडी-I में 330 मी से 1140 मी तक तटीय सडक श्रृंखला में स्टॉर्म वाटर ड्रेन और केबल चेस उपलब्ध कराना।	50.00	202.76	211.39	25.43
35	ईई (सी) सीडी-I डिवीजन में ए सबस्टेशन को जोड़ने के लिए एसक्यू-I रोड के साथ और उसके पास केबल चेस प्रदान करना।	50.00	54.00	60.64	6.34
36	ईई (सी) सीडी-I डिवीजन में नए 90 केएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज पानी ले जाने के लिए नए सीवर पाइप बिछाना और मैनहोल और कलेक्शन वेल का निर्माण।	30.00	1.00		0.00
37	चेन्नै पत्तन में गेट सं 7 पर आरएफआईडी बैगेज स्कैनर आदि को समायोजित करने वाले विश्राम शेल्टर सह प्रवेश आर्च का निर्माण।	110.00	118.72	115.78	

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
38	ईई(सी)सीडी II में एचडी2ए क्वार्टरस में रंगाई, चित्रण और सुधार कार्य।		1.59	1.63	18.50
39	क्षतिग्रस्त प्री कास्ट स्लैब को नए प्रीकास्ट स्लैब से बदलना और डीपी वर्ल्ड साउथ से डब्ल्यूक्यूआईवी साउथ तक जाने वाली सभी जोड़ों के लिए बिटुमेन सीलिंग कंपाउंड लगाना।	50.00	97.00	80.37	
40	एनडी I डिवीजन में डब्ल्यूक्यूआईवी में पत्थर निर्माण एएस स्मारक संरचना (पुराने हाइड्रोलिक पंप हाउस) का नवीनीकरण।	60.00	5.00		
41	गेट नंबर 1 के पास पार्किंग क्षेत्र में सीआईएसएफ के लिए वॉच टॉवर का निर्माण और गेट नंबर 1 (ए से एच बे) पर गेट को बदलना।	15.00	17.00	18.08	
42	गेट नंबर: 2 (आउट साइड) के पास जीएम पेट्टाह रोड पर ट्रस्ट विला क्वार्टर और कांस्टेबल क्वार्टर (टीवी 1 से टीवी 24 और टीवी 25 से टीवी 36) में नवीनीकरण कार्य ।	80.00	67.76	73.86	17.58
43	चेन्नई पोर्ट (एनडी II और सीडी I) में नई रबर फेंडर लैडर, कास्ट आयरन टी-हेड बोलार्ड, एमएस गेट, एसएस हैंडल बार और लैडर के साथ लकड़ी के फेंडर लैडर को बदलना, आपूर्ति करना और ठीक करना ।	55.00	50.00	73.45	
44	टीएच कॉलोनी में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को मौजूदा तिरु. ए. सेल्वराज, आईएएस सामुदायिक हॉल को परिवर्तन करने के लिए नवीकरण/आशोधन ।	60.00	13.40	13.67	42.22
45	टीएचसी में स्टॉर्म ड्रेन, सीवेज ड्रेन, पेरिफेरल कंपाउंड वॉल का निर्माण, पंप रूम के साथ ओएचटी का नवीकरण, नाम पट्ट की आपूर्ति और फिक्सिंग, कर्ब पत्थर बिछाने और अन्य मरम्मत कार्य शामिल हैं।	105.00	250.00	260.09	
46	संबद्ध भवनों के साथ तेल जेट्टी 26बी (बीडी-I) और 27बी (बीडी-III) का पुनर्वास और चेन्नई पोर्ट पर भारती डॉक में नई पाइपलाइन ट्रेस्टल।	100.00	1.00		
47	मार्शलिंग यार्ड के निकट मौजूदा एक्जिम वेयर हाउसों के दक्षिणी ओर 18,000 वर्ग मीटर माप के गोदामों का निर्माण।	100.00	200.00	132.00	
48	पेव्ड स्टोरेज यार्डो का विकास (i) मार्शलिंग में सी1 और सी2 वेयर हाउस के पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में पेव्ड स्टोरेज यार्डो का विकास-65,600 वर्ग मी (ii) जेडी ईस्ट बैकअप क्षेत्र में पेव्ड स्टोरेज यार्डों का विकास - 27600 वर्ग मी	100.00	100.00		

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
49	कार्गो की प्रभावी प्राप्ति और निकासी के लिए चेन्नई पोर्ट पर आंतरिक सड़क नेटवर्क का विकास।	10.00	10.00		
50	दक्षिण प्रभाग में मौजूदा चारदीवारी पर क्षतिग्रस्त मौजूदा बाड़ को हटाने के बाद नई बाड़ लगाना।	5.00			
51	दक्षिणी प्रभाग में एम1 वेयर हाउस और नर्सरी कार्यालय के निकट ओएचटी, एलएलआर और पंप रूम का सुधार कार्य और रंग धुलाई।	5.00	1.00		
52	एलिवेटड कैरिडोर के कार्य के लिए नौसेना को भूमि के आदान-प्रदान के कारण सीआईएसएफ बैराडे ग्राउंड में पंप रूम सहित ओएचटी और एलएलआर का निर्माण।	5.00	5.00		
53	मौजूदा पाइप लाइन शॉप और इल्यूमिनेशन खंड ओएचटी में एम 1, एम 2 डब्ल्यूएच के पास और एसडी में नर्सरी के पास सुधार कार्य और इल्यूमिनेशन और पाइप लाइन शॉप के लिए नए शौचालय ब्लॉकों का निर्माण।	5.00	12.18		
54	'ओ' यार्ड में सीआईएसएफ के लिए नए वॉच टावर का निर्माण।	8.51	8.51	8.72	
55	बीडी II पर सेल प्रकार फेंडर कर प्रावधान और फिक्सिंग ।	10.00	25.00		
56	गेट नंबर 2 के पास सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	10.00	14.43	16.22	
57	रेलवे लेवल क्रॉसिंग से अस्पताल एम्बुलेंस पार्किंग क्षेत्र तक बिटुमिनस कंक्रीट सड़क प्रदान करना और बिछाना, ईई© सीडी II डिवीजन में एलएच 2 क्वार्टर के अंदर (अध्यक्ष बंगला) और एलएचएस 14, 15 और 16 क्वार्टरों का निर्माण।				27.20
58	चे.प.प्रा. के प्रशा. कार्यालय कैंटीन, अस्पताल आदि से भोजन/सब्जी/रसोई के कचरे के लिए प्रशा. कार्यालय कैंटीन के समीप 50 केपीडी बायो गैस संयंत्र प्रदान करना, जिसमें 2 साल की अवधि के लिए रखरखाव शामिल है।		2.00		
59	पूर्व© दक्षिण प्रभाग में सीआईएसएफ बैरक की 'बी' कंपनी बिल्डिंग के भूतल पर स्थित सीआईएसएफ के मेस के नवीकरण कार्य ।		6.00	6.08	18.20
60	एनक्यू घाट की मरम्मत कार्य और समुद्री विश्राम आश्रय भवन का नवीकरण - बर्थिंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जहाज के लिए दीर्घकालिक आधार पर डीआरडीओ को एनक्यू घाट का पट्टे पर देना।		46.29	46.88	22.62

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
61	गेट नं 1 और चोकनी शेड पर दोपहिया शेड का निर्माण।		1.00		
62	सिग्नल स्टेशन में वाटर प्रूफिंग।		5.00		
63	हुंडाई कार पार्किंग यार्ड के पास पंप रूम का निर्माण और मरम्मत कार्य।		5.00		
64	क्रूज टर्मिनल में मरम्मत कार्य।		5.00		
65	ईई© सीडी-I प्रभाग में तटीय सडक सहित तथा गेट नंबर 6, 7 (रेलवे क्रॉसिंग के पास) के पास शौचालय ब्लॉक का प्रावधान।		10.00	9.01	
66	ईई© सीडी-I प्रभाग में दक्षिण क्वे-I सड़क पर टिंबर बांड के पास मौजूदा ओएचटी के संरचनात्मक ढाचे को मजबूत करना तथा न्यू डाग लेग्गड स्टेयर केस का प्रावधान।		25.00	10.04	
67	तोंडियारपेट हाउसिंग कॉलोनी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइकिल स्टैंड और हर्बल गार्डन की फेन्सिंग लगाने, टेबल कुर्सी मरम्मत और पेंटिंग का कार्य।		33.04	33.05	
68	पुराने प्रशासनिक कार्यालय के परिसर में एंकर डिस्प्ले संरचना का निर्माण।		2.00	10.00	
69	चे.प.प्रा. अस्पताल प्रयोगशाला से तरल जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र की आपूर्ति और स्थापना तथा ईटीपी के लिए जीआई शीट शेड की आपूर्ति।		4.00		
70	चेन्नै पोर्ट पर मौजूदा तट संरक्षण संरचना को मजबूत करना और विकसित करना। (क) तटीय बर्थ (लगभग 850 मीटर लंबाई) के पीछे मौजूदा रेवेटमेंट को मजबूत करना। (ख) नपेयर ब्रिज के पास एचओडी यूनिट्स और मेसर्स सुरै ऐग्रो इंडस्ट्रीज के बीच 11 ग्रोइनस का निर्माण।		10.00		
71	सीफेरर्स क्लब का विकास।		5.00		
72	चेन्नै पोर्ट से मदुरवोयल तक चार लेन एलिवेटड सड़क।			9218.50	
73	ईई© सीडी-II प्रभाग में मुख्य अस्पताल परिसर में मुख्य और विकेट गेट का प्रतिस्थापन करना तथा डायमंड जूबिली भवन क्षेत्र में चार पहिया और दो पहिया पार्किंग शेड का प्रावधान ।				8.10

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
74	टीएच कॉलोनी में मौजूदा प्राथमिक विद्यालय भवन के सुधार कार्यों के लिए अनुबंध।			184.52	
75	ईई©एनडी II में ओएचटी/ओर बर्थ क्षेत्र में नवीनीकरण कार्य।			7.51	
76	भोजनालय और बर्तन धोने के कमरे, अतिथि गृह का आधुनिकीकरण और निर्माण।			28.39	
77	तेल डॉक पर अग्निशामक प्रणाली का संवर्धन।	1560.00	300.00	410.47	28.70
78	तेल डॉक में नए बंकर बर्थ के लिए अग्निशामक प्रणाली की व्यवस्था।		50.00	3.80	24.38
79	12 महीने (एएमसी के लिए रु.20 लाख का प्रावधान) की गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद 3 वर्षों के लिए व्यापक एएमसी के साथ बीडी-। पर 5 केपस्टान का प्रावधान।	150.00	112.00	112.10	
80	ऑयल डॉक पर गेट वाल्व के प्रतिस्थापन के लिए 5 एक्ट्यूएटर की खरीद।	25.00	5.00		
81	विभागाध्यक्षों के लिए 7 कारों की खरीद।				94.15
82	बीडी-। और बीडी-III ऑयल जेट्टी पर एक्टिवेटर वाल्व और रिमोट पॉइंट स्विच ऑपरेशन का प्रावधान।				61.37
83	गेस्ट हाउस में जॉनसन लिफ्ट का प्रतिस्थापन।	15.00	5.00		
84	सेंटर बर्थ भवन में नया लिफ्ट।	25.00			
85	टीएच कॉलोनी में खुले कुओं से एलएलआर, एचएलआर और आवासीय आवास ब्लॉकों तक अच्छी तरह से जल संग्रह और वितरण पाइपलाइनों के लिए यूपीवीसी पाइप के विभिन्न आकारों की आपूर्ति और बिछाने।				58.08
86	टीएच कॉलोनी में ए, बी, सी टाइप आवासीय क्वार्टरों की 810 आवासीय इकाइयों में विद्युत प्रणाली का सुधार।				284.45
87	टीएच कॉलोनी में सीआईएसएफ मेस में दो 200 लीटर/घंटा आरओ प्लांट की आपूर्ति और स्थापना।				4.41
88	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में टीएच कॉलोनी में श्री बाबू जगजीवन राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विद्युत प्रणाली में सुधार।				13.32

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पतन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
89	श्री वी. सेल्वराज आईएएस सामुदायिक हॉल, सामुदायिक हॉल और तीसरे क्षेत्र में 2 मुख्य वितरण बोर्डों की आपूर्ति और स्थापना और चेन्नई पतन प्राधिकरण के टोंडियारपेट हाउसिंग कॉलोनी में खेल परिसर में हाई मास्ट टॉवर पर 2 सं. 20 मीटर की आपूर्ति और स्थापना ।				7.39
90	टीएच कॉलोनी में बाबू जगजीवनराम स्टेडियम में पानी की पाइप लाइन प्रणाली में सुधार।			0.70	3.87
91	मार्शलिंग यार्ड पंप हाउस से इंटर कनेक्शन के साथ टिम्बर पॉन्ड पंप हाउस तक 1200 मीटर की लंबाई तक फिटिंग आदि के साथ नई 6' डया की पानी की पाइपलाइन की आपूर्ति और बिछाने।	77.00	57.38		
92	खंड1 के पम्प हाऊस से गेट 1 तक 3000 मीटर की लंबाई तक फिटिंग आदि के साथ 6' डया की नई जल पाइपलाइन को बिछाने और आपूर्ति	153.00	134.92		
93	एच वेयर हाउस पंप हाउस से तटीय सड़क सीमा शुल्क कंटेनर स्कैनर तक 1000 मीटर की लंबाई के लिए फिटिंग आदि के साथ नई 6" डया और 4' डया यूपीवीसी पानी की पाइपलाइन को बिछाने और आपूर्ति ।	77.00	77.46	52.71	
94	चेन्नै पतन प्राधिकरण में विभिन्न स्थानों पर 5 शेडों (जेडी1, जेडी3, जेडी5(एन), ई1 और ई4) के लिए विद्युतीकरण कार्य।	10.00	23.35		
95	चेन्नै पतन प्राधिकरण में विभिन्न स्थानों पर 5 (एम1, एम2, पूर्ववर्ती एमएसडी, एसपीडब्ल्यू-1 तथा 2 एसपीडब्ल्यू 3 और 4) शेडों के विद्युतीकरण का कार्य।				5.12
96	सीबी में नियॉन साइन बोर्ड ।				20.89
97	चोकनी यार्ड और जेडी-वी (दक्षिण) शेड के पास शेड के विद्युतीकरण का कार्य।				
98	22 टीआर पैकेज्ड एसी यूनिट सीबी, न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल।				
99	डाब्ल्यू क्यू III शेड विद्युतीकरण कार्य।		6.01	5.07	
100	16 नंबर के 12 नंबर 30 मीटर ऊँचाई और 4 नंबर 20 मीटर ऊँची मास्ट टॉवर्स की आपूर्ति।	138.00	172.00	143.99	

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
101	"ए" सब स्टेशन पर एलटी पैनल की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।				13.77
102	33 एमयूएसएस पर एक नंबर 6.3 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।				87.02
103	सीसीटीपीएल के गेट नंबर 1 से जंक्शन तक पेरिफेरल रोड पर 70 स्ट्रीट लाइट पोस्ट ।				27.24
104	चे.प.प्रा. दक्षिणी दिशा में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था।	35.00	25.00		
105	लोको शॉप के पास वेस्टर्न शेड के कार्यों का विद्युतीकरण।				6.34
106	मौजूदा आरसीसी केबल ट्रेंच को ए सबस्टेशन से जेडी क्षेत्र और ए सबस्टेशन को ओएनबी यार्ड क्षेत्र (सिविल विभाग के माध्यम से) से जोड़ना।	58.00			
107	एलटी विद्युत आपूर्त को सुदृढ़ करने के लिए 3.5 कोर *1.85 वर्ग मी बिछाकर सब-स्टेशनों से फीडर पिलर्स को जोड़ना।	145.00	97.00		
108	गेट नंबर 1,2,2ए और 3 पर एलटी बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए गेट नंबर 2 के पास 500 केवीए कॉम्पैक्ट सब-स्टेशन प्रदान करना।	160.00	125.00		
109	निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए सिग्नल स्टेशन पर 100 केवीए डीजी सेट प्रदान करना।	25.00	47.50	44.97	
110	संचार के लिए ट्रांसरिसीवर के साथ एफएक्सओ और एफएक्सएसएस 5 सं.		4.52	4.52	
111	टीएच के लिए 24 सीसीटीवी कैमरों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, गेस्ट हाउस के लिए 26 सीसीटीवी कैमरा और इमारतों के आसपास के लिए 12 सीसीटीवी कैमरा।	25.00	42.35	43.92	
112	वित्त और चिकित्सा विभागों के उपयोग के लिए 49 सीसीटीवी कैमरों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	6.00	6.37	6.37	
113	आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन और 5 साल सीएएमसी के साथ 28 सीसीटीवी कैमरों को सौंपना	184.00	25.00		

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
114	सभी सहायक उपकरणों के साथ पोर्ट कमांड सेंटर उपकरणों सहित सभी सहायक उपकरणों के साथ मौजूदा सीसीटीवी प्रणाली को हटाना, स्थानांतरित करना और पुन: स्थापना।	100.00			
115	अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर के लिए डक्ट्स के सहित 8.5 टीआर सेंट्रलाइजड एयर कंडीशनिंग यूनिट्स ।			2.15	24.65
116	पश्चिम क्वे III और IV में तटीय पावर सप्लाई का प्रावधान।	2.00	14.00		
117	पुराने प्रशासन भवन के पुराने सम्मेलन हॉल के लिए डक्ट्स सहित 4 नंबर 11 टीआर सेंट्रलाइजड एयर कंडीशनर यूनिट्स की आपूर्ति और स्थापना ।				23.64
118	चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के उपयोग के लिए 11 डिजिटल तकनीक मल्टीफंक्शनल प्लेन पेपर कॉपियर्स की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन।		19.42	19.42	
119	टी.एच. कॉलोनी के ए, बी, सी प्रकार के आवासीय क्वार्टरों के 810 आवासीय इकाइयों में विद्युत प्रणाली का पुनर्गठन।		21.70	21.70	
120	चोकानी यार्ड और जेडी V (दक्षिण) शेड के पास शेड के लिए विद्युतकरण कार्य।		8.16	8.75	
121	टी.एच. कॉलोनी के लिए विभिन्न आकारों के केबल्स जैसे 300 स्क्वायर मिलीमीटर, 185 स्क्वायर मिलीमीटर, 50 स्क्वायर मिलीमीटर, 25 स्क्वायर मिलीमीटर की खरीद।		80.00		
122	चे.प.प्रा. में 3.3 केवी ओएचपी एसएस के माध्यम से 33केवीएसएस से तेल उपस्टेशन तक 303 केवी, 3सी X185 वर्ग मिमी एचटी केबल की आपूर्ति और बिछाने का कार्य।		30.00		
123	चे.प.प्रा. में एचटीएससी नं. 1291 के लिए टानजेडको 33 केवी बिजली आपूर्ति का विस्तार।		80.00		
124	3.5 X 185 वर्ग.एमएमएलटी एक्सएलपीई यूजी केबल की आपूर्ति और बिछाने - चे.प.प्रा. में मधुसूदन जेटी घाट।		8.37	9.88	
125	प्राथमिक विद्यालय में 40 नेटवर्किंग घटकों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और हस्तांतरण।		2.11	2.50	

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
126	टीएच कॉलोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के लिए 20 कैमरों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और पूर्ण सहायक उपकरण सौंपना।		2.08	2.44	
127	टीएचसी में तीन वर्षों के लिए सीएएमसी के साथ डिजिटल आईपी-पीबीएक्स संचार प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग।		1.39	2.36	
128	सीएचपीए में छह वर्षों के लिए सीएएमसी के साथ आईपी संचार सर्वर प्रणाली के साथ मौजूदा आईपी-पीबीएक्स प्रणाली को प्रतिस्थापित करना		1.00		
129	विभागाध्यक्ष इंटरकॉम के लिए मौजूदा डिजिटल ईपीएबीएक्स प्रणाली को डिजिटल - आईपी_पीबीएक्स संचार प्रणाली के साथ सीएएमसी द्वारा छह वर्षों के लिए प्रतिस्थापित करना।		2.00		
130	चे.प.प्रा. में 10वें गेट के पास सीआईएसएफ सी एंड डी कंपनी बैरक कार्यालय भवन में विद्युतीकरण कार्य।		16.54		
131	गेट नंबर 7 पर नियॉन साइन बोर्ड।		15.00	11.96	
132	टी.एच.कॉलोनी में प्राथमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 52 सीसीटीवी कैमरों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग और सौंपना।		9.50		
133	गेट संख्या 7 पर प्रदूषण नियंत्रण की 1 डिस्प्ले यूनिट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग।		2.00		
134	टी.एच.कॉलोनी के स्कूल के लिए पीए सिस्टम।		5.70	5.69	
135	सिग्नल स्टेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग।		7.00		
136	चे.प.प्रा. और सिग्नल स्टेशन के शताब्दी भवन के भूतल की लॉबी में टच स्क्रीन के साथ 55 इंच के 2 वर्टिकल साइनेज।		2.23		
137	जवाहर भवन में 2 लिफ्टों का प्रतिस्थापन।		18.00		

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
138	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में नए पंप हाउस से तेल जेटी तक बंकर बर्थ पूर्वी छोर तक 400 मीटर लंबाई में फिटिंग सहित 2 इंच व्यास की नई जी.आई. जल पाइपलाइन की आपूर्ति और स्थापना। 4" और 2" लंबाई की जी.आई. पाइपलाइन की आपूर्ति और स्थापना।		12.00	5.55	
139	15 यूपीएस 5 केवीए बैटरी सहित खरीद।				18.15
140	बोर्ड रूम में 15 कॉन्फ्रेंस माइक, 1 वीडियो कॉन्फ्रेंस कैमरा।				10.20
141	कंटेनर स्कैनर की खरीद - एक मोबाइल स्कैनर और ड्राइव के माध्यम सेस्कैनर।	172.06	1.00		
142	वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का डिजाइन, विकास, निर्माण, आपूर्ति, वितरण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	240.00	100.00	54.95	
143	21 वॉकी-टॉकी (आंतरिक रूप से सुरक्षित) डिजिटल रेडियो ट्रंकिंग सेट डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन (पूर्ण कुंजी पैड अल्फा न्यूमेरिक) के साथ और 11 सं के 800 मेगाहर्ट्ज़ यूएचएफ सेट डिजिटल रेडियो ट्रंकिंग बेस स्टेशन डिस्प्ले स्क्रीन (पूर्ण कुंजी पैड अल्फा न्यूमेरिक) के साथ सभी सहायक उपकरणों के साथ पूर्ण स्पेयर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, चालू करना और सौंपना।		21.82	24.77	
144	तोंडियारपेट हाउसिंग कॉलोनी में अग्निशमन प्रणाली		20.00		
145	श्री वी. सेल्वराज आईएएस सामुदायिक हॉल में विद्युतीकरण वायरिंग प्रणाली का पुनरुद्धार, सामुदायिक हॉल और तीसरे क्षेत्र में 2 मुख्य वितरण बोर्डों की आपूर्ति और स्थापना, तथा चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के तोंडीयारपेट हाउसिंग कॉलोनी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर के 2 हाई मास्ट टॉवर की आपूर्ति और स्थापना।			38.06	
146	मार्शलिंग यार्ड पंप हाउस से टिम्बर पॉन्ड पंप हाउस तक 900 मीटर लंबाई में फिटिंग आदि के साथ नई 6' व्यास की जल पाइपलाइन की आपूर्ति और बिछाने का कार्य, जिसमें इंटर कनेक्शन भी शामिल है।			16.11	

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
147	विद्युत रेसवे की आपूर्ति और स्थापना			235.03	
148	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में विभिन्न स्थानों पर 1.1 केवी ग्रेड, एलटी, एक्सएलपीई, एल्युमीनियम केबल के विभिन्न आकारों की आपूर्ति और बिछाना।			92.07	
149	32 एवं 20 कैमरा - स्वधोधिनी प्रा.स्कूल.टी.एच.कॉलोनी।			8.94	
150	75 नं.9 मीटर.जीआई स्ट्रीट पोस्ट एलईडी फिटिंग सहित।			21.67	
151	दो 6 मीटर लंबे बूम बैरियर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग और दो 2 मीटर लंबे बूम बैरियर की स्थानांतरण, पुनः स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।			2.27	
152	चे.प.प्रा. से सीपीसीएल मनाली तक 42" व्यास की कच्चे तेल की पाइपलाइन परियोजना।			87.61	
153	टीएससी पर चे.प.प्रा. स्कूल में 1 सं. 100 केवीए डीजी सेट।				17.03
154	तीन साल के सीएएमएससी के साथ 1 नंबर 10 व्यक्तियों की क्षमता वाले यात्री लिफ्ट को हटाना, डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन और हैंडलिंग।				16.57
155	350 सीसी की 4 बुलेट मोटर साइकिल।				5.95
156	1 नंबर आयशर (सॉफ्ट ड्रप कैरियर) की खरीद - सीआईएसएफ।				14.78
157	शताब्दी भवन भूतल पर 3 सं. 11 टीआर क्षमता के खाते की स्थापना, आपूर्ति।				9.48
158	अस्पताल के उपकरण।	26.84	20.00	61.79	48.15
159	अस्पताल फर्नीचर।	9.93			

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

पत्तन विकास कार्य - पूंजी कार्य - 2024-25

व्यय

परिशिष्ट बी - अनुभाग - II

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	संशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक 2024-25	वास्तविक 2023-24
		(रुपए लाखों में)			
160	5 महा पत्तनों में ईबीएस (एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम) का कार्यान्वयन)।	2000.00			
161	डेस्कटॉप कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना।		158.00	158.45	
162	सॉफ्टवेयर उन्नयन ।		14.51	12.50	
163	फेस रीडर।		52.00		
164	वीडियो वॉल और सीसीटीवी निगरानी केंद्र और पीसीसी के साथ इसका एकीकरण ।		273.00		
165	केल्ट्रॉन - कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मुद्रण के साथ आरएफआईडी आधारित स्मार्ट कार्ड (30,000 सं.)।			0.30	2.26
166	5 महा पत्तनों में ईबीएस (एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम) का कार्यान्वयन)।				818.00
	कुल	8507.15	6097.08	15441.32	7812.00

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट उपदान निधि लेखा

आय तथा व्यय

31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	व्यय	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	आय	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए
53,19,13,267	उपदान भुगतान	61,56,28,545	21,47,09,749	निवेश पर ब्याज	21,09,88,046
1,29,055	कानूनी प्रभार	1,18,088	4,83,483	बैंक ब्याज	17,98,247
4,353	बैंक प्रभार		1,37,59,344	अन्य प्राप्तियां	
-	व्यय से अधिक आय की अधिकता		30,30,94,099	आय से अधिक व्यय की अधिकता	40,29,60,340
53,20,46,675	कुल	61,57,46,633	53,20,46,675	कुल	61,57,46,633

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष
पद के अनुसार

ह/-
इंद्रनील हाज़रा
सचिव
पद के अनुसार

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
पद के अनुसार

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट उपदान निधि लेखा

तुलन पत्र

31/3/2024 तक	विवरण	31/3/2025 तक	31/3/2024 तक	विवरण	31/3/2025 तक
	निधियों का स्रोत			**निधियों का उपयोग**	
	निधि शेष				
3,10,53,64,493	अतिशेष:	3,25,22,70,394	2,34,36,26,262	निवेश	3,06,79,38,109
45,00,00,000	जोड़: वर्ष के दौरान अंशदान	23,00,00,000	21,46,66,167	ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	-
	जोड़: स्थानांतरण से अंशदान	1,37,23,987			
30,30,94,099	घटाएँ: वर्ष के दौरान आय पर व्यय	40,29,60,340	44	प्राप्य टीडीएस	44
	घटाएँ: वर्ष के दौरान अन्य समायोजन	20,20,983			
			16,06,424	जमा	16,06,423
3,25,22,70,394	इतिशेष	3,09,10,13,058			
			9,70,98,545	नकद व बैंक शेष	2,11,08,952
			(28,02,749)	दावा वसूली योग्य	(28,02,749)
	चे.पो.ट्र. पैंशन निधि	1,34,29,278			
	चे.प.प्रा. को भुगतानीय	(68,627)	59,80,75,701	चे.प.प्रा. से प्राप्य	1,65,22,929
3,25,22,70,394	**महा कुल**	**3,10,43,73,709**	**3,25,22,70,394**	**महा कुल**	**3,10,43,73,709**

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष
पद के अनुसार

ह/-
इंद्रनील हाज़रा
सचिव
पद के अनुसार

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
पद के अनुसार

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधि खाते

आय तथा व्यय

31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	व्यय	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	आय	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए
2,96,78,30,706	पेंशन भुगतान	3,30,83,36,943	2,86,06,09,058	निवेश पर ब्याज	2,91,02,38,939
66,002	बैंक प्रभार	69,892	53,36,324	बैंक ब्याज	11,60,136
			4,63,22,710	अन्य प्राप्तियां	
(5,56,28,616)	व्यय से अधिक आय की अधिकता			आय से अधिक व्यय की अधिकता	39,70,07,760
2,91,22,68,092	**कुल**	**3,30,84,06,835**	**2,91,22,68,092**	**कुल**	**3,30,84,06,835**

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष
पद के अनुसार

ह/-
इंद्रनील हाज़रा
सचिव
पद के अनुसार

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
पद के अनुसार

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधि खाते

तुलन पत्र

31/3/2024 तक	विवरण	31/3/2025 तक	31/3/2024 तक	विवरण	31/3/2025 तक
	निधियों का स्रोत			**निधियों का उपयोग**	
	निधि शेष:				
36,72,93,93,066	अतिशेष:	37,51,37,64,449	34,77,27,53,024	एल आई सी के साथ निवेश	38,29,82,41,049
			265	पैंशन निधि एफडी	265
84,00,00,000	जोड़: वर्ष के दौरान अंशदान	1,02,00,00,000	2,85,91,84,589	ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	-
	जोड: स्थानांतरण से अंशदान	3,40,75,922			
(5,56,28,617)	घटाएँ: वर्ष के दौरान आय पर व्यय	39,70,07,760	29,73,188	प्राप्य टीडीएस	29,73,188
37,51,37,64,449	**इतिशेष**	38,17,08,32,610		**अन्य चालू परिसंपत्तियां**	
			-		
4,40,68,521	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण	4,42,08,904	10,48,00,982	नकद व बैंक शेष	9,62,09,072
1,45,071	पेंशन पर टीडीएस	41,336			
1,82,099	टीडीएस पेंशन-सस्पेंस	1,82,099	30,60,00,000	दावा वसूली योग्य	30,60,00,000
1,48,06,060	सा.भ. नि. को देय	1,48,06,060			
47,24,76,684	पेंशन देय	47,30,83,401			
2,69,164	उपदान देय	2,69,164			
38,04,57,12,048	महा कुल	38,70,34,23,574	38,04,57,12,048	महा कुल	38,70,34,23,574

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष
पद के अनुसार

ह/-
इंद्रनील हाज़रा
सचिव
पद के अनुसार

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
पद के अनुसार

चन्नै पोर्ट ट्रस्ट सामान्य भविष्य निधि लेखा

आय तथा व्यय

31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	व्यय	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	आय	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए
			17,44,85,633	निवेश पर ब्याज	17,70,10,925
			3,57,226	बैंक ब्याज	6,78,744
17,55,47,444	व्यय से अधिक आय की अधिकता	17,76,89,669	7,04,585	अन्य प्राप्तियां	
17,55,47,444	**कुल**	**17,76,89,669**	**17,55,47,444**	**कुल**	**17,76,89,669**

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष
पद के अनुसार

ह/-
इंद्रनील हाज़रा
सचिव
पद के अनुसार

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
पद के अनुसार

चन्नै पोर्ट ट्रस्ट सामान्य भविष्य निधि लेखा

तुलन पत्र

31/3/2024 तक	विवरण	31/3/2025 तक	31/3/2024 तक	विवरण	31/3/2025 तक
	निधियों का स्रोत			**निधियों का उपयोग**	
	निधि शेष				
2,67,75,70,645	अतिशेष:	2,50,88,64,141	2,29,05,00,000	निवेश	2,32,72,00,000
71,78,23,420	जोड़: वर्ष के दौरान अंशदान	58,10,61,059	11,88,34,156	ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	11,57,26,229
	जोड़: प्रतिनियुक्तियों की अंशदान				
88,65,29,924	घटाएँ: वर्ष के दौरान अंतिम निपटान	67,02,72,793	2,62,11,730	प्राप्य टीडीएस	1,08,66,590
	जोड़ें: घोषित और जमा किया गया ब्याज				
2,50,88,64,141	**इतिशेष**	**2,41,96,52,407**	1,48,06,060	अन्य चालू परिसंपत्तियां	1,48,06,060
	प्रतिधारित उपार्जन :		7,01,70,586	नकद व बैंक शेष	15,14,20,761
	अतिशेष:	17,55,47,444			
17,55,47,444	जोड़: चालू वर्ष के लिए	17,76,89,669		**ऋण एवं अग्रिम**	
	घटाएँ: घोषित और जमा किया गया ब्याज		12,48,48,389	अतिशेष	15,98,88,493
17,55,47,444	इतिशेष	**35,32,37,113**			
			9,94,14,527	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रदान किया गया	8,18,05,262
(40,00,560)	अन्य वर्तमान देयताएँ		6,43,74,423	घटाएँ: वर्ष के दौरान वसूल किया गया	8,88,23,875
			15,98,88,493	इतिशेष	15,28,69,880
2,68,04,11,025	महा कुल	2,77,28,89,520	2,68,04,11,025	महा कुल	2,77,28,89,520

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष
पद के अनुसार

ह/-
इंद्रनील हाज़रा
सचिव
पद के अनुसार

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
पद के अनुसार

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

भाग - IV

वार्षिक लेखा
2024-25

तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता
सहित अनुसूचियां
और लेखा पर टिप्पणी

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लेखा
विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ सं.
1	**तुलन पत्र**		133
	देयता		
2	आरक्षण व अधिशेष	I	134
3	सुरक्षित ऋण	II	135
4	सहायता अनुदान	III	135
	परिसंपत्ति		
5	स्थाई परिसंपत्तियाँ	IV	136
6	निवेश	V	137
7	चालू परिसंपत्तियाँ - ऋण व अग्रिम	VI	138
8	नकद तथा बैंक में शेष	VII	139
9	चालू देयताएं व प्रावधान	VIII	141
10	**लाभ व हानि खाता**		142
	आय		
11	कार्गो संहलाई तथा भंडारण प्रभार	I	143
12	पोर्ट व डाक प्रभार (पाइलटेज सहित)	II	143
13	रेलवे उपार्जन	III	143
14	संपदा किराया	IV	143
	व्यय		
15	कार्गो संहलाई तथा भंडारण प्रभार	V	144
16	शिप्पिंग हेतु पोर्ट तथा डाक सुविधा	VI	144
17	रेलवे कार्य	VII	144
18	किराए पर भूमि व भवन	VIII	144
19	प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन	IX	144
20	वित्त व विविध आय	X	145
21	वित्त व विविध व्यय	XI	145
22	प्रकारवार व्यय		147 - 149
23	पूँजी कार्य व्यय		150
	लेखा पर टिप्पणी		
24	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ		153-155
25	लेखे पर टिप्पणी		156-177
26	लेखा परीक्षा रिपोर्ट व ली गई कार्रवाई टिपपणी		181-191

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

31.03-2025 तक का तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	अनु. सं.	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
I	**निधि श्रोत**					
i.	**आरक्षण व अधिशेष**					
	ए. पूँजी आरक्षण		11,19,71,34,748		11,19,71,34,748	
	बी. राजस्व आरक्षण	I	7,87,62,65,888		6,98,08,49,086	
	सी. सांविधिक आरक्षण		6,61,65,79,954	25,68,99,80,590	6,42,82,65,970	24,60,62,49,804
ii.	**ऋण निधि**					
	ए. सुरक्षित ऋण	II	9,78,21,87,500		12,55,56,25,000	
	बी. असुरक्षित ऋण		1,46,72,00,000	11,24,93,87,500	0	12,55,56,25,000
iii.	**सहायता अनुदान**	III		33,78,26,713		38,77,57,550
	कुल			**37,27,71,94,803**		**37,54,96,32,354**
II	**निधि का प्रयोग**					
i.	**स्थाई पूँजी परिसंपत्तियाँ**	IV				
	ए. ग्रास ब्लाक		10,63,35,70,229		10,07,08,27,179	
	घटाऐं: उपार्जित मूल्यह्रास		4,61,51,38,112		4,17,48,21,881	
	नेट ब्लाक		6,01,84,32,117		5,89,60,05,298	
	बी. पूँजी कार्य में प्रगति		55,16,10,094	6,57,00,42,211	1,12,63,07,570	7,02,23,12,868
ii.	**निवेश**	V				
	लंबी अवधि निवेश			28,25,38,69,411		26,60,35,69,411
iii.	**चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व अग्रिम**					
	ए. चालू परिसंपत्तियाँ					
	(i) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		29,91,46,240		29,10,72,562	
	(ii) इन्वेंटरीस		7,77,83,109		9,32,97,931	
	(iii) फुटकर देनदार	VI				
	ए. 6 महीने से कम		7,51,98,237		4,52,76,503	
	बी. 6 महीने से अधिक		1,22,83,70,933		1,51,25,13,662	
	(iv) नकद व बैंक में शेष	VII	8,58,43,69,598		8,26,87,10,665	
	बी. ऋण व अग्रिम	VI	5,17,05,49,072		4,75,49,82,424	
	उप कुल		**15,43,54,17,189**		**14,96,58,53,747**	
	घटाऐं : चालू देयताऐं तथा प्रावधान	VIII	14,12,37,11,063		11,40,42,71,802	
	कुल चालू परिसंपत्तियाँ			1,31,17,06,126		3,56,15,81,945
iv.	**विविध व्यय** (बट्टे खाते में न डालने के हद तक)			1,14,15,77,055		36,21,68,130
	कुल			**37,27,71,94,803**		**37,54,96,32,354**

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

अनुसूची -1 आरक्षण और अधिशेष

(₹ में)

क्र.सं.	आरक्षण और शेष	पूंजी आरक्षण	पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, सुधार और आधुनिकीकरण हेतु आरक्षण	सामान्य आरक्षण	ऋण एवं आकस्मिकताओं के पुनर्भुगतान एवं विकास के लिए आरक्षण	सामान्य बीमा निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	परिवार सुरक्षा निधि	एल.आई.डब्ल्यू. प्रतिपूर्ति निधि	छुट्टी भुनाने की निधि
I	**1 अप्रैल 2024 तक शेष राशि**	11,19,71,34,748	3,13,08,18,667	3,71,98,31,096	3,29,74,47,303	2,07,88,93,988	1,51,20,110	29,24,70,469	4,60,06,192	82,85,27,231
II	**जोड़ :**									
1	राजस्व खाते से अंशदान	0	9,41,56,992	64,74,12,000	9,41,56,992		15,00,000	15,00,000	15,000	37,54,38,459
2	पूंजी आरक्षण से स्थानांतरित राशि									
3	निवेश पर ब्याज					17,00,20,137	5,64,035	2,42,58,013	35,86,963	
4	पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ									
5	राजस्व खाते से स्थानांतरित निवल अधिशेष									
6	विविध प्राप्तियाँ									
7	कर्मचारियों से अंशदान							5,09,279	27,576	
	कुल-ए	11,19,71,34,748	3,22,49,75,659	4,36,72,43,096	3,39,16,04,295	2,24,89,14,125	1,71,84,145	31,87,37,761	4,96,35,731	1,20,39,65,690
III	**घटाएँ :**									
1	ऋणों की अदायगी, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव, एस्क्रो फंड के लिए राजस्व में स्थानांतरित राशि									
2	सामान्य आरक्षण में स्थानांतरित राशि									
3	पूंजी आरक्षण में स्थानांतरित राशि									
4	व्यय						7,51,000	23,18,547		32,63,45,112
5	सांविधिक आरक्षण निधियों के विनियोजन को पूरा करने के लिए स्थानांतरित राशि					1				
	कुल-बी					1	7,51,000	23,18,547		32,63,45,112
	31 मार्च 2025 तक शेष राशि (ए - बी)	11,19,71,34,748	3,22,49,75,659	4,36,72,43,096	3,39,16,04,295	2,24,89,14,124	1,64,33,145	31,64,19,214	4,96,35,731	87,76,20,578

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

अनुसूची II - सुरक्षित ऋण

(₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
केपीएल के अर्जन हेतु एसबीआई से ऋण		
इतिशेष	**12,55,56,25,000**	**14,66,56,25,000**
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त		
घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	2,77,34,37,500	2,11,00,00,000
अतिशेष	**9,78,21,87,500**	**12,55,56,25,000**
भारत सरकार से ऋण		
इतिशेष		
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त	1,46,72,00,000	
घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान		
अतिशेष	**1,46,72,00,000**	

अनुसूची III - सहायता अनुदान

(₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
इतिशेष	38,77,57,550	25,31,51,149
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त	39,07,58,705	12,70,31,295
जोड़: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	72,30,458	75,75,106
	78,57,46,713	38,77,57,550
घटाएँ: वर्ष के दौरान किया गया व्यय	44,79,20,000	
अतिशेष	**33,78,26,713**	**38,77,57,550**

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची -IV - स्थाई परिसंपत्ति

क्र.सं.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति					नेट ब्लाक	
		01.04.2024 तक इतिशेष	वर्ष के दौरान शामिल / स्थानांतरण किए गए	वर्ष के दौरान निकाले गए	31.03.2025 तक अतिशेष (2+3-4)	01.04.2024 तक इतिशेष	निकाले गए	समायोजन	वर्ष के दौरान प्रभारित	31.03.2025 तक अतिशेष (6-7-8+9)	31.03.2025 तक (5) - (10)	31.03.2024 तक (2) - (6)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भूमि											
	(ए) - फ्री होल्ड लैंड [21100000]	27,49,27,906			27,49,27,906						27,49,27,906	27,49,27,906
	(बी) - लीज होल्ड लैंड [21100001]	99,89,08,961			99,89,08,961	12,23,20,805			1,00,89,990	13,24,10,795	86,64,98,166	87,65,88,156
2	पूँजी ड्रेजिंग [21100002]	1,14,71,11,617	59,11,290		1,15,30,22,907	17,73,78,829			1,97,49,787	19,71,28,616	95,58,94,291	96,97,32,788
3	भवन, शेड व अन्य संरचना [21100003]	1,24,84,97,120	47,56,56,308	20,38,49,892	1,52,03,03,537	55,71,35,860	2,17,75,581		11,58,27,370	65,11,87,649	86,91,15,888	69,13,61,260
4	घाट, सड़क व सीमा [21100004]	64,14,63,422	8,41,21,022		72,55,84,444	27,94,27,278			5,42,75,445	33,37,02,723	39,18,81,721	36,20,36,143
5	प्लवनशील नाव [21100005]	3,21,05,449			3,21,05,449	2,11,53,795			16,01,421	2,27,55,216	93,50,233	1,09,51,654
6	रेलवे तथा रोलिंग स्टाक [21100006]	57,83,86,698	5,25,05,029		63,08,91,727	26,33,09,786			1,45,54,113	27,78,63,899	35,30,27,827	31,50,76,911
7	डाक, समुद्री दीवार, पियर्स व नौचालन साधन [21100007]	2,25,88,39,530	4,66,29,843		2,30,54,69,373	91,21,63,266			15,25,60,470	1,06,47,23,736	1,24,07,45,637	1,34,66,76,264
8	क्रेन व गाड़ियाँ [21100008]	3,23,65,176			3,23,65,176	2,02,91,138			23,76,416	2,26,67,554	96,97,622	1,20,74,038
9	संयंत्र व यंत्र											
	(ए) अर्ध यांत्रीकृत कोयला [21100009] सम्हलन प्रक्रिया											
	(बी) अन्य [21100010]	80,69,43,386	5,64,62,572		86,34,05,958	42,23,12,375			4,28,15,441	46,51,27,816	39,82,78,142	38,46,31,010
10	पानी,विद्युत, टेलीकॉम, सिस्टम व अग्निशमन के लिए स्थापना [20000011]	45,06,81,591	3,98,02,079	32,56,372	48,72,27,298	27,34,74,498	32,56,371		1,61,07,445	28,63,25,572	20,09,01,726	17,72,07,092
11	तेल पाइपलाइन स्थापनाएँ [21100012]	54,38,42,202	87,61,169		55,26,03,371	34,58,32,036			2,02,61,568	36,60,93,604	18,65,09,767	19,80,10,166
12	अयस्क सम्हलाई सुविधाएँ [21100013]	33,37,56,135			33,37,56,135	31,99,32,076			11,62,413	32,10,94,489	1,26,60,646	1,38,23,059
13	कन्टेनर सम्हलाई [21100014]	71,48,74,362			71,48,74,362	45,19,65,518			1,39,66,304	46,59,31,822	24,89,42,540	26,29,08,844
14	सॉफ्ट लोडन [21100015]	81,24,626			81,24,626	81,24,620				81,24,620	6	6
	कुल	10,07,88,27,179	76,98,49,314	20,71,06,264	10,63,35,78,229	4,17,48,21,881	2,50,31,952		46,53,48,183	4,61,51,38,112	6,01,84,32,117	5,89,60,05,298
15	पूँजी कार्यों में प्रगति [21200000]	1,12,63,07,570		57,46,97,476	55,16,10,094						55,16,10,094	1,12,63,07,570
	महा योग	11,19,71,34,749	76,98,49,314	78,18,03,740	11,18,51,88,323	4,17,48,21,881	2,50,31,952		46,53,48,183	4,61,51,38,112	6,57,00,42,211	7,02,23,12,868

* आइटम नंबर 1 (बी) के लिए कॉलम नंबर 6, 9 और 10 में उल्लिखित राशि परिशोधन दर्शाता है।

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

अनुसूची V - निवेश

(₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
ए. बांड और प्रतिभूतियां		
कामराजर पोर्ट लिमिटेड (पूर्व एण्णूर पोर्ट लि.) (10,00,00,000 शेयर्स @ रु.10/- प्रति)	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
कामराजर पोर्ट लिमिटेड (पूर्व एण्णूर पोर्ट लि.) (20,00,00,000 शेयर्स @ रु.119.15/- प्रति)	23,83,00,00,000	23,83,00,00,000
सेतुसमुद्रम कर्पोरेशन लिमिटेड (3,00,00,000 शेयर्स @ रु.10/- प्रति)	30,00,00,000	30,00,00,000
चेन्नै एण्णूर पोर्ट रोड कं. लि. (13,98,00,000 शेयर्स @ रु.10/- प्रति)	1,39,80,00,000	1,39,80,00,000
(उपरोक्त में से रु.2.80 करोड मूल्य के शेयर प्रमाण पत्र से स्टांप इयूटी के बिना प्राप्त हुआ तथा अदायगी का पृष्ठांकन किया गया तथा जिसे पृष्ठांकन हेतु वापस किया गया ।)		
इंडियन पोर्ट रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (72,00,000 शेयर्स @ रु.10/- प्रति)	7,20,00,000	7,20,00,000
कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड (10,000 शेयर्स @ रु.10/- प्रति)	1,00,000	1,00,000
ड्रेजिंग कार्पोरंशन आफ़ इण्डिया (कुल 10,000 शेयर्स - 4674 @ रु.334.50 प्रति तथा 5236 @ रु.333.43/- प्रति लगभग)	33,39,311	33,39,311
चेन्नै एमएमएलपी प्रा.लि. (165043010 ईक्विटी शेयर्स @ रु.10/- प्रति)	1,65,04,30,100	1,30,100
कुल	**28,25,38,69,411**	**26,60,35,69,411**

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

अनुसूची VI - चालू परिसंपत्तियां , ऋण और अग्रिम (₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
ए. चालू परिसंपत्तियाँ		
I. निवेश पर अर्जित ब्याज		
सामान्य निधि- राजस्व	16,33,18,098	16,17,55,014
चे.पो.ट्र. कर्मचारी एल.आई.डाब्ल्यू प्रतिपूर्ति निधि	16,52,904	15,46,196
परिवार सुरक्षा निधि	1,20,24,858	1,15,40,663
छुट्टी भुनाने की निधि	2,38,23,107	2,38,23,107
सामान्य बीमा निधि	8,18,64,034	7,20,71,510
गृह निर्माण अग्रिम	79,61,163	1,21,66,451
ईडाब्ल्यूएफ में अर्जित ब्याज	17,19,822	13,87,367
परिवहन अग्रिम	67,81,305	67,81,305
कंप्यूटर अग्रिम	949	949
कुल	**29,91,46,240**	**29,10,72,562**
II. इन्वेंट्रीस	9,76,31,743	11,31,46,565
घटाएँ: अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान	1,98,48,634	1,98,48,634
	7,77,83,109	**9,32,97,931**
ii. फुटकर देनदार		
ए. सरकारी देयताएँ	48,09,93,327	75,14,45,677
बी. गैर सरकारी देयताएँ	82,25,75,843	80,63,44,488
कुल	**1,30,35,69,170**	**1,55,77,90,165**
विवरण	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
बी. ऋण और अग्रिम		
i. सहायक कंपनियों/पोर्टों को अग्रिम और ऋण		
ए. कामराजर पोर्ट लिमिटेड	1,36,02,49,993	1,59,03,74,989
कुल	**1,36,02,49,993**	**1,59,03,74,989**
ii. नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम या प्राप्त होने वाला मूल्य		
ए. कर्मचारी अग्रिम	9,09,47,455	10,01,49,014
बी. खरीदारी के लिए अग्रिम	5,52,10,449	4,00,17,103
सी. कार्यों के लिए अग्रिम	10,16,12,654	7,60,38,227
कुल	**24,77,70,558**	**21,62,04,345**
iii. अग्रिम, जमा और अन्य प्राप्य		
डी. अन्य को अग्रिम	79,65,94,201	53,57,87,411
iv. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर विभाग आदि के साथ शेष		
ए. आयकर - टीडीएस, अग्रिम कर, आदि।	2,57,18,08,363	2,36,87,68,944
कुल	**2,57,18,08,363**	**2,36,87,68,944**
v. जमा		
ए. टीएनईबी के पास जमा राशि	4,30,21,077	4,30,21,077
बी. माननीय उच्च न्यायालय	15,02,79,222	
सी. टेलीफोन	84,550	84,550
डी. अन्य	7,41,108	7,41,108
कुल	**19,41,25,958**	**4,38,46,736**
कुल ऋण और अग्रिम (i से iv)	**5,17,05,49,072**	**4,75,49,82,424**

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची VII - नकदी और बैंक में शेष

(₹ में)

बैंक का नाम	31.03.2025 तक											
	सामान्य निधि (राजस्व - I)	पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, सुधार और आधुनिकीकरण हेतु आरक्षण	ऋणों एवं आकस्मिकताओं के पुनर्भुगतान एवं विकास के लिए आरक्षण	नई अंशदान पेंशन योजना	छुट्टी भुनाना निधि	सामान्य बीमा निधि	परिवार सुरक्षा निधि	वेतन प्रतिभूति निधि में हानि	कल्याण निधि	जमा निधि	रेलवे भाड़ा अग्रिम	कुल
2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	[3 to 11]
ए. स्थाई जमा												
बैंक ओफ बड़ौदा						17,27,00,000	8,99,00,000					26,26,00,000
केनरा बैंक	26,71,00,000					44,13,00,000	11,75,00,000					82,59,00,000
इंडियन बैंक		18,00,00,000	18,00,00,000			8,98,00,000			51,50,000			45,49,50,000
इंडियन ओवरसीज बैंक						8,94,00,000	4,23,00,000					13,17,00,000
पंजाब नेशनल बैंक						55,59,00,000						55,59,00,000
पंजाब एंड सिंध बैंक												0
भारतीय स्टेट बैंक	1,40,58,29,749					27,06,00,000		17,00,000	31,00,000			1,68,12,29,749
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया						54,34,00,000	7,26,00,000	4,70,00,000				66,30,00,000
एलआईसी (जीएफ) के साथ निवेश	2,46,71,25,059											2,46,71,25,059
एलआईसी (एलईएफ) के साथ निवेश					71,51,08,110							71,51,08,110
ट्रेज़री	57,000											57,000
ठेकेदार और अन्य										1,99,952		1,99,952
कुल (ए)	4,14,01,11,808	18,00,00,000	18,00,00,000		71,51,08,110	2,16,31,00,000	32,23,00,000	4,87,00,000	82,50,000	1,99,952		7,75,77,69,870
बी. बैंकों के साथ लघु अवधि जमा												
भारतीय स्टेट बैंक	36,45,90,000											36,45,90,000
कुल (बी)	36,45,90,000											36,45,90,000
सी. बैंकों में शेष:												
I. चालू खातों में:												
भारतीय स्टेट बैंक राजस्व-I	11,03,27,729											11,03,27,729
भारतीय स्टेट बैंक राजस्व-II	14,30,49,812											14,30,49,812
भारतीय स्टेट बैंक पूँजी -I	10,336											10,336
भारतीय स्टेट बैंक पूँजी -II	9,967											9,967
भारतीय स्टेट बैंक										76,95,999	1,39,29,253	2,16,25,252
इंडियन बैंक (ईडीआई)	16,49,214											16,49,214
एसबीआई ऋण सेवा खाता	8,24,96,607											8,24,96,607

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण
तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची VII - नकदी और बैंक में शेष

(₹ में)

बैंक का नाम	31.03.2025 तक											
	सामान्य निधि (राजस्व - I)	पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, सुधार और आधुनिकीकरण हेतु आरक्षण	ऋणों एवं आकस्मिकताओं के पुनर्भुगतान एवं विकास के लिए आरक्षण	नई अंशदान पेंशन योजना	छुट्टी भुनाना निधि	सामान्य बीमा निधि	परिवार सुरक्षा निधि	वेतन प्रतिभूति निधि में हानि	कल्याण निधि	जमा निधि	रेलवे भाड़ा अग्रिम	कुल
2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	[3 to 11]
एसबीआई (जीएसटी)	18,80,344											18,80,344
एसबीआई डीमेट खाता	10,035											10,035
आईडीबीआई बैंक - वसूली नियंत्रण खाता	21,359											21,359
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड - ईडीआई												0
एसबीआई (एफएचएमसी)	1,41,420											1,41,420
आईसीआईसीआई बैंक - ई-वसूली खाता	7,82,55,667											7,82,55,667
एसबीआई ईबीएम ई-वसूली खाता	1,00,000											1,00,000
उप-योग	41,79,52,488									76,95,999	1,39,29,253	43,95,77,740
ii. **बचत बैंक खाते:**												-
केनरा बैंक								2,73,895				2,73,895
भारतीय स्टेट बैंक राजस्व-I	4,46,499											4,46,499
भारतीय स्टेट बैंक राजस्व-II	35,333											35,333
भारतीय स्टेट बैंक				5,63,707	1,15,65,443	1,82,754	25,13,582		62,51,122			2,10,76,608
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (हार्बर प्रवेश शुल्क)	5,99,653											5,99,653
उप-योग	10,81,485			5,63,707	1,15,65,443	1,82,754	25,13,582	2,73,895	62,51,122			2,24,31,988
कुल (सी)	41,90,33,973			5,63,707	1,15,65,443	1,82,754	25,13,582	2,73,895	62,51,122	76,95,999	1,39,29,253	46,20,09,728
डी. हाथ में नकद												
कुल योग (ए से डी)	4,92,37,35,780	18,00,00,000	18,00,00,000	5,63,707	72,66,73,553	2,16,32,82,754	32,48,13,582	4,89,73,895	1,45,01,122	78,95,951	1,39,29,253	8,58,43,69,598

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

अनुसूची VIII - चालू देयताएँ और प्रावधान

(₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
ए. चालू देयताएँ		
i. सवैधानिक निधि	9,43,04,213	11,68,04,276
ii. विविध लेनदार और क्रेडिट शेष	3,62,47,20,249	2,15,46,80,128
iii.व्यापारियों, ठेकेदारों आदि से जमा राशि	6,51,00,72,992	7,01,35,64,039
iv. अन्य	8,32,21,729	29,52,74,815
v. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	1,32,57,996	1,05,07,455
	10,32,55,77,179	9,59,08,30,713
बी. प्रावधान		
i. कर्मचारियों से संबंधित लाभ	2,02,63,11,910	60,50,03,941
ii. कराधान का प्रावधान	1,51,08,00,000	85,26,00,000
iii. व्यय के लिए प्रावधान	26,10,21,974	35,58,37,148
	3,79,81,33,884	1,81,34,41,089
महा कुल	14,12,37,11,063	11,40,42,71,802

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

(₹ में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
प्रचालन आय			
कार्गो संहलाई तथा भंडारण प्रभार	I	6,08,25,92,652	5,66,93,22,374
पोर्ट तथा डॉक प्रभार	II	4,21,27,73,297	4,15,71,00,249
रेलवे उपार्जन	III	3,14,18,018	3,78,53,186
संपदा किराया	IV	61,66,34,252	65,24,03,253
कुल		10,94,34,18,219	10,51,66,79,062
प्रचालन व्यय			
कार्गो संहलाई तथा भंडारण प्रभार	V	1,17,63,55,633	1,23,87,20,212
नौवहन के लिए पोर्ट व डॉक सुविधाएं	VI	1,18,13,60,663	1,08,52,88,917
रेलवे कार्य	VII	32,16,32,997	30,66,03,557
किराया भूमि व भवन	VIII	17,43,70,902	13,68,14,221
प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन व्यय	IX	3,88,97,08,569	3,82,63,39,045
कुल		6,74,34,28,764	6,59,37,65,952
प्रचालन अधिशेष		**4,19,99,89,455**	**3,92,29,13,110**
जोड : वित्त व विविध आय	X	4,57,93,40,873	3,17,40,92,532
		8,77,93,30,328	**7,09,70,05,642**
घटाएं : वित्त व विविध व्यय	XI	7,13,60,29,488	5,08,23,47,593
कर से पूर्व लाभ		**1,64,33,00,840**	**2,01,46,58,049**
घटाएं : कर के लिए प्रावधान			
पिछले वर्षों के लिए		13,93,74,856	
चालू वर्ष के लिए		65,82,00,000	85,26,00,000
कर के बाद लाभ		**84,57,25,984**	**1,16,20,58,049**
घटाएं: पूंजी परिसंपत्ति के आधुनिकीकरण, पुर्नवास और प्रतिस्थापन के लिए आरक्षण से स्थानांतरीत की गई राशि		9,41,56,992	8,74,23,760
घटाएं: विकास के लिए आरक्षण, ऋण तथा आकस्मिक व्यय से स्थानांतरित राशि ।		9,41,56,992	8,74,23,760
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		**65,74,12,000**	**98,72,10,529**
घटाएं : विनियोजन			
सामान्य बीमा निधि को अंशदान		1,00,00,000	1,00,00,000
पूँजी कार्य को अंशदान (पूँजी - I & II)			78,12,00,000
कुल		1,00,00,000	79,12,00,000
सामान्य आरक्षण पर अंतरित शेष		64,74,12,000	19,60,10,529

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राय
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

लाभ और हानि खाते की अनुसूची

(₹ में)

अनु. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
	प्रचालन आय		
I	**कार्गो सम्हलाई तथा भंडारण प्रभार**		
	सामान्य कार्गो पर सम्हलाई प्रभार	1,25,48,66,346	1,43,72,63,266
	पी ओ एल उत्पाद के लिए सम्हलाई	76,47,00,805	58,72,68,010
	भंडारण शुल्क	52,65,45,348	49,96,51,626
	क्रेनेज	1,33,42,643	2,08,61,130
	कन्टैनरों पर घाट प्रभार	1,18,63,572	5,10,403
	स्टीवडोरिंग प्रभार	18,45,81,596	15,39,20,798
	सामान्य कार्गो पर डेमरेज प्रभार	4,58,04,459	5,50,55,246
	हारबर प्रवेश शुल्क	7,14,54,262	6,77,11,185
	विविध आय	2,54,30,733	2,49,67,108
	उप कुल (ए)	**2,89,85,89,764**	**2,84,72,08,772**
	बीओटी ठेके से आय		
	सीसीटीपीएल से रॉयल्टी	1,27,41,54,274	1,13,33,55,894
	सीआईटीपीएल से राजस्व शेयर	1,90,61,65,688	1,68,54,24,375
	राजस्व शेयर - ग्लोबल पोर्ट सोल्युशनस - (एमएचसी)	3,49,593	
	अपफ्रेन्ट प्रीमियम का परिशधत - सी आई टी पी एल	33,33,333	33,33,333
	उप कुल (बी)	**3,18,40,02,888**	**2,82,21,13,602**
	कुल (ए + बी)	**6,08,25,92,652**	**5,66,93,22,374**
II	**पोर्ट व डॉक प्रभार**		
	पोर्ट देयता	88,72,31,264	87,27,85,014
	पाइलटेज व टावेज	2,37,78,40,650	2,37,40,51,544
	बर्थ भाडा प्रभार	81,91,35,861	77,38,80,390
	विविध आय	12,85,65,522	13,63,83,301
	कुल	**4,21,27,73,297**	**4,15,71,00,249**
III	**रेलवे उपार्जन**		
	फ्राइट तथा हालेज प्रभार	1,24,05,540	1,48,61,997
	टर्मिनल प्रभार	1,81,06,425	2,10,01,745
	विविध आय	9,06,053	19,89,444
	कुल	**3,14,18,018**	**3,78,53,186**
IV	**संपदा किराया**		
	क्वाटर्स से लाइसेंस शुल्क	40,31,953	39,66,625
	क्वाटर्स से किराया	2,62,28,143	1,62,87,564
	कार्यालय आवास से किराया	6,66,69,008	9,35,97,436
	कार्यालय आवास से अपफ्रन्ट प्रीमियम	8,35,48,335	6,16,27,586
	पट्टे किराया - सी सी टी पी एल	7,15,968	7,15,968
	पट्टे किराया, वे लीव प्रभार - सी आई टी पी एल	13,30,81,087	12,62,40,949
	विद्युत और पानी प्रभार	28,41,20,916	33,15,41,073
	विविध आय	1,82,38,842	1,84,26,052
	कुल	**61,66,34,252**	**65,24,03,253**

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

लाभ और हानि खाते की अनुसूची

(₹ म)

अनु. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
	प्रचालन व्यय		
V	**कार्गो सम्हलाई तथा भंडारण प्रभार**		
	सामान्य कार्गो संहलाई तथा भंडारण	53,55,83,366	59,38,29,965
	पी ओ एल प्रोडक्ट की संहलाई	7,35,21,012	8,05,05,149
	वेयरहाउसिंग	16,88,41,922	15,27,96,195
	फ्लोटिंग क्रेन सहित क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण		
	प्रशासन तथा सामान्य व्यय	33,35,63,908	35,02,84,301
	मूल्यह्रास	6,48,45,425	6,13,04,602
	कुल	**1,17,63,55,633**	**1,23,87,20,212**
VI	**नौवहन हेतु पोर्ट तथा डॉक सुविधा**		
	टौवेज, बर्थिंग तथा मूरिंग	(7,18,544)	1,64,52,605
	प्रदूषण नियंत्रण	1,33,37,857	1,14,34,634
	पाइलटेज	24,17,88,317	22,74,09,113
	अग्निशमन	15,25,88,813	12,88,92.807
	नाविक संसाधानों का प्रचालन और अनुरक्षण	60,73,01,487	64,05,98,888
	मूल्यह्रास	16,70,62,733	6,05,00.870
	कुल	**1,18,13,60,663**	**1,08,52,88,917**
VII	**रेलवे कार्यचालन**		
	लोकोमोटिव्स, वैगन आदि का प्रचालन तथा अनुरक्षण	8,83,12,189	7,10,23,987
	स्थाई रास्ता, सिग्नल तथा इंटर्लोकिंग सुविधाएँ का अनुरक्षण	87,21,372	3,10,12,242
	स्टेशन, यार्डस, साइडिंगस का प्रचालन तथा अनुरक्षण तथा प्रशासन एवं सामान्य व्यय	21,15,93,661	19,82,05,173
	मूल्यह्रास	1,30,05,775	63,62,155
	कुल	**32,16,32,997**	**30,66,03,557**
VIII	**किराए पर भूमि व भवन**		
	संपदा अनुरक्षण, प्रशासन और सामान्य व्यय	11,36,10,515	12,30,58,145
	मूल्यह्रास	6,07,60,387	1,37,56,076
	कुल	**17,43,70,902**	**13,68,14,221**
IX	**प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन व्यय**		
	प्रबंधन व सचिवालय	75,49,06,440	66,23,50,980
	लेखाकरण और लेखा परीक्षा	42,65,22,572	41,78,25,314
	संपत्ति कर	11,32,51,872	5,64,42,753
	कानूनी संबंधित व्यय	3,60,74,395	1,17,86,202
	श्रम व कल्याण प्रभार	7,93,49,764	5,10,58,755
	चिकित्सा संबंधित व्यय	68,52,96,397	67,67,13,046
	भण्डारण	10,63,42,811	13,16,99,275
	टेलिफोन व्यय	12,21,675	9,20,831
	अभियंता और कार्यशाला ओवरहेड्स	1,52,70,68,779	1,73,60,68,245
	मूल्यह्रास	15,96,73,864	8,14,73,644
	कुल	**3,88,97,08,569**	**3,82,63,39,045**

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

लाभ और हानि खाते की अनुसूची

(₹ म)

अनु. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
X	**वित्त व विविध आय**		
	ब्याज व डिविडेंट		
	स्थाई जमा-सामान्य निधि का ब्याज	36,07,50,995	38,09,22,163
	के.पी.एल के ऋण पर ब्याज	13,97,88,429	16,04,18,537
	आयकर वापसी पर ब्याज	2,74,49,047	
	कर्मचारी को अग्रिम पर ब्याज	12,80,391	18,48,821
	के.पी.एल में इक्विटी शेयर से डिविडेंड	3,90,00,00,000	2,40,00,00,000
	उप कुल (ए)	**4,42,92,68,862**	**2,94,31,89,521**
	अन्य गैर-प्रचालन व विविध आय		
	पूंजी परिसंपत्तियां के बिक्री में लाभ	1,90,31,914	1,83,340
	अनुपयुक्त चीजों की बिक्री	3,64,00,884	3,73,51,525
	एमईए से राजस्व अनुदान - व्यवहार्यता अध्ययन		
	दंड	5,01,83,415	4,56,14,710
	विविद रसीद	3,43,13,309	10,32,99,233
	पिछले वर्ष से संबंधित मदें	1,01,42,489	4,44,54,203
	उप कुल (बी)	**15,00,72,011**	**23,09,03,011**
	कुल (ए + बी)	**4,57,93,40,873**	**3,17,40,92,532**
XI	**वित्त व विविध व्यय**		
	सेवानियृत्त लाभ के लिए अंशदान व व्यय		
	पैंशन निधि को अंशदान	1,01,40,72,360	84,00,00,000
	उपदान निधि को अंशदान	23,00,00,000	45,00,00,000
	नए पैंशन योजना को अंशदान	1,84,85,475	2,67,67,094
	अधिवर्षिता पैंशन- 14.11.2002 से पहले सेवा निवृत्ति	1,12,73,11,319	1,07,78,18,394
	परिवार पैंशन - 14.11.2002 से पहले सेवा निवृत्ति	92,82,54,245	95,47,18,273
	उप कुल (ए)	**3,31,81,23,399**	**3,34,93,03,761**
	अन्य निधि को अंशदान		
	छुट्टी भुनाने निधि को अंशदान	29,75,59,497	35,00,00,000
	कल्याण निधि को अंशदान	15,00,000	15,00,000
	परिवार सुरक्षा निधि को अंशदान	17,58,001	15,00,000
	वेतन प्रतिपूर्ति निधि में हुए नष्ट हेतु अंशदान	15,000	12,198
	उप कुल (बी)	**30,08,32,498**	**35,30,12,198**
	स्थगित राजस्व व्यय		
	एससी डब्ल्यूडब्ल्यूसी कर्मचारी को एकमुश्त निपटान	5,20,224	5,20,212
	उप कुल (सी)	**5,20,224**	**5,20,212**

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

लाभ और हानि खाते की अनुसूची

(₹ म)

अनु. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
	अन्य वित्त व विविध व्यय		
	बैंक प्रभार, ब्रोकरेज एवं कमिशन	14,37,174	9,72,969
	एसबीआई से ऋण पर ब्याज	1,00,08,83,104	1,18,29,89,098
	अवधि ऋण पर भुगतान किए गए अपफ्रन्ट का परिशोधन।	31,46,665	31,46,665
	पूंजी परिसंपत्तियां के निपटान में हानि		40,908
	वेतन संशोधन बकाया	2,34,67,28,369	
	पूर्व अवधि व्यय - अन्य	16,43,58,055	19,23,61,782
	उप कुल (डी)	**3,51,65,53,367**	**1,37,95,11,422**
	महा योग (ए से डी)	**7,13,60,29,488**	**5,08,23,47,593**

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण
टाइपवार व्यय

(₹ में)

टाइप कोड	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
ए	**वेतन व मजदूरी**		
41100000	वेतन व मजदूरी	3,79,84,83,107	4,06,62,42,141
		3,79,84,83,107	**4,06,62,42,141**
41100013	समयोपरि	1,33,81,643	1,30,87,861
41100015	छुट्टी मजदूरी	3,64,13,448	2,37,26,387
41100016	विश्राम दिन	86,35,441	1,85,86,716
		5,84,30,532	**5,54,00,964**
41100011	प्रोत्साहन	2,87,89,100	1,97,27,227
		2,87,89,100	**1,97,27,227**
41100025	कफ्टीरिया भत्ता	6,98,31,567	7,21,41,385
41100031	शिशु शिक्षा भत्ता	1,77,00,000	2,00,20,000
41100037	पीएलआर / बोनस / अनुग्रह राशि	3,37,00,000	5,50,00,000
		12,12,31,567	**14,71,61,385**
	कुल (ए)	**4,00,69,34,306**	**4,28,85,31,717**
बी	**भंडार व्यय**		
41200000	भंडार - सामान्य उपभोग	1,17,03,621	75,80,260
41200001	भंडार - प्रचालन उपभोग	4,75,31,007	3,07,11,127
41200002	भंडार - ईंधन की उपभोग	18,48,51,782	17,32,92,136
	कुल (बी)	**24,40,86,410**	**21,15,83,523**
सी	**प्रचालन व अनुरक्षण व्यय**		
41300000	भाड़ा प्रभार-वाहण	3,42,19,707	3,38,09,144
41300001	टग्स और फ्लोटिंग क्राफ्ट्स का किराया	25,92,13,557	25,80,64,227
41300002	नुकसान और कमियों - द.रेवले	1,02,633	1,37,250
41300003	पृथक्करण राशि - सीसीटीपीएल	45,82,222	34,54,666
41300004	पानी प्रभार	3,49,37,862	2,81,46,688
41300005	विद्युत प्रभार	30,48,82,730	29,33,69,294
41300006	प्रदूषण नियंत्रण	1,33,79,022	8,70,342
41300007	पुलिस सुरक्षा (सीआईएसएफ के अलावा)	85,72,171	42,49,066
41300008	मानदेय	2,50,04,983	2,18,33,117
41300009	गैस व्यय	1,19,599	1,96,374
41300010	मेन पावर का किराया	2,65,56,375	1,88,27,035
41300012	मरम्मत व अनुरक्षण	11,72,28,001	14,96,00,066
41300013	वार्षिक पट्टा प्रभार	-8,00,00,000	2,00,00,000
41300014	आपदा प्रबंधन कार्यक्रम		8,475
41300015	टेस्टिंग व प्रमाणीकृत शुल्क	54,660	1,03,360
41300016	बीमा - पोर्ट संपत्ति	4,03,48,075	2,91,50,456
41300019	अनुसंधान विकास		27,94,550
41300020	आस्थगित राजस्व के रूप में एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए अंशदान	13,87,69,186	3,63,41,964
41300021	ईएसआई-पोर्ट अंशदान	13,590	14,365
41300025	परियोजना व्यय	5,84,15,684	
41300026	द.रेवले को डेमूरेज प्रभार का भुगतान	1,24,254	
	उप कुल (1)	**98,65,24,311**	**90,09,70,439**

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण
टाइपवार व्यय

(₹ में)

टाइप कोड	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
	स्वच्छ भारत अभियान		
41310000	वार्फ़ की सफ़ाई		3,08,918
41310001	शेडस की सफाई तथा मरम्मत	48,963	20,000
41310002	नीलामी और अनुपयोगी	700	
41310004	पोर्ट सड़कों की सफ़ाई व मरम्मत	36,17,139	84,46,889
41310009	खुले क्षेत्र में शौचालय काप्लेक्स का आधुनिकीकरण	3,70,670	42,24,292
41310012	कार्यालय भवन तथा आवासों को पइन्टिंग करना	61,91,110	76,92,949
41310014	ड्रेनेज व स्ट्राम वाटर सिस्टम की सफाई तथा मरम्मत	54,90,047	16,27,464
	उप कुल (2)	**1,57,18,629**	**2,23,20,512**
	ग्रीन पोर्ट प्रारंभन		
41320000	पर्यावरण पैरामीटर अध्ययन	12,21,708	21,71,892
41320001	खुले क्षेत्र के रास्ते तथा कोने में पौधे लगाना	12,23,571	53,72,699
	उप कुल (3)	**24,45,279**	**75,44,591**
	कुल (सी)	**1,00,46,88,219**	**93,08,35,542**
डी	**कार्यालय व सामान्य प्रशासनिक व्यय**		
41400000	डाक और कूरियर शुल्क	2,82,961	3,37,629
41400001	यात्रा व्यय	19,02,995	24,11,280
41400002	एरफेर	46,76,980	40,85,868
41400005	विविध व्यय	70,46,853	1,22,69,960
41400006	बाहरी प्रशिक्षण	43,82,796	24,19,459
41400009	मनोरंजन व्यय	3,04,996	2,16,821
41400010	कानूनी प्रभार	3,74,83,314	51,56,239
41400011	मुद्रण और स्टेशनरी	23,16,533	15,42,112
41400012	टेलीफोन व्यय	12,21,675	9,20,831
41400013	मानदेय - जांच अधिकारी	34,226	1,12,250
41400014	आंतरिक प्रशिक्षण	4,99,636	2,08,296
41400016	व्यवसाय संवर्धन व्यय	45,62,908	1,20,29,945
41400017	अंशदान - चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट स्कूल	4,50,69,769	3,72,56,481
41400018	कैंटीन को अनुदान		2,05,421
41400019	अनुदान खेल परिषद	30,00,000	34,87,000
41400020	हिंदी परीक्षा /मनाना	2,63,141	2,31,700
41400021	आर्बिट्रेशन शुल्क	18,45,261	4,33,197
41400022	व्यावसायिक परामर्श शुल्क	2,90,27,863	1,21,38,138
41400023	विज्ञापन व्यय	35,81,487	33,68,955
41400024	एएमसी - कार्यालय उपकरण/उपस्कर	5,76,69,836	7,94,98,624
41400025	सब-पुस्तकें आवधिक	4,11,631	11,57,283
41400026	सी व ए जी लेखा परीक्षा शुल्क	35,00,000	35,00,000
41400027	दर व कर	11,32,51,872	5,64,42,753
41400028	बीमा	87,845	
41400029	अनुदान एवं अंशदान	1,50,87,824	1,28,36,897

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण
टाइपवार व्यय

(₹ में)

टाइप कोड	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
41400030	लाइसेंस शुल्क	82,251	7,200
41400031	सी व ए जी के अलावा लेखा परीक्षा शुल्क	6,19,200	27,34,999
41400033	ईपीएफ़- नियोक्ता शेयर	6,63,146	7,26,312
41400034	ईपीएफ़- प्रशासनिक सेवा प्रभार	15,525	17,400
41400035	ईपीएफ़- ई.डी.ई.एल.	27,641	30,263
41400036	पब्लिसिटी व्यय	37,96,912	24,23,686
41400037	प्रदर्शनी व्यय	44,21,527	16,37,976
41400038	बोर्ड मीटिंग व्यय	1,16,437	8,52,040
41400039	वी आई पी/वी वी आई पी के आगमण पर व्यय	1,01,79,310	99,20,578
41400040	स्वतंत्रता /गणतंत्र दिवस समारोह	7,28,779	2,80,606
41400041	अन्य आधिकारिक समारोह	2,93,771	1,99,400
41400042	फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर आदि की खरीदारी	32,25,568	14,38,578
41400043	कंप्यूटर्स/प्रिंटर्स की खरीदारी	6,82,814	3,99,499
41400046	कंप्मयूटर पेरिपरलस	19,48,769	90,002
41400047	सामान्य एलटीसी	16,91,200	37,50,369
41400048	सतर्कता जागरूकता पर व्यय	10,15,075	6,80,618
41400049	सीएसआर निधि में अंशदान	3,48,61,741	3,12,12,000
41400050	स्कूल के कल्याण व्यय	42,15,438	
	कुल (डी)	**40,60,97,506**	**30,86,68,665**
ई	**सुरक्षा व्यय**		
41500001	सीआईएसएफ की तैनाती लागत	32,92,06,781	33,27,09,916
41500002	हथियार और गोला बारूद	14,28,613	43,04,583
41500003	क्लाथिंग एव उपस्कर	17,55,441	15,34,703
	कुल (ई)	**33,23,90,835**	**33,85,49,202**
एफ	**चिकित्सा व्यय**		
41600000	भंडार - चिकित्सा खपत	5,03,28,677	3,42,11,415
41600002	डायट व्यय	36,87,285	42,39,048
41600001	चिकित्सा प्रतिपूर्ति कर्मचारी	24,54,599	19,83,286
41600003	चिकित्सा प्रतिपूर्ति पेंशनर	97,04,352	59,13,555
41600009	चिकित्सा प्रतिपूर्ति सीआईएसएफ	8,91,83,839	9,39,53,935
41600004	रेफरल उपचार कर्मचारी	12,73,41,400	14,76,36,065
41600005	रेफरल उपचार पेंशनभोगी	9,56,748	41,29,134
41600006	रेफरल उपचार सीआईएसएफ	2,26,404	1,33,519
	कुल (एफ)	**28,38,83,304**	**29,21,99,957**
41700001 to 41700014	मूल्यह्रास (जी)	**46,53,48,183**	**22,33,97,346**
	महा योग (ए) से (जी) तक	**6,74,34,28,764**	**6,59,37,65,952**

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण
पूँजी कार्य व्यय

(रु. करोडो में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	बजटरी सपोर्ट	-	-
2	आंतरिक स्रोत	154.41	78.12
	कुल	**154.41**	**78.12**

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

वार्षिक लेखा
2024-25

लेखाकरण नीति
तथा
लेखे पर टिप्पणी

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

वार्षिक लेखा 2024-25

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और लेखे पर टिप्पणी

(ए) लेखा नीतियाँ

1. मंत्रालय के दि.6 नवम्बर 2002 का पत्र सं.पीआर.20021/2/98-पीजी के अनुसार (प्रोदभूत आधार पर) लेखा के मरकान्टाइल प्रणाली के तहत बुकों का आरक्षण किया जाता है ।

2. जब सेवाएँ की जाती है तब आय की पहचान की जाती है और सेवा करते समय परिकलित की जानेवाली राशि के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता चालू नहीं रहती है ।

3. स्थायी परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास से घटाते हुए ऐतिह्रासिक लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

4. निपटान पर वित्तीय विवरणों से स्थायी परिसंपत्तियों को बाहर निकाला जाता है।

5. निर्माणाधीन स्थायी परिसंपत्तियाँ को प्रगति के पूँजी कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

6. सभी स्थाई परिसंपत्तियों को तीन साल में एक बार व्यक्तिगत जाँच की जाती है ।

7. भुगतान/अंशदान जिसे ईक्विटी या ऋण के रूप में निवेशों जैसे विचार नहीं किया जाता है, को अंशदान किए जाने के पहले वर्ष से लेकर 10 साल अवधि में परिशोधित किया जाता है।

8. भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पोर्ट स्कंध द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या पीआर-24021/28/98-पीजी दि.20.08.1998 के संदर्भ में, बताए अनुसार, परिसंपत्तियों की सक्षमता सहित उल्लिखित किए गए दरों के आधार पर, सीधे लाइन ढंग पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है । नए लेखाकरण नीति के अनुसार, लेखाकरण नीति में उल्लिखित किए स्लेब के आधार पर परिसंपत्तियों के उपयोग की अनुपात में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है किसी एक खास परिसंपत्ति के लिए जब सरकार द्वारा नियत किए गए जीवन नार्मस उपलब्ध नहीं होता तो, संबंधित प्रचालन विभागों द्वारा निर्धारित किए गए जीवन नार्मस का पालन किया जाता है ।

9. 5 वर्ष से कम अवधि वाले तथा रु.1,00,000/- से कम मूल्य वाले पूंजीगत व्यय को वर्ष पूरा होने में /उपयोग होने में पूर्णतः राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

10. भूमि के पुनर्ग्रहण पर व्यय की गई राशि को पूंजीगत व्यय माना जाता है तथा उस पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है।

11. लंबी अवधि पट्टे पर प्रापण किए गए जमीन के लिए अपफ्रंट आधार पर अदायगी करने पर, दी गई राशि को लीस होल्ड लेंड के रूप में माना गया है तथा वर्गीकृत जमीन के तहत स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में शामिल किया गया है । पट्टे की अवधि से ज्यादा जमीन के उद्धरण के लिए खर्च की गई राशि को बट्टे खाते में / परिशोधन किया जाता है।

12. प्रचलित पट्टे को राजस्व के रूप में माना जाता है और तदनुसार प्राप्तियाँ और अदायगी की लेखाकृत की जाती है । फिर भी, लीसकर्ता द्वारा प्राप्त की गई एक समय की गैर वापसीय राशि को, पट्टे की अवधि से ज्यादा होने पर बांटा जाता है।

13. वस्तुओं को वेइटड औसत लागत पर परिकलित किया जाता है । नॉन स्टॉक आइटम को राजस्व लेखे पर प्रभारित किया जाता है तथा तुलनपत्र में केवल स्टॉक आइटम को ही भंडार तथा वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है ।

14. कार्य क्षेत्र/उप-भंडार में पड़े, परंतु 31 मार्च तक प्रयोग नहीं किए तथा प्रयोग/कार्य हेतु मुख्य भंडार से लिए गए मदों को स्टाक मदों में शामिल किया गया है ।

15. लंबी अवधि निवेश को लागत के रूप में बताया जाता है ।

16. निवेशों में निम्नलिखित है :-

ए. सरकारी/पीएसयू कंपनीयों में ईक्विटी अंशदान

बी. अन्य पोर्टों से इंटर-कार्पोरेट ऋण

सी. राष्ट्रीकृत बैंक में स्थाई जमा

डी. एलआईसी के साथ निवेश पर जमा

17. संड्री देनदार के तहत विसंगत दावे को लेखाकृत नहीं किया गया है लेकिन लेखे पर टिप्पणी में ही उल्लिखित किया है । एक पोर्ट उपयोगकर्ता पर अपने आय के लिए पोर्ट द्वारा किए गए मांग को अगर पोर्ट उपयोगकर्ता द्वारा किसी कानूनी फोरम में चुनौती दी गई तो उसे विवादास्पद दावा के रूप में माना जाता है ।

18. अवसूलनीय ऋण/दावे को अप्राप्त समझा जाता है तथा सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन पर बट्टे खाते में डाला जाता है ।

19. दावे को आय के रूप में परिकलित किया गया है लेकिन उसके बाद आनेवाले अनुचित प्राप्तियों को सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन पर लेखे की पुस्तिका में व्यय के रूप में माना जाता है ।

20. एक या एक से अधिक पूर्व अवधि की वित्तीय विवरणिका की तैयारी में हुई किसी त्रुटि या छुडाव के कारण पूर्व अवधि आय या व्यय जो चालू अवधि में उत्पन्न होता है, को क्रमश: वित्त तथा विविध आय या व्यय के तहत शामिल किया जाता है ।

21. सी एण्ड ए जी द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लेखाकीकरण प्रपत्र के अनुसार सभी निवेशों को **अनुसूची – V** में दर्शाया गया है और सभी बैंक जमा और बैंक शेष को **अनुसूची -VII** में दर्शाया गया है ।

22. किसी एक परियोजना के लिए सृजित तथा पहचानीय पदों के संबंध में, संबंधित स्थापना लागत को सीधे परियोजना पर प्रभारित किया जाएगा । बहु प्रयोजनार्थ परियोजना हेतु सृजित तथा प्रचलित पदों के लिए, ऐसी स्थापना लागत, उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचलित पदों के लिए माह की संख्या तथा परियोजना की संख्या के औसत तथा किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचलित पदों के लिए परियोजना की संख्या को लेकर अनुपाततः प्रभारित किया जाएगा ।

23. पूँजी व्यय पर 2% की दर पर प्रशासनिक ओवरहेड्स प्रभारित किया जाता है, तथा प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग में शामिल कार्य ठेके के तहत पूँजीकृत किया गया तथा बिलों का प्रचालन चे.प.प्रा अभियन्ता द्वारा, चाहे यांत्रिक हो या सिविल ठेका हो, को पंजीकृत किया जाता है बल्कि आपूर्ति मदों से संबंधित नही ।

24. दि.14.11.2002 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए दी गई पेंशन अदायगी लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है । अन्य सभी मामलों में पेंशन की अदायगी के साथ पेशगी की अदायगी अगर हो, पेंशन निधि के उपार्जन में से संभाला जाता है। सभी उपदान की अदायगी उपदान निधि में संभाला जाता है ।

25. भुनाने की देयता को संभालने के लिए वित्त वर्ष 2010-11 से छुट्टी भुनाने निधि को बनाया गया था। एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर इस निधि के कारपस का निर्माण हेतु आवश्यक अंशदान प्रदान किया जाता है बशर्ते कि पिछले वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय तक निम्नतम अंशदान हो।

26. विशिष्ट/गैर-प्रोदभूत राजस्व व्यय जिसे एक साल से ज्यादा अवधि के लिए पोर्ट को सुविधा प्रावधान किए जाने हेतु या भविष्य के व्यय को कम करने के फलस्वरूप या पोर्ट के अन्य कोई बाध्यता के लिए विचार किया जाता है को अस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है तथा 5 साल से ज्यादा होने पर बट्टे खाते पर डाला जाता है।

27. चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने, भारत सरकार से प्राप्त राजस्व अनुदान को आय के दृष्टिकोण से अनुपालन किया है तथा तदनुसार अनुदान प्राप्तियाँ को, जिस प्रयोजनार्थ अनुदान प्राप्त हुआ है के लिए किए गए व्यय को आय के रूप में माना जाता है तथा शेष राशि को देयता के रूप में माना जाता है।

28. (ए) (i) अनुदान के लिए संलग्न शर्तों को पोर्ट द्वारा अनुपालन किए जाने तथा अनुदान प्राप्त किए जाने हेतु आश्वासन उचित होता है तब वित्तीय विवरणिकाओं में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण/प्रापण के संबंध सरकारी अनुदान पहचाना जाएगा।

(ii) बुक मूल्य परिकलन हेतु विचार किए गए परिसंपत्तियों के कुल मूल्य से घटौती के रूप में दर्शाए गए अनुदान द्वारा तुलन पत्र में विनिर्दिष्ट स्थाई परिसंपत्ति के संबंध में प्राप्त सरकारी अनुदान दर्शाया जाता है। जब विनिर्दिष्ट स्थाई परिसंपत्ति से संबंधित अनुदान, पूर्ण के समतुल्य हो या संपूर्ण हो तब नामिनल मूल्य के रूप में तुलन पत्र दर्शाया जाता है।

(बी) राजस्व से संबंधित विशेष अनुदान को तदनुसार शीष के तहत अलग से दर्शाया गया है।

(सी) ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपस (डीसीएस) के जरीए चे.प.प्रा द्वारा अर्जित आय को प्रतिनिधि आधार पर प्राक्कलित वेल्यूस पर डीसीएस के प्राप्ति पर पहचान किया जाएगा। डीसीएस के बिक्रि/स्थानांत्रण/उपयोगिकरण पर लघु वसूली या तदनुसार अतिरिक्त वसूली को उनके मूल पहचान मूल्य की तुलना पर इसे राजस्व व्यय जैसा माना जाएगा तथा इसे वित्त व विविध आय का राजस्व व्यय के तहत रिपोर्ट किया जाएगा। इन डीसीएस के केरिंग मूल्य में कोई कमि होने पर तदनुसार तुलन पत्र दिनांक और/या इन डीसीएस के समाप्ति होने पर उन्हें राजस्व व्यय जैसा माना जाएगा तथा इसे वित्त व विविध व्यय के तहत रिपोर्ट किया जाएगा।

29. जमा कोड के तहत 3 साल से ज्यादा अवधि के लिए गैर-दावा के बयाना जमा (ई एम डी) सुरक्षा जमा (एस डी) तथा विविध जमा को व्यपगमन जमा के रूप में माना जाएगा तथा वित्त व विविध आय के तहत लेकर वि एवं वि आय के तहत सूचित किया गया है। बाद की दिनांक में दावा प्राप्त होने पर, ऐसी जमाओं की वापसी को राजस्व व्यय के रूप में माना जाएगा तथा वित्त व विविध व्यय के तहत रिपोर्ट किया जाता है।

(बी) लेखे पर टिप्प्णी

1. दिनांक 06.11.2002 के पत्र सं. पीआर 20021/2/98-पीजी द्वारा भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के आदेशों के आधार पर महा पत्तनों के लिए लेखा के संशोधित स्थायी शर्तों के कार्यांवयन हेतु संशोधित फार्मेट के अनुसार वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार किए गए हैं ।

2. चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने, मार्च 2020 के दौरान, प्रति वर्ष 8% के ब्याज की दर पर, अधिकतम 15 साल तक पुन:अदायगी करने की शर्त पर एस बी आई, सी ए जी शाखा,एग्मोर, चेन्नै से रु.1775 करोड राशि के सावधि ऋण प्राप्त करने द्वारा, केपीएल के रु.2383 करोड के ईक्विटी शेयर्स को भारत सरकार से प्रापण किया । दि.31.3.2025 तक चे.प.प्रा ने रु.796.78 करोड की मूल राशि को चुका दी तथा सावधि ऋण की देय राशि रु.978.22 करोड शेष है । सावधि ऋण के लिए ब्याज का मौजूदा दर 9.00% प्रतिवर्ष है । वि.व 2024-2025 के दौरान सावधि ऋण की मूल राशि रु.277.34 करोड की पुन: अदायगी की गई तथा वि.व 2024-25 के दौरान अदायगी की गई कुल ब्याज रु.100.09 करोड है ।

   दिनांक 20.3.2020 के ऋण स्वीकृति पत्र की शर्तो के अनुसार, केपीएल में सीएचपीए की 30% हिस्सेदारी, को सावधि ऋण हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में एसबीआई में गिरवी रखी गई है और गिरवी समझौता दि.5 जुलाई, 2021 को निष्पादित किया गया है। इसके अलावा, गैर-निपटान वचनबद्धता देकर केपीएल में सीएचपीए की शेष 70% हिस्सेदारी पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार स्थापित किया गया है।

3. दि. 31.03.2025 को पोर्ट द्वारा किए गए इक्विटी अंशदान

सं	कंपनी	निवेश का वर्ष	ईक्विटी अंशदान (रु.करोडों में)	लेखाकृत वर्ष के दौरान प्राप्त डिविडेंड, अगर कोई हो (रु.करोडों में)
1.	कामराजर पोर्ट लिमिटेड	2001-02	50.00	**390.00** (2024-25 के लिए रु.90.00 करोड के आंतरिम डिविडेंड सहित)
		2002-03	50.00	
		2019-20	2383.00	
		कुल	2483.00	
2.	सेतुसमुंदरम कार्पोरेशन लिमिटेड	2006-07	5.50	**शून्य**
		2007-08	4.50	
		2008-09	20.00	
		कुल	30.00	
3.	चेन्नै एण्णूर पोर्ट रोड कं लिमिटेड	2010-11	25.00	**शून्य**
		2015-16	114.80	
		कुल	139.80	
4.	इंडियन पोर्ट रेइल कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	7.20	**शून्य**

5.	कन्याकुमरी पोर्ट लिमिटेड	2019-20	0.01	शून्य
6.	ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया दि.31.3.2025 को मार्केट वेल्यू रु.55 लाख @रु.55/- प्रति हिस्से	2019-20	0.33	शून्य
7.	चेन्नै एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड	2022-23	0.01	शून्य
		2024-25	165.03	
		कुल	165.04	

4. चेन्नै पोर्ट ने मप्पेदु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए इक्विटी हिस्सेदार के रूप में एनएचएआई और टिडको/तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है । समझौता ज्ञापन के अनुसार, चे.प.प्रा द्वारा एसपीवी को पेश किए जानेवाले सिपकाट से पट्टे पर लिए गए 121.74 एकड जमीन के मूल्य पर इक्विटी अंशदान के रूप में चेन्नै पत्तन प्राधिकरण का शेयर रु.166.78 करोड़ था । तदनुसार चेन्नै पोर्ट ने सिपकाट को 1.28 एकड़ जमीन को सौंप दिया। इसलिए चेन्नै पोर्ट ने, एमएमएलपी परियोजना के विकास के लिए दि.13.3.2024 को सब-लीस डीड द्वारा रु.165.03 करोड़ के मूल्य पर मप्पेदु में 120.46 एकड़ भूमि को एसपीवी को पेशकश किया । चेन्नै एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पहले से जारी किए गए रु.1,30,100 मूल्य के शेयरों को समायोजित करने के बाद (अर्थात रु.10/- प्रति इक्विटी अंकित मूल्य के साथ 16,50,16,990 शेयर्स) के लिए रु.165,01,69,900/- राशि सहित दि.09.11.2023 के मूल शेयर प्रमाणपत्र को एमएमएलपी लिमिटेड द्वारा जारी किया गया । इसके बाद, सीएमपीएल प्राइवेट लिमिटेड ने दि.13.2.2025 को आयोजित बोर्ड बैठक में, मद संख्या 10.7 के अनुसार यह दर्ज किया कि दि.9.11.2023 को आयोजित बढाए बोर्ड बैठक में शेयर प्रमाणपत्र सहित किया गया आवंटन शून्य और अमान्य है और इक्विटी शेयरधारकों को निजी संचलन के रूप में राइट के आधार पर सममूल्य पर रु. 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ 65,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने का संकल्प लिया गया। राइट इश्यू में सीएचपीए का हिस्सा 16,91,30,000 शेयरों (एसपीवी की कुल राशि का 26.02% अर्थात रु. 650,00,00,000) के रूप में सूचित किया गया था। हालांकि, चेन्नै पोर्ट ने 16,50,30,000 (सीएचपीए द्वारा इक्विटी योगदान के लिए प्रस्तावित भूमि मूल्य) के आवंटन के लिए अपनी स्वीकृति व्यक्त की। सीएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड ने 25.3.2025 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में चे.प.प्रा को ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 16,50,30,000 शेयर आवंटित किए। शेयर प्रमाणपत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ।

सीएमपीएल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त रु.165.03 करोड़ के सब-लीस शुल्क को, शेष 86 वर्ष के लिए 3 महीने और 9 दिन की शेष पट्टा अवधि के लिए परिशोधित किया जा रहा है और दि.13.3.2024 से 31.3.2025 तक की अवधि के लिए रु.2.01 करोड़ की राशि को पी एंड एल खाते में प्रभारित किया जा रहा है।

5. सीईएसटीएटी के अपने दि.12.6.2017 के आदेश के संदर्भ में कहा कि चेन्नै पत्तन प्राधिकरण को दि.1.7.2003 से दि.26.8.2007 तक की अवधि के लिए दक्षिण रेलवे से टर्मिनल संहलाई प्रभार (टीएचसी) की प्राप्ति हेतु लागू ब्याज व जुर्माना के साथ सेवाकर की अदायगी करनी है । दि.31.3.2019 को देय कुल देयताएँ रु.41.17 करोड रहा (सेवा कर – रु.7.67 करोड ब्याज रु.18.86 करोड व दंड14.64 करोड है) इस राशि में से चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने दि.1.7.2003 से दि.31.1.2004 तक की अवधि के लिए न्यायिक निर्णय के बाद 0.88 करोड की राशि की अदायगी की तथा आगे 2.00 करोड की राशि को पूर्व जमा के रूप में अदायगी की । चे.प.प्रा ने सी ई एस टी ए टी के आदेश पर चुनौती देते हुए अपेक्स न्यायालय के सामने अपील किया । संघ बजट में भारत सरकार ने, सभी सेवा कर मामलों का समाधान हेतु सबका विश्वास (विरासत विवाद संकल्प योजना) 2019 को घोषित किया । इस अवसर को प्राप्त करने हेतु पोर्ट ने एसवीएलडीआरएस 2019 के तहत आवेदन फाइल किया । प्राधिकरणों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चे.प.प्रा द्वारा फाइल किए गए मामले वापस लिया गया तथा (प्रपत्र 4) समापन हेतु एसवीएलडीआरएस समिति को वापसी आदेश प्रस्तुत किया गया । जैसा कि यह मामला एसवीएलडीआरएस द्वारा समझौता किया गया तो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के सामने चे.प.प्रा द्वारा फाइल किए गए 2009 के डाबल्यू पी सं 10625 के रिट पेटिशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दि.10.4.2024 के आदेश द्वारा दक्षिण रेलवे से उपरोक्त वसूली को निपटाया गया ।

6. **मेसर्स सी सी टी पी एल तथा मेसर्स सी आई टी पी एल के अलावा अन्य पार्टियों द्वारा पोर्ट की विभिन्न सेवाओं के लिए विवादस्पद चे.प.प्रा दावा का विवरण**

विवरण	रुपए करोडों में
दि.01.4.2025को बकाया दावा का अतिशेष	180.19
घटाएँ: सेवा कर देय/विसंगत समझौता	0.32
जोड : वर्ष 2024-2025 के लिए ब्याज व जुर्माना	0.22
दि.31.3.2025 तक बकाया दावा के इतिशेष	**180.09**

7. **अयस्क लोहा निर्यातकारों द्वारा एम जी टी में कमि**

दि.1.2.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के लिए एम जी टी में कमि हेतु 11 अयस्क लोहा निर्यातकारों से पोर्ट ने रु.39.80 करोड की राशि की मांग की तथा बैंक गारंटी भुनाने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की। इस बीच, लौह अयस्क निर्यातकों ने माननीय उच्च न्यायालय में एपरोच किया और पोर्ट को बैंक गारंटी लागू करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किए। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के अनुसरण में, लौहा अयस्क निर्यातक समय-समय पर बैंक गारंटी की अवधि बढ़ा रहे थे।

मेसर्स तुंगबदरा मिनरल्स प्रा.लि (टी एम पी एल) द्वारा फाइल किए गए सिविल सूट नं 2010 का 1050 पर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, फर्म द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को वि व 2016-17 के दौरान भुना गया तथा देयता के तहत समायोजित किया गया मेसर्स टी एम पी एल ने 2017 के ओ एस ए नं 57 के चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायनिर्णय को रखकर आदेश देने हेतु फाइल किया तथा 2010 के सी एस नं 1050 में माननीय सिंगल न्यायाधीश द्वारा दि12.1.17 के डिक्री पारित किया तथा जिसे दि.31.1.2022 को निपटाया गया ।

मेसर्स वी एस लाड एण्ड संस ने रु.7.32 करोड की बैंक गारंटी को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी लोहा धातु निर्यातकारों द्वारा नहीं बढाया गया । इसलिए न्यायाल द्वारा स्वीकृत अंतरिम आदेश को निकाला गया तथा उसके बाद मेसर्स वी एस लाड अंड संस द्वारा प्रस्तुत दूसरे बैंक गारंटी की राशि रु.3.62 करोड को वर्ष 2017-18 में भुना गया तथा जिसको देयता के तहत समायोजित किया गया ।

मेसर्स भारत माइंस एण्ड मिनरल्स ने क्रमश रु.7.32 करोड तथा रु.1.11 करोड राशि के दो बैंक गारंटी की राशि नहीं दिया । इसलिए दोनों बैंक गारंटी को बुलायी गई और भुनाई गई राशि को देयता के तहत समायोजित किया गया ।

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दि.25.11.2021 के आदेश के संदर्भ में, लोहा धातु निर्यातकारों से फाइल किए गए रिट याचिकाओं को रद्द कर दिया तदनुसार कारिगनूर मिनरल मैनिंग इंडस्ट्री. (केएमएमआई)ट्रैडेंट मिनरलस, होथूर ट्रेडर्स,डेकान मैनिंग सिंडिकेट प्रा लिमिटेड, एमएसपीएल लिमिटेड, लक्ष्मीनारायणा मैनिंग कंपनी (एलएमएनसी) तथा बेल्लारी लोहा धातु प्राइवेट लिमिटेड आदि 7 फर्मों से रु.44.23 करोड के कुल लागत के लिए बैंक गारंटी को चे.प.प्रा द्वारा भुनाया गया तथा वर्ष 2021-22 में एमजीटी में हुई कमी को संबंधित फर्मों द्वारा अदायगी की जीनेवाली देय राशि से समायोजित किया गया।

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

उपरोक्त के अलावा, 9 लोहा धातु निर्यातकारों से असमायोजित देय/दण्डात्मक ब्याज की वसूली के संबंध में सिविल मुकदमा दायर करने की कार्रवाई शुरु की गई । जैसाकि एएसजी/एल.ए द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार , पूर्व मुकदमा मीडियेशन प्रकिया होने के बाद सिविल सूट को फाइल करने हेतु कार्रवाइ प्रारंभ किया गया । 7 लोहाधातु निर्यातकारों की ओर फाइल किए गए सिविल सूट निम्न प्रकार से है ।

सं	निर्यातक का नाम	सिविल मुकदमा दायर करने की तिथि	मात्रा (रु. में)	न्यायालय शुल्क (रु. में)
1	एमएसपीएल	20.12.2024	27,48,27,903	82,44,838
2	डेकान मैनिंग उद्योग	30.01.2025	10,24,57,841	30,73,736
3	केएमएमआई	20.02.2025	7,31,94,247	21,95,828
4	बीआईओपी	03.01.2025	9,76,47,537	29,29,427
5	ट्राइडेंट मिनरल्स	20.02.2025	4,45,04,543	13,35,137
6	बीएमएम	21.12.2024	6,08,35,034	18,25,052
7	होथुर ट्रेडर्स	29.04.2025	12,76,94,982	38,30,850

मेसर्स वीएस लाड और मेसर्स टीएमपीएल से वसूले जाने योग्य शेष राशि के संबंध में एलए से कानूनी राय प्राप्त हो गई है और इसकी जांच की जा रही है।

एमएमटीसी के संबंध में, उच्च न्यायालय ने सीपीएसई (ए एम आर सी डी) के विवादों के समाधान हेतु प्रशासनिक तंत्र से संपर्क करने का निर्देश देते हुए मामले को निपटारा किया । एमआरसीडी के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए दि.12.4.2022 को मेसर्स एमएमटीसी को पत्र भेजा गया । रु.10,98,90,000/- राशि की लागत पर एमएमटीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए बी जी दि.31.08.2025 तक लागू है ।

8 **अन्य जहाज संबंधित विवाद:**

(i) मेसर्स जांसी स्टील इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. ने, एम वी एलनी जहाज को संभाला । वसूल की जानेवाली कुल राशि रु.1.60 करोड है तथा दि.31.03.2025 तक प्रोदभूत ब्याज रु. 3.69 करोड है। चेन्नै पत्तन प्राधिकरण तथा अन्य तीनों के विरुद्ध मेसर्स जांसी स्टील इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. द्वारा फाइल किए 2008 का सी एस 751 का न्यायालय मामला अब तक लंबित है ।

(ii) दि.31.10.2012 को नीलम तूफान के दौरान एम.टी. प्रतीभा कावेरी जहाज का भूग्रस्त हुआ तथा दि.11.11.2012 को पुन: तैराया गया था तथा उसके बाद, दो दिन की सीमित अवधि के लिए डी जी शिप्पिंग के निर्देशों के अनुसार दि.21.12.2012 को ज.डा.-IV में बर्थ किया गया। बाद में जहाज को बेच दिया गया और ₹16,00,00,000/- के बिक्री मूल्य को उच्च न्यायालय में जमा कर दिया गया। पोर्ट के ₹1,28,94,910/- के दावे पर निर्णय लेने के लिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष सीएस संख्या 89/2013 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने 28.04.2023 को अंतिम निर्णय दिया। चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा भुगतान हेतु याचिका दायर की गई है। पोर्ट के दावे के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास से प्राप्त ₹1,28,94,910/- का चेक संख्या 276295 दिनांक 04.10.2024 को चेन्नै पत्त्न प्राधिकरण के पक्ष में आहरित किया गया था, जिसे बकाया राशि में समायोजित कर दिया गया है।

(iii) एम.वी.ताई हांग (एम.वी.कतिजा पुन: नामित) - मेसर्स जॉन एफ.फिडेले एण्ड कम्पनी एवं अन्य दो - जहाज संबंधित प्रभार रु.1,42,472/-जैसाकि निर्णयात्मक देनदार द्वारा डिक्री प्राप्त नहीं हुआ । इसलिए ई पी सं 2004 के 284 फाइल किया गया जो अब भी लंबित है ।

(iv) एम.वी. सी हेरान - मेसर्स जान फीडेल व कंपनी तथा अन्य दो – जहाज संबंधित प्रभार
रु. 6,58,251/- अपील नं 2002 के 2994/ 1985 के सी एस नं – 167 में माननीय नगर सिविल कोर्ट को 2014 में मामला स्थानांतरित किया गया एवं अब तक लंबित है।

(v) एम बी नाइल प्रोग्रस एण्ड एम.वी.ईस्टर्न प्राइड- मेसर्स ईस्टर्न वॉटरवेस प्राइवेट लिमिटेड- जहाज संबंधित प्रभार – रु.13,34,760/- माननीय उच्च न्यायालय ने दि.16.2.2022 के आदेश के संदर्भ में पेटिशनर द्वारा फाइल किए गए रि.पे.सं 2013 के 8514 जो बिना लागत पर वापस लिया गया, को निरस्त कर दिया । फर्म द्वारा देय राशि में से 50% की राशि अर्थात रु.6,67,380/- का भुगतान पहले ही किया गया । फर्म द्वारा बाकि राशि को वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है ।

(vi) एम वी आईलेंड प्राइड जहाज आसेध रहा तथा जहाज संबंधित प्रभार की वसूली हेतु बेचा गया लेकिन बिक्रीयागम पर्याप्त नही रहा इसलिए 2008 के सी.एस.सं के 127 के तहत रु.1,08,84,931/- के लिए मेसर्स टी एन एस एस स्टील प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध वसूली का शिकायत फाइल किया । यह मामला अब भी विचाराधीन है तथा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है ।

9. दि.19.7.2013 से मेसर्स डी सी आई से रु.3,68,99,762/- के वार्फेज देय है यह विवाद आंतरिक संगठन विवाद समिति को भेजा गया तथा जो अब भी लंबित है । मामले को निपटाने हेतु आई पी ए के साथ मामले का अनुसरण किया जा रहा है और दि.13.12.2024 और दि.19.2.2025 को अनुस्मारक भेजा गया है।

10. दि.22.11.2012 के निर्णायक आदेश के अनुसार, चेन्नै पोर्ट को निर्णायक लेनदार के रूप में, न्यायालय के आदेश के अनुसार मेसर्स मास्क लाइन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड से ब्याज सहित रु.14,24,903/- की राशि की मांग करने का हकदार है । सीएचपीए ने सिटी सिविल कोर्ट में 2024 का ईपी नंबर 537 भी दायर किया है, जो लंबित है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 02.08.2024 के आदेश के तहत डिक्री के निष्पादन पर इस शर्त पर अंतरिम रोक लगा दी कि अपीलकर्ता द्वारा रु.17 लाख का भुगतान किया जाए । मेसर्स मेर्सक लाइन, अपीलकर्ता ने उक्त राशि का भुगतान कर दिया था। यह राशि दि.26.11.2024 को एसबीआई सीएजी शाखा में जमा की गई तथा राशि प्राप्त होने के बाद, दि. 27.11.2024 को, चे.प.प्रा बैंक खाते में जमा कर दी गई। इसके अलावा, फर्म ने सीएचपीए के पक्ष में ओएस संख्या 11281/2010 के पूर्व आदेश को चुनौती देते हुए माननीय मद्रास के उच्च न्यायालय में अपील एएस 740/2019 दायर की है और यह अभी भी लंबित है।

11. दि.14.11.2003 से दि.14.09.2004 तक की अवधि के लिए विलंब शुल्क के लिए रु.80,20,308/- देने के लिए मेसर्स एमजीके ट्रेडिंग हाउस और मेसर्स उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड को दिनांक 10.11.2022 को एक नए डिमांड नोटिस जारी किया गया था। लंबित विलंब शुल्क की वसूली हेतु बिक्री गोदाम में ई-नीलामी के लिए कार्गो को स्थानांतरित किया गया ।

12. दिनांक 24/09/2024 को टीएएमपी द्वारा पारित आदेश और दिनांक 25/9/2024 के माननीय मद्रास के उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर, सीएचपीए द्वारा कार्गो के रूप में माने गए पोत पर लगाए गए घाटशुल्क के संबंध में, मेसर्स क्वांटा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मेसर्स बेन लाइन एजेंसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दावा किए गए घाटशुल्क की वापसी से संबंधित मामले में, मेसर्स बेन लाइन एजेंसीज द्वारा भुगतान की गई रु. 2.95 करोड़ के कुल की राशि में से अवसर हानि के लिए रु. 0.51 करोड़ और जीएसटी के रूप में सरकार को पहले ही दिए गए रु.0.45 करोड़ को समायोजित करने के बाद दि. 26.11.2024 को मेसर्स बेन लाइन एजेंसीज को रु.1.99 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके अलावा, सीएचपीए और मेसर्स बेन लाइन एजेंसीज और मेसर्स क्वांटा लॉजिस्टिक्स के बीच दि.9.4.2025 के एमओयू के तहत अदालत के बाहर हुए समझौते के आधार पर कि वे सीएचपीए द्वारा जीएसटी और अवसर हानि की कटौती के लिए सहमत होंगे । दि.25/9/2024 के न्यायालय के आदेश के अनुसार दि.28.4.2025 को मेसर्स बेन लाइन एजेंसीज को रु.0.48 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में जारी की गई।

13.. **<u>मेसर्स सी सी टी पी एल के साथ विवादाधीन दावें</u>**

चे.प.प्रा ने, मेसर्स सीसीटीपीएल से विद्युत प्रभार तथा उसके सेवा कर के लिए 20% के सेवाकर/जीएसटी सहित मांग की जो मेसर्स सीसीटीपीएल से विवादित रहा तथा यह विषय मेसर्स सीसीटीपीएल द्वारा मध्यस्थता हेतु लिया गया । मेसर्स सीसीटीपीएल द्वारा आयात क्रेनों के लिए वार्फेज के कारण लागू ब्याज सहित चे.प.प्रा द्वारा मांग की गई राशि रु.1.44 करोड सहित सीसीटीपीएल से देय विद्युत प्रभार के कारण रु.14.24 करोड की राशि भी मध्यस्थता में शामिल है । मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने दि.6.2.2019 के अपने निर्णय के संदर्भ के अनुसार, चेन्नै पत्त्न प्राधिकरण के दोनों मांग को निरस्त किया तथा विद्युत प्रभार तथा वार्फरेज प्रभार पर सेवा प्रभार हेतु चे.पो.ट्र द्वारा की गई मांग को निरस्त करते हुए मेसर्स सीसीटीपीएल के अनुकूल मध्यस्थता निर्णय पास किया क्योंकि चे.पो.ट्र द्वारा की गई मांग की अनुमति नही दी गई । तदनुसार, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के मामले से ओ पी 400/2020 में मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने अपील किया । दि.22.10.2021 के आदेश के संदर्भ में यह निर्देश देते हुए अपील को निपटाया गया कि केवल पॉवर की आपूर्ति हेतु भुगतान किए जानेवाले प्रभार से संबंधित ठेके के परिणाम के संबंध में नई मध्यस्थता पर जाने के लिए दोनो पक्षों को अनुमति दी जाती है । आगे मेसर्स सीसीटीपीए को 2021 के ओ एस ए 146 के तहत अपील फाइलिंग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों क विरुद्ध आंतरिम रोक मिला । माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.06.2024 को ओपी संख्या 400 एवं ए संख्या 2155/2020 के अंतर्गत पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 22.10.2021 पर अंतिम आदेश पारित किया, जिसे अपास्त किया जाता है तथा मामले को नए सिरे से सुनवाई हेतु एकल न्यायाधीश के समक्ष पुनः भेज दिया जाता है। इसके बाद मामला सूचीबद्ध नहीं है।

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

14. **<u>मेसर्स सी आई टी पी एल से देय दावे</u>**

ए. लाइसेंस करार की निबंध के अनुसार मेसर्स सी आई टी पी एल को सौंपे गए परिसंपत्तियों को, दि.07.03.2007 के करार की परिशिष्ट-3 में सूचित किया गया ।

बी. लाइसेंस करार के अनुसार पुनरुद्धारित क्षेत्र हेतु अक्तूबर 2011 के अनुसार मेसर्स सीआईटीपीएल द्वारा अनुरोध किया गया तथा चेन्नै पोर्ट ने वैयक्तिक अभियंता की नियुक्ति सहित 39,000 वर्ग मीटर के पुनरुद्धारित क्षेत्र हेतु पर्यावरण क्लीयरन्स द्वारा अपना दायित्व निभाया । रु.4.38 करोड की राशि को जमीन पट्टे प्रभार की अदायगी करने द्वारा जमीन को लेने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था फिर भी मेसर्स सीआईटीपीएल ने वार्षिक जमीन पट्टे प्रभार पर वार्षिक बढोत्तरी के संबंध में मद्रास के उच्च न्यायालय के सामने लंबित विसंगति पर संदर्भ देते हुए जमीन को अधिकार लेने के लिए सीआईटीपीएल ने सहमत नहीं किया । सीआईटीपीएल को सूचित किया गया है कि सीएचपीए अपने विकासात्मक कार्यों के लिए पुनः प्राप्त भूमि को उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखा है और सीआईटीपीएल को इस मामले में कोई भी दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

सी. मैसर्स सीआईटीपीएल ने, विकसित क्षेत्र के लिए लागू दर पर बढोत्तरी दर, बेस वर्ष की प्रयोज्यता पर विसंगति दी और मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। ट्रिब्यूनल ने अपने दिनांक 20.09.2012 के निर्णय के तहत (ए), (सी) और (डी) मामलों को मैसर्स सीआईटीपीएल के अनुकूल देने का निर्णय लिया। मामले (बी) को चेन्नै पोर्ट के अनुकूल देने का निर्णय लिया। अवार्ड से व्यथित होकर, चेन्नई पोर्ट ने मामले (ए), (सी) और (डी) पर ओपी नंबर 190/13 दायर किया। मामले (बी) पर मेसर्स सीआईटीपीएल ने ओपी नंबर 199/13 दायर किया। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दि.27.09.2019 को दोनों ओपी को रद्द किया। ओपी के रद्दीकरण के विरुद्ध, पोर्ट ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2023 का ओएसए 92 दायर किया है, जो अभी भी लंबित है। उपरोक्त विवादों में शामिल दावों की राशि रु.90.00 करोड़ है।

डी लाइसेंस समझौते के अनुसार मेसर्स सीआईटीपीएल को लाइसेंस अवधि के 11 वॉ साल से लेकर वॉटर फ्रंट क्षेत्र केलिए वार्षिक जमीन पट्टे प्रभार की अदायगी की जानी है। मेसर्स सीआईटीपीएल के पास मध्यस्थता पुरस्कार के अनुसार 11वें वर्ष से तटवर्ती क्षेत्र के लिए वार्षिक भूमि पट्टा शुल्क है, जो उपरोक्त लंबित मुकदमे के अंतिम रूप देने के अधीन है।

ई. मेसर्स सीआईटीपीएल ने, दि.24.01.2015 से प्रभावित संशोधित दरमान पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष चेन्नै पोर्ट के दावों पर चुनौती दी। मेसर्स के सीआईटीपीएल के अनुकूल मध्यस्थता अवार्ड को प्रदान किया गया। सीआईटीपीएल और चेन्नई पोर्ट ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 के ओपी डेयरी नंबर 37988 में, आवेदन संख्या 2381/2021 का दायर किया और जिसे दि.25.08.2021 को रद्द कर दिया गया था। रद्दीकरण के विरुद्ध, पोर्ट ने अपील ओएसए (सीएडी) नंबर 88 ऑफ 2022 दायर की और उसे भी दि.14.02.2024 को रद्द कर दिया गया था। ओ.एस.ए. को खारिज किये जाने के खिलाफ, पोर्ट ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 27008/2024 दायर की और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दि.25.4.2025 को खारिज कर दिया।

एफ. मेसर्स सीआईटीपीएल ने, मेसर्स सीसीटीपीएल के समान रु.1 प्रति वर्ग मीटर के पट्टे किराए की वसूली हेतु दूसरे मध्यस्थता मामले पर विचार किया तथा मेसर्स सीसीटीपीएल के करार समझौते के निर्णय पर यह उल्लेख करते हुए दि.25.3.2020 के मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निरस्त किया गया कि मेसर्स सीआईटीपीएल (वर्ष 2001 में) तथा मेसर्स सी आई टी पी एल (वर्ष 2007 में) एक ही सालों में नहीं रहे इसलिए मांगेदार अन्य प्रचालक जैसे मेसर्स सीसीटीपीएल से तुलना नहीं किया जा सकता तथा माँग निर्मात्मक आधार पर की गई। चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के अनुकूल मध्यस्थता अवार्ड दिया गया था रु.1,00,000/- की लागत पर चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के अनुकूल की लागत मेसर्स सीआईटीपीएल से अब तक देय है।

15 स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने तक मेसर्स सी सी टी पी एल/सी आई टी पी एल से रॉयलटी/राजस्व हिस्से के रूप में लेखाकृत आय अस्थायी रहेगा। रॉयलटी/राजस्व हिस्से में कोई कमि हो तो उसका समाधान समय समय पर किया जाएगा। सीसीटीपीएल और सीआईटीपीएल द्वारा अर्जित राजस्व को वित्त वर्ष 2022-23 तक स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की नियुक्ति द्वारा लेखा-परीक्षा की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व लेखा-परीक्षा हेतु स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

16. 3 फर्मों से विभिन्न कंटेनर भंडारण प्रभार के लिए रु.22.94 करोड की राशि अब भी देय है जिसमें मेसर्स आरबी मारीटाइम एजन्सी प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स इंटरनेशनल निकासी तथा शिप्पिंग एजन्सी तथा चकियत एजन्सी से संबंधित रु.3.35 करोड की कुल लागत पर माननीय उच्च न्यायालय के सामने तीन लंबित मामले भी शामिल है । मामला अब भी लंबित है । क्रम संख्या (i) और (ii) के संबंध में, मामलों की सुनवाई दि.22.4.2025 को निर्धारित की गई थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले अभी भी लंबित हैं। क्रम संख्या (iii) के संबंध में, अंतिम सुनवाई दि.4.4.2025 को हुई और बिना कोई तिथि बताए स्थगित कर दी गई। मेसर्स इंटरनेशनल क्लियरिंग एंड शिपिंग एजेंसी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के रु.4,15,000/- के लिए दि.23.03.2008 के बैंक गारंटी संख्या 0429-BG0013-17 को दि. 20.04.2026 तक बढायी गई ।

17. नई भूमि नीति मार्गदर्शनों के अनुसार, दि.01.04.2004 से दि.31.03.2009 तक की अवधि के लिए देय लाइसेंस शुल्क और सेवा कर सहित लाइसेंस शुल्क की भिन्न्ता हेतु 138 लाइसेंस प्राप्त उपयोगकर्ताओं से रु.6.01 करोड़ की राशि का दावा किया गया। आज तक किए गए दावों और बकाया राशि की वसूली की स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	मामलों की संख्या	दावा की गई कुल राशि (करोड़ रुपये में)	एकत्रित राशि	निकाली गई/समायोजित राशि	दि.31.3. 2025 तक देय शेष राशि
अदालती मामले	10	3.57	0.37	2.73 *	0.47 **
गैर-न्यायालयीय मामले	128	2.44	2.36	0.01	0.06

* मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त विषय पर, बिना कोई शुल्क पर, 09.02.2023 को 7 रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जुर्माने के आदेश जारी किए। अतः 7 फर्मो के लिए एनएलपी बकाया राशि की मांग के रूप में, रु.2.73 करोड़ की राशि वापस ले ली गई है।

** मेसर्स वेस्ट गेट लॉजिस्टिक्स और मेसर्स एस्पिन वॉल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आदि दो याचिकाकर्ताओं के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय ने चे.प.प्रा के पक्ष में आदेश जारी किया। हालाँकि, मेसर्स एस्पिनवॉल ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए रिट अपील दायर की थी, जो न्यायालय के समक्ष लंबित है। मेसर्स वेस्ट गेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, बकाया राशि की वसूली के लिए पीपीई अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

18. चे.प.प्रा में 20 वर्षो से अधिक समय से पड़े सेकेंड हैंड ब्लास्ट फर्नेस के लावारिस माल के विलंब शुल्क की वसूली हेतु, माननीय न्यायालय के दिनांक 4.4.2024 के आवेदन संख्या 487/2024, सीएस संख्या 160/2012 के आदेश के अनुसार, लावारिस माल की नीलामी लॉट संख्या 958/99 के माध्यम से की गई और बिक्री आय के रूप में ₹81,55,233/- की राशि प्राप्त हुई और इसे मद्रास उच्च

न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नाम से, डीडी संख्या 713305 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से जमा कर दिया गया। इस मामले की अंतिम सुनवाई दि.9.12.2024 को हुई और बिना किसी तिथि उल्लेख किए स्थगित कर दी गई।

19. जीएसटी के एडवान्स रूलिंग के अनुसार पेनल्टी बिल के अलावा सभी किराए बिलों को लेखाकृत किया गया है । कुछ लाइसेंसीस ने देय किराए के संबंध आबंटित विभागों द्वारा उठाए गए मांग/बिलों पर विवाद किया ।

20. भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने 99 वर्ष की अवधि के लिए बोट बेसिन/टिम्बर तालाब को पट्टे पर देने और सौंपी गई परिसंपत्तियों की लागत के लिए रु.453.62 करोड़ की राशि भेजी। मंत्रालय के मार्गदर्शनों के आधार पर, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए अनुसार, सुरक्षा जमा की छूट तथा पट्टा किराये में 25% रियायत और परिसंपत्तियों/क्षेत्र को सौंपने की तिथि आदि के आधार पर, आईसीजी द्वारा देय अग्रिम प्रीमियम को संशोधित किया गया और ब्याज सहित रु.162.88 करोड़ की अंतर राशि को आईसीजी से भेजने का अनुरोध किया गया था। आईसीजी ने दि.17.3.2025 के पत्र के माध्यम से बोट बेसिन/टिम्बर तालाब की पट्टे अवधि को उनके द्वारा भुगतान की गई रु.453.62 करोड़ की राशि के अनुसार संशोधित करने का अनुरोध किया है। संशोधित पट्टा अवधि 99 वर्ष के बजाय 56 वर्ष और 2 महीने कर दी गई है और दि.22.5.2025 के पत्र के माध्यम से आईसीजी को सूचित कर दिया गया है।

21. निवेशों की शर्तों के अनुसार विभिन्न निधियों के तहत निवेशों पर अर्जित ब्याज का परिकलन किया गया है।

22. इण्डियन बैंक, कोयंबेडु शाखा में जमा की गई स्थाई जमा पर विवाद

(i) इण्डियन बैंक, कोयंबेडु शाखा में जमा की गई स्थाई जमा के संबंध में चेन्नै पत्तन प्राधिकरण को दि.14.5.2020 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचित किया गया था कि दि.4.5.2020 को जमा का समापन हुआ है । चेन्नै पत्तन प्राधिरकरण ने इण्डियन बैंक, कोयंबेडु शाखा में ऐसे स्थाई जमा का समापन नहीं किया इस मामले पर इण्डियन बैंक के उच्चतम प्राधिकरण के साथ विचार किया गया । मार्च 2020 से मई 2020 तक की अवधि के लिए इण्डियन बैंक के साथ जमा की गई कुल राशि रु.100.57 करोड रहा । इण्डियन बैंक प्राधिकरण ने यह पुष्टि की कि बैंक ने दि.16.5.2020 के पत्र के संदर्भ में चेन्नै पत्तन प्राधिकरण से निधियों को प्राप्त किया तथा पोर्ट द्वारा उठाए गए मामलों के संबंध में आंतरिक जॉच प्रक्रियाधीन है । चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने दि.21.5.2020 को सीबीआई में शिकायत फाइल किया । तदनुसार इण्डियन बैंक ने सूचित किया कि किसी अजनबी द्वारा किए गए इस धोखे को ध्यान में रखते हुए बैंक ने सीबीआई को शिकायत की तथा उनका अनुमान यह है कि चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा रखा गया सावधि जमा रसीदें मूल नहीं है तदनुसार सी बी आई ने चेन्नै पत्तन प्राधिकरण में रखे गए स्थाई जमा रसीद को ले लिया ।

ii) रु.100.57 करोड की निवेशित सावधि जमा राशि के लिए मार्च 2021 से मई 2020तक की महीनों में सावधि जमा की परिपक्वता राशि इंण्डियन बैंक द्वारा जमा नहीं की गई थी । अर्जित ब्याज के साथ रु.100.57 करोड के निवेशित सावधि जमा के क्रेडिट के लिए चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा इंडियन बैंक के खिलाफ 2021 के

डाबल्यू.पी नंबर 11063 के तहत एक रिट याचिका मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई है ।

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार इण्डियन बैंक, कोयंबेडु शाखा ने दि.26.8.2021 को चे.प.प्रा को रु.55,19,33,574/- राशि का ट्रान्स्फर किया जो रु.29,77,00,000 (सा.भ.नि) सामान्य भविष्य निधि के तहत, रु.25,31,00,000/- छुट्टी भुनाने निधि (छु.भु.नि) के तहत तथा शेष रु.11,33,574/- को जमा के तहत समायोजित किया गया ।

iii) माननीय उच्च न्यायालय ने के दिनांक 03.06.2024 को सीएचपीए द्वारा दायर किए गए डाबल्यू पी संख्या 11063/2021 आदेश को निपटाया । जिसमें इंडियन बैंक को पहले से भुगतान की गई राशि में से कटौती करके शेष जमा राशि को वापस करने का निर्देश दिया गया था और आगे आदेश दिया कि पूरी सावधि जमा राशि पर किसी भी ब्याज हेतु सीएचपीए हकदार नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 03.06.2024 के आदेश का विरोध करते हुए, इंडियन बैंक ने रिट अपील संख्या 2835/2024 दायर की है, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.06.2024 के आदेश द्वारा अंतरिम स्थगन पारित किया है। चे.प.प्रा ने 19.09.2024 को डाबल्यू ए नं .2835/2024 में स्थगन याचिका दायर की है और चे.प.प्रा ने डाबल्यू पी नं.11063/2021 में दिनांक 03.06.2024 के आदेश के विरुद्ध संबंधित राशि पर ब्याज की सीमा तक रिट अपील भी दायर की है। उपरोक्त रिट अपील में मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने और शीघ्र निपटाने के लिए एल ए/एसएजी के समक्ष मामला उठाया जा रहा है।

23. चे.प.प्रा ने, भारत सरकार से सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए वर्ष 2006-07 तथा वि.व 2007-08 के दौरान रु.12.87 करोड की कुल राशि प्राप्त किया तथा इस प्रयोजन हेतु दि.31.3.2025 तक रु.11.66 करोड के कुल व्यय का खर्च किया । बाकि राशि रु.1.21 करोड को तुलनपत्र में देयता के रूप में दर्शाया गया।

24. चे.पो.ट्र व डी एल बी शैक्षिणिक स्कूल के 9 कर्मचारियों ने विशेष वीआरएस के लिए आवेदन किया तथा जिसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा दि.31.12.2020 को सेवामुक्त किया गया था । समझौता विवरण, उपदान व छुट्टी वेतन के लिए रु.66,33,079/- तथा वी आर एस अनुग्रहपूर्वक के लिए रु.26,01,085/- रहा । जिसमें से वीआरएस अनुग्रहपूर्वक राशि रु.26,01,085/- को डेफर्ड राजस्व के रूप में माना गया था तथा 2020-21 वर्ष से 5 साल से ज्यादा अवधि के लिए परिशोधित किया गया तदनुसार रु.0.05 करोड की राशि को अंतिम हिस्से के रूप में 2024-25 में परिशोधित किया गय तथा परिशोधित की जानेवाली शेष राशि शून्य है ।

25. चेन्नै पोर्ट में, डीबीएफओटी आधार पर बार्ज संहलाई सुविधाओं के विकास के लिए दि.30.03.2013 को चेन्नै बंकरिंग टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (सीबीटीपीएल) के साथ रियायत समझौता किया गया था। सीबीटीपीएल द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होने के कारण, दि.1.2.2016 को रियायत समझौते को रद्द कर दिया गया था रियायतग्राही ने मध्यस्थता कार्यवाही का आह्वान किया। एकमात्र मध्यस्थक ने दि.30.03.2018 को चेन्नै पोर्ट के पक्ष में मध्यस्थ निर्णय जारी किया। अर्थात "समापन आदेश जारी करना मान्य है" उक्त अवार्ड के बाद, चे.प.प्रा ने भारती डाक में बंकर बर्थ के निर्माण हेतु दि.31.3.2018 को इन-हाउस ठेका प्रदान किया जिसके लिए सरकार व आंतरिक स्रोत द्वारा निधि प्रदान किया गया । फिर भी कन्सेशनर ने समापन

आदेश के संबंध में माननीय मद्रास के उच्च न्यायालय में समापन आदेश के संबंध में 2018 के ओपी 415 दायर किया । माननीय उच्च न्याायालय ने मध्यस्थ निर्णय पर चुनौती देते हुए दि.30.04.2019 को निर्णय पारित किया गया था, जिसमें मध्यस्थ को रद्द कर दिया गया था चेन्नै पोर्ट ने 2019 के ओएसए सं 171 फाइल किया तथा कन्सेशनर ने माननीय डिविशन बेंच ने 2018 के ओपी सं 415 को फइाल किया में दि.30.04.2019 के निर्णय के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ नयायाधीकरण को रद्द किया तथा चेन्नै पोर्ट ने 2019 के ओ एस ए नं 171 को फाइल किया तथा 2018 ओ पी नं 415 में दि.30.4.2019 के एकल न्यायाधीश आदेश दिया तथा माननीय डिविशन बेंच ने 2018 के ओ पी नं 415 पर दि.30.4.2019 को मानीय एकल न्यायाधीश पर दि.23.7.2019 को आंतरिम रोक दिया दि.23.07.2019 को आंतरिम रोक का अनुमोदन किया । आदेश यह उल्लेख करता है कि चे.प.प्रा के बोर्ड के न्यासीगण को ठेके हेतु नए निविदा प्रक्रिया लेने में आसान होगा । फिर भी मौजूदा ओएसए के अंतिम निर्णय होने तक यही रहेगा । ओएसए अब तक हियंरिग हेतु सूचिगत नहीं किया गया । 2019 का ओएसए नंबर 171 लंबित है ।

26. पोर्ट ने सिपकाट से 99 साल के पट्टे आधार पर मप्पेडु में 121.74 एकड के जमीन का प्रापण किया । इस संबंध में, रु.74.40 लाख की शेष राशि सिपकाट से प्राप्त की जानी है और सिपकाट ने रु.73,65,201 की देय राशि को समायोजित करने के बाद वर्ष 2023-24 के दौरान रु.74,799/- की राशि का भुगतान किया । सिप्को से व्यय का विवरण प्राप्त होने पर, लेखा पुस्तिकोओं में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियों की जाएंगी । इसके अलावा, सिपकाट के अनुरोध के आधार पर, चेन्नै पोर्ट ने 1.28 एकड़ की सीमा तक लीज भूमि पार्सल का एक हिस्सा सिपकाट को सौंप दिया है। सरेंडर डीड के निष्पादन के परिणामस्वरूप, सिपकाट ने दि.21.06.2023 को 1.28 एकड़ जमीन सरेंडर करने के लिए मुआवजे की राशि के रूप में सीएचपीए को रु.1,02,40,000/- की राशि का भुगतान किया । इस संबंध में आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां पारित किया गया।

27. अनुसूची-XII के तहत व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य लोगों से जमा राशि - भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, दक्षिणी रेलवे और आईओसीएल की ओर से सीपीए द्वारा किए गए जमा कार्यों के लिए वर्तमान देनदारियों में रु.24.89 करोड़ की राशि शामिल है।

28. चेन्नै मछली बंदरगाह के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए सीएचपीए को क्रमशः रु.24.50 करोड़ और रु.6.98 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। बैंकों में अल्पावधि जमा में अनुदान के निवेश पर अर्जित ब्याज सहित यह राशि अनुदान सहायता में दर्शाई गई है। परियोजना पर जीएसटी सहित रु.33.77 करोड़ खर्च किए गए हैं, जिसे ऋण और अग्रिम के अंतर्गत दर्शाया गया है। दि.31.03.2025 तक रु.1,41,418 की राशि अप्रयुक्त पड़ी है।

29. तांडियारपेट हाउसिंग कॉलोनी में पोर्ट भूमि के अतिक्रमण के संबंध में, मद्रास के सिटी सिविल न्यायालय में मामला लंबित है। दि.14.06.2021 तक वापस करने हेतु एसोसिएशन को दिनांक 19.04.2021 को नोटिस का आदेश जारी किया गया। 2000 दिनों से ज्यादा दिनों के अत्यधिक विलंब होने के कारण मामले को निरस्त कर दिया गया तथा विलंब के लिए औचित्यता नहीं है । विलंब की माफी के लिए नए अपील मांगने की कार्रवाई की जा रही है ।

30. तिरीसूलम में भूमि का अतिक्रमण के मामले के संबंध में, मामला संख्या 218 का डब्ल्यूपी संख्या 517 मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। दि.13.3.2025 को हियरिंग कियागया तथा तमिलनाडु ने 6 सप्ताहों के समय का अनुरोध किया उसके बाद मामला हियरिंग हेतु सूचिगत नहीं किया गया ।

31. पोर्ट के सीमा के भीतर दक्षिणी तट पर प्राकृतिक अभिवृद्धि द्वारा निर्मित 9.69 एकड़ भूमि के संबंध में, दिनांक 06.05.2014 के जीओ द्वारा इस भूमि को तमिलनाडु सरकार द्वारा नौसेना को, आबंटन किया गया । फिर भी दि.28.08.2017 के पत्र के संदर्भ में तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और यह उल्लेख किया गया है कि उक्त जी ओ का रद्दीकरण नहीं किया जा सका । जैसाकि सागर प्रयरर बल के आयोजन हेतु पुन:सुधारित गैर सर्वेक्षित भाग को भारतीय नौसेना के अनुकूल स्थानांतरित किया गया । जैसाकि आवंटित क्षेत्र, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण की वॉटरफ्रंट सीमा के भीतर है और प्राकृतिक अभिवृद्धि के तहत है तो भूमि को खाली और सर्वेक्षण रहित नहीं माना जा सकता है. चेन्नै पोर्ट ने एक बार फिर तमिलनाडु सरकार से जीओ को रद्द करने और चेन्नै पोर्ट के पास भूमि को पुन: स्थापित करने का अनुरोध किया। लेकिन मामले पर समझौता नहीं किया गया ।चे.प.प्रा प्रशासन के निरंतर प्रयासों के बाद, तमिलनाडु सरकार के दि.30.08.2022 के सरकारी आदेश संख्या 409 के माध्यम से दि.06.05.2014 के सरकारी आदेश संख्या 137 को रद्द कर दिया और भारतीय नौसेना से राजस्व विभाग तक के175 ग्राउंड और 2090 वर्ग फुट (9.69 एकड़) सरकारी भूमि वापस लेने का आदेश दिया। अब, तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त भूमि को चे.प.प्रा को वापस कर दिया जाए क्योंकि राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22.01.1985 और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार पोर्ट सीमा के अंतर्गत आती है।

32. आय कर मामले

(ए) कर के लिए प्रावधान:

(i) वित्तीय वर्ष 2022-23 (नि. वर्ष 2023-24) के लिए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था और आयकर वापसी दाखिल करते समय रु.57.48 करोड़ की राशि का दावा किया गया था। इसके विरुद्ध, पोर्ट को 26.04.2024 को उक्त निर्धारण वर्ष के लिए आयकर के रूप में रु.12.59 करोड़ की कटौती करने के बाद रु.60.26 करोड़ (रु.57.39 करोड़ टीडीएस वापसी और रु.2.87 करोड़ ब्याज सहित) का वापसी प्राप्त हुआ है। आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत जांच मूल्यांकन पूरा होने पर, पोर्ट ने रु.1.47 करोड़ (कर के रूप में रु.1.34 करोड़ और ब्याज के रूप में रु.0.12 करोड़ सहित) का भुगतान किया है, जिसे रु.12.59 करोड़ को आयकर के रूप में प्रारंभिक वसूली के साथ लाभ और हानि खाते में डाला जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए कुल आयकर देयता रु.13.93 करोड़ है।

(ii). वित्तीय वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए, कर योग्य आय पर आयकर अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार रु.65.82 करोड़ के कराधान का प्रावधान किया गया है।

(बी.) विवादित:

क्रम सं.	नि.व	आदेश संदर्भ	मामले का संक्षिप्त विवरण	कर मांग (करोड़ रुपये में)	वर्तमान स्थिति
मद्रास के उच्च न्यायालय में लंबित मामले					
1	वित्तीय वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2006-07	मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 12.09.2024 के आदेश नं 2024 के डाबल्यू पी नं 7375, 7380, 7382 और 7383 द्वारा सीएचपीए ने दायर किए गए आवेदन को आयकर विभाग के राष्ट्रीय फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएएफएसी) को वापस भेज दिया गया है, जिसमें धारा 11 की कटौती का विधिवत सत्यापन करने के बाद परिणामी आदेशों के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं।	आयकर विभाग ने दिनांक 07.09.2013 के (आईटीएटी) के आदेश के विरुद्ध मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय (एचसी) के समक्ष दिनांक 25.8.22 के आदेश द्वारा अपील दायर की है। यह निर्देश दिया गया कि धारा 11 और 13 की कटौतियों का सत्यापन और अनुमत किया जाए । तदनुसार, विभाग ने आदेश पारित किया कि दिनांक 12.02.2024 के आदेश द्वारा धारा यू/एस 11 के तहत दावा की गई कटौतियों को अस्वीकार कर दिया गया। इन आदेशों के विरुद्ध, पोर्ट द्वारा दिनांक 12.02.2024 के मूल्यांकन आदेशों को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की गई।	137.73	यह मामला आयकर विभाग के एनएएफएसी के समक्ष परिणामी आदेशों के लिए निपटान हेतु लंबित है। यह कार्य सुंदरम एवं नारायणन, सी.ए. और मेसर्स वी.आर. एसोसिएट्स को सौंपा गया है।
2	निर्धारण वर्ष 2012-13 निर्धारण वर्ष 2013-14	माननीय आईटीएटी के दिनांक 08.06.2022 के आदेशों के विरुद्ध माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आयकर विभाग द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।	कटौती की अस्वीकृति का दावा निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए (i) रु.31.27 करोड़ का 80-आईए; और (ii) यू/एस 14ए के तहत रु.1.05 करोड निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए (iii) दिनांक 08.06.2022 के माननीय आईटीएटी आदेश विरुद्ध यू/एस 14ए के तहत रु.0.26 करोड़ ।	13.51	मामला मेसर्स वीआर एसोसिएट्स, एडवोकेट्स को सौंपा गया है। मामले की सुनवाई दि.27.03.2024 को निर्धारित है, विभाग ने स्थगन की मांग की है। आगे की सुनवाई अभी निर्धारित नहीं है।

3	निर्धारण वर्ष 2014-15	यू/एस 143(3) दिनांक 28.11.2015 के तहत मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध सीएचपीए द्वारा सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई ।	यू/एस 14ए के साथ पठित नियम 8डी के तहत रु.1,40,05,320/-की अस्वीकृति	शून्य	दि.17.03.2025 को सुनवाई के लिए मामला प्रस्तुत किया गया है, चे.प.प्रा ने ऑनलाइन द्वारा उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। विभाग की आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है।
4	निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17	अतिरिक्त राशि पर टीडीएस क्रेडिट देने के लिए आयकर विभाग के समक्ष सुधार याचिका लंबित है ।	इसमें शामिल मुद्दा कम टीडीएस क्रेडिट, रिफंड प्राप्तियों के लिए यू/एस 244ए के तहत ब्याज है, जिसे प्रारंभिक मूल्यांकन आदेशों में नहीं बढ़ाया गया था और पोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार याचिका दायर की है।	परिमाणित नहीं	आयकर विभाग की कार्रवाई का इंतजार है
5	निर्धारण वर्ष 2023-24	मामला जाँच के लिए लिया गया है और एनएएफएसी द्वारा यू/एस143 (3) के अंतर्गत दिनांक 18.3.2025 को आदेश पारित किया गया है। दिनांक 18.03.2025 के कर निर्धारण आदेश की कर गणना शीट में, 244ए ब्याज में त्रुटि है, जिसके लिए चे.प.प्रा ने अभिलेखों से स्पष्ट त्रुटि के लिए यू/एस 154 के अंतर्गत सुधार याचिका दायर की है, जिसका निपटारा किया जाना है।	यू/एस 143(3) के अंतर्गत दिनांक 18.03.2025 को मूल्यांकन आदेश पारित किया गया, जिसमें दो अस्वीकृतियाँ, अर्थात् अग्रिम मूल्यह्रास में परिवर्तन और राजस्व के रूप में प्रभारित पूंजीगत व्यय, को अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा, विभाग ने धारा 270ए के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है। सीएचपीए ने इन वृद्धियों को स्वीकार कर लिया है और ₹1,47,34,300/- का ब्याज सहित लागू कर चुकाया है। सीएचपीए ने दंडात्मक कार्यवाही समाप्त करने के लिए एक याचिका दायर की है।	शून्य	जुर्माना कार्यवाही समाप्त करने के लिए आयकर विभाग की कार्रवाई का इंतजार है।

(सी) **अन्य मूल्यांकन वर्ष**

निर्धारण वर्ष 2007-08 से निर्धारण वर्ष 2011-12, निर्धारण वर्ष 2017-18 से निर्धारण वर्ष 2020-21 केलिए, लागू ब्याज यू/एस 244ए के साथ आयकर रिटर्न और रिफंड की वसूली में माँगे अनुसार रिटर्न पर कार्रवाई की गई ।

निर्धारण वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल किए गए रिटर्न पर कार्रवाई की गई और निर्धारण वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए. विसंगत डिमांड के विरुद्ध वापसी का समायोजित किया गया जो नए मूल्यांकन हेतु एनएएफएसी को पुनः दिया गया। इसलिए, मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के परिणाम के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए रिफंड की वापसी की जाएगी बशर्ते कि नि.व 2003-04 से नि.व 2006-07 तक के लिए निर्धारण आदेश जारी किया जाएगा।

II माल व सेवा कर

क्रम सं	अवधि/वर्ष	मामले का संक्षिप्त विवरण	कर मांग (रुपये करोड़ में)	वर्तमान स्थिति
	जुलाई 2017 से मार्च 2020 तक	जीएसटी विभाग ने दिनांक 28.12.2023 के एससीएन संख्या 500/2023 के विरुद्ध दिनांक 30.01.2025 के आईडीईई संख्या: जीईएक्सओएम/एडीजेएन के संदर्भ में आदेश जारी किया । इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी प्रेषण, जीएसटीआर-2ए में न दर्शाए गए आईटीसी पर विवाद, क्रेडिट पर रोक, एकत्र किए गए जुर्माने पर जीएसटी का प्रेषण न होना आदि मुद्दे शामिल हैं।	6.98 साथ ही ब्याज और जुर्माना भी।	सीएचपीए ने दि.30.04.2025 को आयुक्त (अपील), सीजीएसटी और सीई, चेन्नई के समक्ष अपील दायर की। यह कार्य जे. थॉमस फर्नांडो एंड कंपनी, सीए को सौंपा गया है।
	अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक	सीएचपीए को दिनांक 18.12.2024 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुआ । एडीटी-02 प्राप्त हुई, पोर्ट ने रु.1.84 करोड़ भेजने के बाद एडीटी-02 का जवाब दिया। इस मामले में शामिल मुद्दे हैं - पट्टे की भूमि के लिए जीसीसी को प्रावधान पर आरसीएम, 3बी और 2ए के बीच भिन्नता, आईटीसी को अवरुद्ध क्रेडिट के रूप में प्राप्त किया जाना तथा सीआईएसएफ को किए गए भुगतान पर आरसीएम, कानूनी शुल्क आदि। जीएसटी विभाग द्वारा दिनांक 01.4.25 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएचपीए ने दिनांक 15.05.2025 को धारा 74 लागू करने पर आपत्ति के साथ उत्तर प्रस्तुत किया, जो धोखाधड़ी/गलत बयानी/दमन तथ्य के लिए लागू है।	27.58	जीएसटी विभाग से आगे की कार्यवाही की प्रतीक्षा है। यह कार्य मेसर्स जोन मोरिस एंड कंपनी, सीए को सौंपा गया है।

33. **सेवानिवृत्ति लाभ**

ए) भारत के एलआईसी द्वारा मूल्यांकित अनुसार दि.31.03.2025 तक आनरोल में कर्मचारियों के पेंशन देयता का एक्चूरियल मूल्याकंन रु.2542.49 करोड़ है । इसी प्रकार, दि.31.03.2025 को पेंशनरों का मूल्यांकन रु.3865.03 करोड़ है। पेंशन देयता का कुल वास्तविक मूल्यांकन ₹6407.52 करोड़ है। वर्ष 2024-25 के लिए पेंशन निधि ट्रस्ट को रु 101.41 करोड़ का अंशदान दिया है। दि.14.11.2002 के पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को रु 205.56 करोड़ के पेंशन अदायगी की गई । दि.31.03.2025 को पेंशन निधि में उपलब्ध वास्तविक निधि रु 3825.30 के बीच रु.2582.22 करोड़ की कमी हुई तथा वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार अधिशेष की उपलब्धता और आरक्षण स्थिति पर विचार करते हुए भविष्य में, देयता का परिकलन किया जाएगा ।

बी) भारत के एलआईसी द्वारा मूल्यांकित के अनुसार दि.31.03.2025 तक कर्मचारियों के उपदान देयता का वास्तविक मूल्यांकन ₹332.06 करोड़ है। वर्ष 2024-25 के लिए उपदान निधि ट्रस्ट का अंशदान ₹23.00 करोड़ है। दि.31.03.2025 को उपलब्ध ₹308.71 करोड़ की वास्तविक निधि और वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार देयता के बीच ₹23.35 करोड़ की कमी, भविष्य में अधिशेष और भंडार की उपलब्धता के अधीन पूरी की जाएगी।

सी) नई पेंशन योजना में पोर्ट का अंशदान, लाभ और हानि खाते से प्रभारित है। दि.1.1.2004 के बाद पोर्ट की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है । उक्त कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान मासिक आधार पर पोर्ट के पंजीकरण कोड के तहत एनएसडीएल के माध्यम से एनपीएस ट्रस्ट को भेजा जा रहा है। बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार, 142 कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

डी) भारत के एलआईसी द्वारा मूल्यांकित के अनुसार दि.31.03.2025 तक आनरोल में कर्मचारियों के छुट्टी भुनाने की देयता का वास्तविक मूल्यांकन ₹121.31 करोड़ है। वर्ष 2024-25 के लिए छुट्टी भुनाने की योजना का अंशदान ₹29.75 करोड़ है। दि.31.03.2025 को छुट्टी भुनाने योजना में उपलब्ध ₹71.51 करोड़ की वास्तविक निधि के बीच रु.49.80 करोड की कमि भविष्य में अधिशेष और भंडार की उपलब्धता के अधीन पूरी की जाएगी।

34. **संभाव्य देयताएँ**

(i) दि.31.3.2025 के लिए संभाव्य देयता निम्न प्रकार से है :-

विवरण	रु.करोडो में
पोर्ट के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में नही लगाया गया ।	62.23

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

ii) दि.31.03.2025 को दिए गए पूंजीगत कार्य लेकिन खातों में प्रावधानित न की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है ।

विवरण	रु.करोडो में
पूँजी कार्य	90.19

(iii) ईएसआईसी प्राधिकरण ने ठेकेदारों की ओर से उनके दिनांक 24.04.2015 के नं टीएन/आरईसीवाई/सीपी 1/51-103463/सीसीआर-70255 के संदर्भ में चेन्नै पत्तन प्राधिकरण से रु.3.51 करोड़ के ईएसआई योगदान का दावा किया है। 45 ए आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी और दि.7.5.15 के ईएसआई न्यायालय के माननीय न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किए अनुसार, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने मांग राशि में से 10% अर्थात रु.0.35 करोड़ की जमा कर दिए हैं और शर्त स्टे प्राप्त किया। उपरोक्त मामले पर न्यायालय के कार्यविधि प्रक्रियाधीन है ।

iv) अनुकंपा नियुक्ति हेतु 71 रोगी कर्मचारियों के आश्रयदाताओं को रु.4.74 करोड के एकमुश्त प्रतिपूर्ति की अदायगी करनी है । मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त होने की अपेक्षा है ।

35. चेन्नै पोर्ट से मदुरवायिल तक नए एलिवेटड सडक के संबंध में, चे.प.प्रा के संशोधित राशि के लिए 50% के हिस्से के एल ए व आर आर के लागत की राशि रु.235 करोड है । जिसमें से कुल राशि रु.180.46 करोड को, दि.31.03.2025 को एनएचएआई को अदायगी की गई । अर्थात वर्ष 2010-11 के दौरान रु.51.94 करोड़ वर्ष 2023-24 के दौरान रु.36.34 करोड़ और वर्ष 2024-25 के दौरान रु.92.18 करोड़ । एनएचएआई को देय शेष राशि रु.54.54 करोड़ है।

2010-11 के दौरान रु.51.94 करोड़ का भुगतान किया गया और वर्ष 2010-11 से 10 वर्षों के लिए परिशोधन पहले ही किया जा चुका है। वर्ष 2023-24 से 10 वर्षों की अवधि के लिए रु.36.34 करोड़ की राशि का परिशोधन किया जा रहा है और वर्ष 2024-25 के दौरान जारी की गई रु.92.18 करोड़ की राशि का 2024-25 से 9 वर्षों की अवधि में परिशोधन किया जा रहा है, ताकि 2023-24 के दौरान भुगतान की गई राशि के साथ इसका समापन हो सके। दि.31.3.2025 तक परिशोधित की जाने वाली शेष राशि रु.111.02 करोड़ है।

एलए और आर एंड आर लागत में सीएचपीए के हिस्से पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के सीएचपीए के अनुरोध पर विचार करते हुए, वित मंत्रालय ने दि.17.02.2025 को चेन्नै पोर्ट को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में रु.146.72 करोड़ जारी किए हैं, जिसकी ऋण स्थगन अवधि 31.03.2026 तक और पुनर्भुगतान अवधि 01.04.2026 के बाद 5 वर्ष की होगी। प.पो.प. व ज.मं से अनुरोध किया गया है कि स्थगन अवधि को एक और वर्ष, अर्थात दि.31.03.2026 के बजाय दि.31.03.2027 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर वित मंत्रालय के समक्ष विचार करे।

36. 31.03.2025 को इन्वेंटरी एजिंग विश्लेषण नीचे दिया गया है:

एजिंग इंट्रवल्स	इन्वेंटरी मूल्य (रु. करोडों में)
< 3 साल	9.17
3 – 5 साल	0.55
5 – 10 साल	0.03
10 – 15 साल	-
15 – 20 साल	-
>25 साल	0.01
कुल	9.76

37. पोर्ट ने वि.व 2016-17 के दौरान स्थायी परिसंपत्ति के भौतिक अवलोकन लिया तथा वि.व 2018-19 और वि.व 2019-20 में आवश्यक लेखा प्रविष्टियाँ पारित किया 7 परिसंतियों के संबंध में 6 परिसंपति प्राप्त हुई और 1 परिसंपत्ति की पुष्टि प्रापत की जानी है । वि.व 2020-21 तथा वि.व 2021-22 में परिसंपत्तियों का अगले व्यक्तिगत सत्यापन शुरु किया गया तथा वि.व 2021-22 में पूरा किया गया जिसके लिए प्रचलित विभार्गो से पुष्टि प्राप्त होने के बाद वि.व 2019-20 के 7 परिसंतियों के साथ आवश्यक लेखाकरण प्रविष्टियाँ पारित किया जाएगा ।

38. कार्परेट सामाजिक उत्तरदायित्व

पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के सीएसआर मार्गदर्शन के अनुसार, पत्र दिनांक 28.6.2023 के माध्यम से रु.3,48,61,741/- करोड़ की राशि को वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रु.116.21 करोड़ के लाभ का 3%) के लिए प्रदान किया गया है। 31.03.2025 तक सीएसआर योजना के तहत उपलब्ध शेष राशि रु.1,32,57,996 करोड़ है।

विवरण	राशि (रु.)
01.04.2024 को आरंभिक शेष	1,05,07,455.00
जोडना:	
2024-25 के लिए किए गए योगदान (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रु.116.21 करोड़ के निबल लाभ का 3%)	3,48,61,741.00
कुल (ए)	4,53,69,196.00
घटाएँ: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किया गया व्यय	
(ए) बम्बलब ट्रस्ट, श्री रामकृष्ण मठ, स्वरलिपि चैरिटेबल ट्रस्ट, विवेकानंद सांस्कृतिक कैंद्र, रोटोरीय क्लब पर किया गया व्यय।	41,91,200.00
(बी) बक्सर के राम ट्रस्ट, बिहार में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वाटर एटीएम की स्थापना।	21,24,000.00

(सी) यह परियोजना जिला कलेक्टर के सहयोग से आंगनवाडी विकास है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और पोषण सुविधाओं में सुधार । (जिला कलेक्टर, चेन्नई)	52,13,000.00
(डी) अमर सेवा संगम, अयिकुडी, तमिलनाडु के लिए ग्राम आधारित पुनर्वास पहल।	16,00,000.00
(ई) प्रजापिता ब्रह्माकुमारी विश्व विद्यालय में सुरक्षित पेयजल उपलब्धता के लिए जल शोधन संयंत्र स्थापना	5,00,000.00
(एफ) मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में व्याख्यान कक्षों, ऑडिटोरियम का एयर कंडीशनिंग के साथ उन्नयन	54,00,000.00
(जी) विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेशन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल (सीजीएचएसएस) में नए कक्षाओं का निर्माण (ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन)	66,83,000.00
(एच) युवा शिक्षार्थियों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विवेकानंद सांस्कृतिक कैंद्र, चेन्नई में कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना	30,00,000.00
(आई) सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए आवश्यक यातायात संकेतों की स्थापना (ग्रेटर चेन्नई यातायात पुलिस)	25,00,000.00
(जे) 1000 प्रतिभागियों के लिए छात्रों को मानसिक लचीलापन, करियर मार्गदर्शन, परीक्षा संबंधी तनाव और मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रदान - पैन ट्रस्ट	9,00,000.00
कुल (बी)	3,21,11,200.00
31.03.2025 को समापन शेष	1,32,57,996.00

39. (i) वेतन सूची के आधार पर कर्मचारी संख्या :-

वर्ग	31.3.2025 तक	31.3.2024 तक
वर्ग I	100	107
वर्ग II	88	88
वर्ग III	1360	1580
वर्ग IV	939	1053
कुल	2487	2828

(ii) पेंशनर संख्या का विवरण

वर्ग	31.3.2025 तक	31.3.2024तक
पेंशनर्स	6751	6726
परिवार पेंशनर्स	6413	6441
अनुग्रहपूर्व पेंशनर्स	233	259
कुल	13397	13426

40 वि.व 2023-2024 तथा 2024-25 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने हेतु चेन्नै पोर्ट के आंतरिक लेखा परीक्षक मेसर्स जे.सिंह व एसोसिएट्स, चार्टड एकौंटेट, होंगे। वि.व 2025-26 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नए फर्म की नियुक्ति हेतु निविदा के अंतिम रूप की प्रक्रिया में पोर्ट है ।

41 चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी पेंशन निधि तथा चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी उपदान निधि के आयोजन के बाद अलग अलग अयम होने के कारण इन ट्रस्ट के वित्तीय विवरणिका चे.पो.ट्र. के वित्तीय विवरणिका में शामिल नहीं किया गया तथा वर्ष 2014-15 से अलग से दर्शाया गया ।

42. चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के वित्तीय विवरणों को भी वित्त वर्ष 2023-24 से चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों से निकाला गया है और वित वर्ष 2022-23 के दौरान सीएण्डएजी द्वारा किए गए अवलोकन के अनुपालन के लिए अलग से प्रस्तुत किया गया है।

43. पोर्ट कर्मचारी के राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की वसूली हेतु पेंशन निधि नियमावली तथा विकास प्राधिकरण ने (पीएफआरडीए) एक्सीस बैंक लिमिटेड को न्यासी बैंक के रूप में नियुक्त किया तदनुसार वि.व 2016-17 से चे.प.प्रा के वित्तीय विवरणिकाओं में से एनपीसी के परिसंपत्तियों तथा देयताओं को निकाला गया है ।

44. चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टीकरण हेतु जहाँ तक आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकडे को रीग्रूप किया गया है।

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

ह/-
सुनील पालीवाल
अध्यक्ष
चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 27.05.2025

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

वार्षिक लेखा

2024-25

लेखा परीक्षा रिपोर्ट व
ली गई कार्रवाई टिप्पणी

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

नं.डीजीसीए/सीए-II/चे.प.प्रा.-एसएआर/4-127/2025-26/424 दि.29.09.2025

सेवा में,

सचिव,
पत्तन,पोत परिवहन मंत्रालय,
यातायात भवन,
नं.1, संसद मार्ग,
नई दिल्ली – 110 001

महोदय,

विषय : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट – के संबंध में।

महोदय,

मैं 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अग्रेषित करता हूँ ।

संसद को प्रस्तुत की गई वार्षिक लेखा तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि को इस कार्यालय को भेजें तथा इसकी चार प्रतिलिपियाँ महा निदेशक (वाणिज्य-I), भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110 124 को भेजें ।

वार्षिक लेखा तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुतीकरण की तारीख को इस कार्यालय को सूचित कर दें ।

संलग्न के साथ इस पत्र की प्राप्ति होने पर पावती भेजें ।

भवदीय
ह/-
(एस. वेल्लियांगिरी)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

संलग्नः पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का राय

राय

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के वित्तीय विवरणिका को हम लेखापरीक्षा किए थे जिसमें, दिनांक 31 मार्च 2025 को वर्षांत के लिए वित्तीय विवरणिकायें तथा वर्षांत के लिए लाभ व हानि लेखे, तथा वित्तीय विवरणिका को टिप्पणी के साथ पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44 साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के तहत महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के सारांश शामिल है ।

2. इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, उत्कृष्ट लेखाकरण नीति की पुष्टीकरण, लेखाकरण मानक तथा प्रकटीकरण शर्त आदि से संबंधित लेखाकरण प्रक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (नि.म.ले.) की टिप्पणीयाँ शामिल है। कानून, नियम व विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा सक्षमता एवं निष्पादन पहलु आदि के अनुपालन संबंधित वित्तीय लेन देन पर लेखापरीक्षा अवलोकन अगर कुछ हो तो, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नि.म.ले. लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा रिपोर्ट की जाएगी।

हमारी राय में, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के संलग्न वित्तीय विवरणिकाएँ, लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों तथा निम्नलिखित पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़े जाने पर, दि.31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वितीय स्थिति और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों/लेखा मानकों के अनुरूप लेखाओं के एकरूप प्रारूप के अनुसार, उस समय समाप्त वर्ष के लिए उसके वित्तीय निष्पादन का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने, सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/मार्गदर्शन/मार्गदर्शन टिप्पणी /आदेश / परिपत्रों आदि के अनुसार लेखा परीक्षा की है। हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" भाग में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर

उपरोक्त के अतिरिक्त, हम निम्नलिखित विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि वित्तीय विवरण की उपयोगकर्ता की समझ के लिए मौलिक/प्रासंगिक हैं। पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा संख्या ए.3 और ए.4 पर ध्यानाकर्षण है ।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, दि.31.3.2025 तक पेंशन निधि में अंशदान, निधि में उपलब्ध कार्पस और निधि में कमी क्रमशः 6,407.52 करोड़, 3,825.30 करोड़ और 2,582.22 करोड़ थी। दि.31.03.2025 तक चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने न तो घाटे का वित्तपोषण किया और न ही इसके लिए देयता प्रदान की, जो लेखांकरण मानक 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधानों के विपरीत था।

पेंशन निधि के लिए देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं और प्रावधानों को कम दर्शाया गया और लाभ को 2,582.22 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। इसके अलावा, 2024-25 के लिए पोर्ट के निवल संपत्ति (रु.2,568.99 करोड़) का 100.51 प्रतिशत और कर के बाद लाभ (रु.84.57 करोड़) का 3,053.35 प्रतिशत कम प्रावधान किया गया । यदि प्रावधान पूर्ण रूप से किया गया होता, तो निबल संपत्ति ऋणात्मक (रु.13.23 करोड़) हो जाती और लाभ रु.2,497.65 करोड़ की हानि में बदल जाता (पैरा संख्या ए.3) है ।

एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार, समूह उपदान निधि और छुट्टी भुनाने निधि के प्रति दायित्व सुनिश्चित नहीं किया गया था। समूह उपदान निधि और समूह छुट्टी भुनाने निधि के प्रति क्रमशः रु.23.26 करोड़ और रु.49.80 करोड़ की देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम दर्शाया गया और लाभ को रु.73.06 करोड़ अधिक दर्शाया गया (पैरा संख्या ए.4) ।

वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रबंधन की उत्तरदायित्व

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के शासी निकाय बोर्ड, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा/लेखा मानकों के एकरूप प्रारूप के अनुसार वितीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए और आंतरिक नियंत्रण के लिए भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि प्रबंधन द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के गलतबयानी से मुक्त होने की सक्षम हो ।

वित्तीय विवरणिका की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, और सीएजी के लेखापरीक्षा नियमों/मानकों/मैनुअल मार्गदर्शन/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेश/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय सहित एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह/-

(एस. वेल्लियांगिरी)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 29.09.2025

दि.31 मार्च 2025 के वर्षांत के लिए चेन्नै पत्तन प्राधिकरण, चेन्नै के लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

ए.	**तुलन पत्र**
	निधियों का लागूकरण
1.	**निवेश** **लंबी अवधि निवेश** **अनुसूची V - ₹28,25,38,69,411** इसमें सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निवेशित ₹30 करोड़ (₹10 प्रत्येक पर 3 करोड़ के शेयर) शामिल हैं, जो परिसमापन के अधीन है। चूँकि पोर्ट द्वारा किए गए निवेश की वसूली नहीं हुई, इसलिए मूल्य में आई हुई कमि का प्रावधान किया जाना चाहिए था। प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप निवेश और लाभ को ₹30 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया।
2.	**चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम** **ऋण और अग्रिम** **अनुसूची - VI अन्य को अग्रिम - ₹79,65,94,201** ऊपरोक्त में से एक से चार वर्षों से लंबित असमाधानित शेषों को दर्शानेवाली ₹6,95,31,159 का लेखाकरण सस्पेंस खातों के अंतर्गत (संशोधन I) (खाता कोड 23530003) शामिल है। लेखापरीक्षा शेष राशि की पुष्टि नहीं कर पाई, क्योंकि प्रविष्टियां का मिलान योग्य नहीं रहीं।
3.	**चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम** **घटाएं: वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान** **अनुसूची VIII - ₹14,12,37,11,063** चेन्नै पत्तन प्राधिकरण (चे.प.प्रा) द्वारा उनके सेवानिवृत कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों को पेंशन भुगतान को पूरा करने के लिए एक पृथक पेंशन निधि का अनुरक्षण किया जाता है। पेंशन निधि में अंशदान प्रत्येक वर्ष चे.प्रा.प. द्वारा किया जाता है। पेंशन भुगतान के लिए दायित्व का निर्धारण भारतीय जीवन बीमा निगम (जी.बी.नि.) द्वारा प्रत्येक वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता था और निधि में कमी को चे.प्रा.प. द्वारा निधि में अंशदान करके पूरा किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन निधि में योगदान, दि.31.3.2025 तक निधि में उपलब्ध राशि और निधि में कमी क्रमश: ₹6,407.52 करोड़, ₹3,825.30 करोड़ और ₹2,582.22 करोड़ रही। दि.31.03.2025 तक चे.प्रा.प. ने न तो घाटे का वित्तपोषण किया और न ही इसके लिए कोई दायित्व प्रदान किया, जो कि लेखांकन मानक 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधानों के विपरीत था।

पेंशन निधि के प्रति देयता का गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप चालू देयताओं और प्रावधानों को कम दर्शाया गया तथा लाभ को ₹ 2,582.22 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया।

इसके अलावा, लघु प्रावधान की राशि वर्ष 2024-25 के लिए पोर्ट की निबल संपत्ति (₹2,568.99 करोड़) का ₹100.51 प्रतिशत और कर के बाद लाभ (₹84.57 करोड़) का ₹3,053.35 प्रतिशत था। यदि प्रावधान पूरी तरह से किया गया होता, तो निबल संपत्ति घटकर (₹13.23 करोड़) हो जाती और लाभ, ₹2,497.65 करोड़ की हानि में बदल जाएगा।

4. चालू देयताएं और प्रावधान

अनुसूची VIII -₹14,12,37,11,063

लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ के अनुसार, कर्मचारी लाभ निधि के लिए देय अंशदान को लाभ और हानि खाते में डाला जाएगा।

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके परिवारों के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए उपदान निधि और छुट्टी भुनाने निधि का अनुरक्षण की जाती है। पोर्ट ने दायित्वों को पूरा करने के लिए जीवन बीमा निगम से पॉलिसियाँ प्राप्त की हैं। ग्रुप उपदान निधि और छुट्टी भुनाना निधि के लिए दायित्व और लघु प्रावधान का बीमांकिक मूल्यांकन निम्नानुसार था, जिसे प्रदान किया जाना चाहिए था, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया गया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	**उपदान**	**छुट्टी भुनाना**
दायित्व का बीमांकिक मूल्य	332.06	121.31
संचित अंशदान (जीबीनि)	308.71	71.51
देयता में लघु प्रावधान	**23.35**	**49.80**

ग्रुप उपदान निधि और छुट्टी भुनाने निधि के लिए क्रमशः ₹23.35 करोड़ और ₹49.80 करोड़ की देयता का गैर-प्रावधान के कारण चालू देयताओं और प्रावधानों में कमी हुई और ₹73.15 करोड़ के लाभ को अधिक बताया गया।

यह चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा एक निरंतर गैर-अनुपालन वाला मामला है।

5. सहायता अनुदान

अनुसूची III - ₹ 33,78,26,713

सामान्य वितीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 230(8) में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी किए गए सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के

	अलावा) के विरुद्ध सभी ब्याज या अन्य आय को खातों के अंतिम रूप देने के बाद, तुरंत अनिवार्य रूप से भारत की समेकित निधि में भेज दिया जाना चाहिए, और ऐसे अग्रिमों को भविष्य में जारी की जाने वाली राशि के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उपरोक्त में ₹72.30 लाख की वह राशि शामिल है जो वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज के रूप में अर्जित की गई थी, जिसे जीएफआर 2017 के अनुपालन में भारत की समेकित निधि में अंतर्निहित किया जाना था। हालांकि, इसे सुनिश्चित नहीं किया गया। गैर-अनुपालन के कारण सहायता अनुदान का ₹72.30 लाख अधिक मूल्यांकन और चालू देनदारियों को कम मूल्यांकन हुआ।
बी.	**लाभ एवं हानि खाता/आय एवं व्यय खाता - शून्य**
सी.	**प्राप्ति एवं भुगतान खाता - शून्य**
डी.	**लेखांकन नीतियाँ - शून्य**
ई.	**सामान्य**
1.	**महा पत्तन प्राधिकरण (लेखा एवं लेखापरीक्षा) नियम 2021 और लेखा मानकों का गैर-अनुपालन।** महा पत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा) नियम 2021 के नियम 8(3) के अनुसार, पोर्ट के खातों का वार्षिक विवरण लेखांकन मानकों (एएस) का अनुपालन करना चाहिए। लेखांकन मानक-3 (संशोधित 1997) — नकदी प्रवाह विवरण (सीएफएस) के अनुसार, "एक उद्यम को नकदी प्रवाह विवरण तैयार करना चाहिए तथा उसे प्रत्येक अवधि के लिए प्रस्तुत करना चाहिए जिसके लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं।" वर्ष 2024-25 के लिए चे.प.प्रा. के वार्षिक खाते में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं है, जो महा पत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा) नियम 2021 और लेखा मानक 3 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन था।
एफ.	**प्रबधन पत्र** लेखा परीक्षा में शामिल नहीं की गई कमियों को उपचारात्मक सुधारात्मक/कार्रवाई हेतु अध्यक्ष ,चेन्नै पत्तन प्राधिकरण को अलग से जारी किए जानेवाले प्रबंधन पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा।
जी.	**आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन**
	i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का पर्याप्तता सभी प्रचालनों में आंतरिक नियंत्रण सामान्यतः पर्याप्त थे। हालाँकि, अपवादों में

	समाधान/समायोजन के लिए लंबित लंबी बकाया राशि, अनुचित इन्वेंट्री मूल्यांकन और प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है।
	ii) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा संचालित और दि.31-03-2025 तक पूरा किया गया। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर्याप्त है और संगठन के आकार और प्रकृति के अनुरूप हैं।
	iii) स्थाई परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित स्थाई परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन अनिवार्य रूप से नहीं किया गया और दि.31.03.25 तक लंबित था।
	iv) इन्वेंट्री के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली वर्ष 2024-25 के दौरान सभी विभागों में इन्वेंट्री का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों (2024-25) में दर्शाए गए इन्वेंट्री बैलेंस की सटीकता और विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं की जा सकी।
	v) सांविधिक देयता की अदायगी में नियमितता वर्ष 2024-25 के दौरान पोर्ट ने निर्विवाद सांविधिक देयताओं का भुगतान किया।
	(vi) अन्य इकाई के कामकाज से संबंधित मामले - शून्य
एच.	**अनुदान सहायता** अनुदान में प्रारंभिक शेष राशि (-) ₹8.41 करोड़ थी। ₹32.46 करोड़ में से, वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान ₹ 31.74 करोड़ है औरअर्जित ब्याज ₹ 0.72 करोड में से संगठन द्वारा 24.03 करोड का उपयोग किया गया है । व्यय ₹ 28.58 करोड – ₹4.55 करोड जो आंतरिक संसाधनों से पूरा किया गया जिससे (31 मार्च 2025 तक शेष ₹ 0.02 करोड़ की अप्रयुक्त अनुदान राशि बची।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह/-

(एस. वेल्लियांगिरी)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 29.09.2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा उस पर ली गई कार्रवाई टिप्पणी।

प्रस्तावना

महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 की धारा 44 के प्रावधान के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत चेन्नै पत्तन प्राधिकरण (चे.प.प्रा.) के लेखाओं का लेखापरीक्षा आयोजित की गई ।

पैरा सं.	लेखा परीक्षा अवलोकन	ली कार्रवाई टिप्पणी/ उत्तर
ए	**तुलन पत्र**	
	निधियों का उपयोग	
1.	**निवेश** **लंबी अवधि निवेश** **अनुसूची V - ₹28,25,38,69,411** इसमें सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निवेशित ₹30 करोड़ (₹10 प्रत्येक पर 3 करोड़ के शेयर) शामिल हैं, जो परिसमापन के अधीन है। चूँकि पोर्ट द्वारा किए गए निवेश की वसूली नहीं हुई, इसलिए मूल्य में आई हुई कमि का प्रावधान किया जाना चाहिए था। प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप निवेश और लाभ को ₹30 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया।	यह कथित किया गया है कि एससीएल को वर्ष 2021 में समापन गतिविधियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन एससीएल के परिसमापन के संबंध में सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा, चूँकि एससीएल एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, इसलिए मूल्य में कमी का निर्धारण नहीं किया जा सकता। पोर्ट द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान लेखा नीति के अनुसार, लागत पर सभी निवेशों का खुलासा किया जाता है। यह भी कहा गया है कि वार्षिक लेखाओं के लिए सामान्य ढाँचे और महा पत्तन प्राधिकरणों के लिए अनुशंसित लेखा नीतियों पर आईसीएआई द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने के बाद, संबंधित लेखा मानक के अनुरूप लंबी अवधि निवेशों की हानि के लिए प्रावधान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2.	**चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम** **अनुसूची - VI अन्य को अग्रिम - ₹79,65,94,201** ऊपरोक्त में से एक से चार वर्षों से लंबित असमाधानित शेषों को दर्शानेवाली ₹6,95,31,159 का लेखाकरण सस्पेंस खातों के अंतर्गत (संशोधन I) (खाता कोड 23530003) शामिल है। लेखापरीक्षा शेष राशि की पुष्टि नहीं कर पाई, क्योंकि प्रविष्टियां का मिलान योग्य नहीं रहीं।	यह कथित है कि यह शेष राशि वर्ष 2008 से आगे बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में बीआरएस का समाधान एक सीए फर्म को सौंपा गया है और इसके समापन पर, खातों का समाधान एक सीए फर्म के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है और इसके आधार पर रिपोर्ट मिलने के बाद इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चेन्नै पत्तन

3.	**चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम घटाएं: वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान अनुसूची VIII - ₹14,12,37,11,063** चेन्नै पत्तन प्राधिकरण (चे.प.प्रा) द्वारा उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों को पेंशन भुगतान को पूरा करने के लिए एक पृथक पेंशन निधि का अनुरक्षण किया जाता है। पेंशन निधि में अंशदान प्रत्येक वर्ष चे.प.प्रा. द्वारा किया जाता है। पेंशन भुगतान के लिए दायित्व का निर्धारण भारतीय जीवन बीमा निगम (जी.बी.नि.) द्वारा प्रत्येक वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता था और निधि में कमी को चे.प.प्रा. द्वारा निधि में अंशदान करके पूरा किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन निधि में योगदान, दि.31.3.2025 तक निधि में उपलब्ध राशि और निधि में कमी क्रमश: ₹ 6,407.52 करोड़, ₹3,825.30 करोड़ और ₹2,582.22 करोड़ रही। दि.31.03.2025 तक चे.प.प्रा. ने न तो घाटे का वित्तपोषण किया और और न ही इसके लिए कोई दायित्व प्रदान किया, जो कि लेखांकन मानक 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधानों के विपरीत था। पेंशन निधि के प्रति देयता का गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप चालू देयताओं और प्रावधानों को कम दर्शाया गया तथा लाभ को ₹ 2,582.22 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया। इसके अलावा, लघु प्रावधान की राशि वर्ष 2024-25 के लिए पोर्ट की निबल संपत्ति (₹2,568.99 करोड़) का ₹100.51 प्रतिशत और कर के बाद लाभ (₹84.57 करोड़) का ₹3,053.35 प्रतिशत था। यदि प्रावधान पूरी तरह से किया गया होता, तो निबल संपत्ति घटकर (₹13.23 करोड़) हो जाती और लाभ, ₹2,497.65 करोड़ की हानि में बदल जाएगा।	पेंशन निधि में हुई कमी, पूर्व सेवा देयता के साथ-साथ एक्चुरियल आधार पर परिकलित वर्तमान सेवा लागत, जो बीमा कंपनियों द्वारा कुछ मान्यताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है, न कि अंतिम देयता के आधार , को भी दर्शाती है । पिछली सेवा देयता वर्षों से संचित शेष है, जिसका अंशदान निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है तथा वर्तमान सेवा लागत का पूर्ण योगदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पेंशन में किया गया अंशदान ₹ 102 करोड़ है, जो बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ₹ 49.17 करोड़ की वर्तमान सेवा लागत और ₹ 52.83 करोड़ की पिछली सेवा देनदारी में योगदान को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, पोर्ट ने पोर्ट राजस्व खाते से ₹ 386 करोड़ का पेंशन भुगतान और पेंशन बकाया (दि.14.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मासिक पेंशन के लिए रु.206 करोड़ और दि.1.1.2022 से वर्ग III व वर्ग IV कर्मचारियों के लिए पेंशन के समेकन के कारण पेंशन बकाया के लिए रु.180 करोड़) किया है। यह देखा जा सकता है कि सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते में वृद्धि और समय-समय पर वेतन संशोधन/पेंशन के कारण बीमांकिक देयता भी बढ रही है। चालू वर्ष 2024-25 के दौरान, बीमांकिक देयता में उल्लेखनीय वृद्धि दि.1.1.2022 से प्रभावी वर्ग III व वर्ग IV कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संशोधन और पेंशन के समेकन के कार्यान्वयन के कारण है। इसके अलावा, देयता का गैर-प्रावधान करने संबंधी लेखापरीक्षा अवलोकन के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि केवल बीमांकिक मूल्यांकन की सीमा तक प्रावधान करना पर्याप्त नहीं होगा और उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, जब तक कि किए गए प्रावधान के विरुद्ध वित्तपोषण नहीं किया गया हो। इसके अलावा, यह बताना आवश्यक है कि, चे.प.प्रा. ने केपीएल में शेष दो-तिहाई हिस्सेदारी के अधिग्रहण हेतु एसबीआई से रु.1775 करोड़ का आवधिक ऋण लिया है और केपीएल से प्राप्त लाभांश का उपयोग वर्तमान में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए किया जा रहा है। यद्यपि आवधिमक ऋण की अवधि 15 वर्ष है,

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>चे.प.प्रा. ने मूलधन की अग्रिम अदायगी की है और अब तक ₹932.13 करोड़ भुगतान किया हैं और दि.13.10.2025 तक बकाया राशि ₹ 842.87 करोड़ है। यह उम्मीद की जाती है कि अगले 4 से 5 वर्षों में आवधिक ऋण का पूरा भुगतान किया जाएगा और उसके बाद, अन्य घटनाक्रमों के अधीन, केपीएल से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लाभांश का उपयोग पेंशन निधि में कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, नकदी उपलब्ध होने पर पेंशन निधि में राशि स्थानांतरित करने का भी प्रयास किया जाएगा और जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है, अधिशेष की प्राप्ति से कमी को पूरा किया जाएगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>चालू देयताएं और प्रावधान
अनुसूची VIII -₹14,12,37,11,063
लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ के अनुसार, कर्मचारी लाभ निधि के लिए देय अंशदान को लाभ और हानि खाते में डाला जाएगा।
चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके परिवारों के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए उपदान निधि और छुट्टी भुनाने निधि का अनुरक्षण की जाती है। पोर्ट ने दायित्वों को पूरा करने के लिए जीवन बीमा निगम से पॉलिसियाँ प्राप्त की हैं। ग्रुप उपदान निधि और छुट्टी भुनाना निधि के लिए दायित्व और लघु प्रावधान का बीमांकिक मूल्यांकन निम्नानुसार था, जिसे प्रदान किया जाना चाहिए था, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया गया।
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>उपदान</th><th>छुट्टी भुनाना</th></tr>
<tr><td>दायित्व का बीमांकिक मूल्य</td><td>332.06</td><td>121.31</td></tr>
<tr><td>संचित अंशदान (जीबीनि)</td><td>308.71</td><td>71.51</td></tr>
<tr><td>देयता में लघु प्रावधान</td><td>23.35</td><td>49.80</td></tr>
</table>
ग्रुप उपदान निधि और छुट्टी भुनाने निधि के लिए क्रमशः ₹23.35 करोड़ और ₹49.80 करोड़ की देयता का गैर-प्रावधान के कारण चालू देयताओं और प्रावधानों में कमी हुई और ₹73.15 करोड़ के लाभ को अधिक बताया गया।
यह चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा एक निरंतर गैर-अनुपालन वाला मामला है।</td>
<td>दि.31.3.2025 तक उपदान निधि देयता में ₹ 23.35 करोड़ की कमी के संबंध में, नकदी अधिशेष उत्पन्न होने पर इस कमी को पूरा करने के लिए उपदान निधि में राशि स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26) के दौरान दि.13.10.2025 तक उपदान निधि में ₹ 6.00 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गई।

छुट्टी भुनाना निधि के संदर्भ में, पिछले वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय की सीमा तक न्यूनतम अंशदान के अधीन अंशदान किया जा रहा है, जो वर्तमान में अपनाई जा रही लेखा नीति के अनुरूप है।

क्रम संख्या 33 पर लेखा टिप्पणियों में पेंशन निधि, उपदान निधि और छुट्टी भुनाने निधि में वास्तविक कमी को सूचित किया गया है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि संबंधित वर्ष का संपूर्ण पूंजीगत व्यय भी केवल अधिशेष से ही पूरा किया जा रहा है, इसलिए, वित वर्ष 2024-25 के दौरान लाभ की उपलब्धता के अनुसार पेंशन और उपदान निधि में अंशदान किया गया है।</td>
</tr>
</table>

5.	**सहायता अनुदान** **अनुसूची III - ₹ 33,78,26,713** सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 230(8) में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी किए गए सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के विरुद्ध सभी ब्याज या अन्य आय को खातों के अंतिम रूप देने के बाद, तुरंत अनिवार्य रूप से भारत की समेकित निधि में भेज दिया जाना चाहिए, और ऐसे अग्रिमों को भविष्य में जारी की जाने वाली राशि के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उपरोक्त में ₹72.30 लाख की वह राशि शामिल है जो वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज के रूप में अर्जित की गई थी, जिसे जीएफआर 2017 के अनुपालन में भारत की समेकित निधि में अंतर्निहित किया जाना था। हालांकि, इसे सुनिश्चित नहीं किया गया। गैर-अनुपालन के कारण सहायता अनुदान का ₹72.30 लाख अधिक मूल्यांकन और चालू देनदारियों को कम मूल्यांकन हुआ।	यह कथित किया गया कि पर्यावरणीय क्लीयरेंस मिलने में विलंब के कारण परियोजना के प्रारंभ होने में विलंब हुई। चालू खाते में अनुदान के कारण प्राप्त राशि को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए, शेष राशि को भुगतान अनुसूची के आधार पर एसबीआई के साथ लघु अवधि जमा में निवेश किया जा रहा है। अब चूंकि परियोजना शुरू हो गई है, इसलिए अनुदान प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाता है तथा बिलों के प्रसंस्करण के लिए राशि को न्यूनतम अवधि के लिए रखा जाता है। चूंकि अनुदान का उपयोग चेन्नै मत्स्य हारबर के उन्नयन के लिए किया गया है, इसलिए अर्जित ब्याज का उपयोग अनुदान राशि के साथ व्यय को पूरा करने के लिए भी किया गया है और अर्जित और उपयोग किए गए ब्याज को समय-समय पर मंत्रालयों को भेजे गए उपयोग प्रमाण पत्रों में अलग से दर्शाया गया है। तत्पश्चात, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग से दिनांक 16.9.2025 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा करने तथा संशोधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है। संबंधित मंत्रालय/विभाग से लेखा शीर्ष प्राप्त होने के पश्चात भुगतान हेतु कार्यवाही की जाएगी।
बी.	**लाभ एवं हानि खाता/आय एवं व्यय खाता - शून्य**	नोट किया गया।
सी.	**प्राप्ति एवं भुगतान खाता - शून्य**	नोट किया गया।
डी.	**लेखांकन नीतियाँ - शून्य**	नोट किया गया।
ई.	**सामान्य**	
1.	**महा पत्तन प्राधिकरण (लेखा एवं लेखापरीक्षा) नियम 2021 और लेखा मानकों का गैर-अनुपालन।**	
	महा पत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा) नियम 2021 के नियम 8(3) के अनुसार, पोर्ट के खातों का वार्षिक विवरण लेखांकन मानकों (एएस) का अनुपालन करना चाहिए।	महा पत्तन प्राधिकरण (ए एंड ए) नियम 2021 के अनुसार, महा पत्तनों को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करना होगा। इस संबंध में, जैसा कि पहले बताया गया है, भारतीय पोर्ट संघ (आईपीए) भारतीय चार्टर्ड

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

	लेखांकन मानक-3 (संशोधित 1997) – नकदी प्रवाह विवरण (सीएफएस) के अनुसार, "एक उद्यम को नकदी प्रवाह विवरण तैयार करना चाहिए तथा उसे प्रत्येक अवधि के लिए प्रस्तुत करना चाहिए जिसके लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं।" वर्ष 2024-25 के लिए चे.प.प्रा. के वार्षिक खाते में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं है, जो महा पत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा) नियम 2021 और लेखा मानक 3 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन था।	एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के माध्यम से सभी महा पत्तनों के लिए वार्षिक लेखाओं का एक सामान्य ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया में है। आईसीएआई को सौंपे गए कार्य के दायरे में महा पत्तनों के लिए अनुपालन किए जाने वाले लेखांकन मानकों का सुझाव भी शामिल है क्योंकि महा पत्तन कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं। यह सूचित किया जाता है कि आईपीए ने दि.13.11.2024 को आयोजित अपनी जीबी बैठक में, आईसीएआई द्वारा प्रस्तुत अंतिम मसौदा रिपोर्ट को अनुमोदन दिया, जिसमें (i) दि.11.9.2024 को महा पत्तनों के लिए वार्षिक खातों के लिए सामान्य रूपरेखा, (ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सिफारिश की गई; और (iii) वित्तीय विवरणों के लिए उदाहरणात्मक प्रारूप शामिल हैं और इसे दि.26.11.2024 के पत्र के माध्यम से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को भेजा गया। चूंकि सामान्य रूपरेखा तैयार करना पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, इसलिए खातों को प्रासंगिक मानकों / प्रारूपों के अनुसार तैयार किया जा रहा है, जिसका पालन कई वर्षों से पोर्ट द्वारा किया जा रहा है, ताकि वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रतिबिंबित हो सके। लेखांकन मानकों के साथ-साथ सामान्य रूपरेखा पर मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने के परिणामस्वरूप, तदनुसार नकदी प्रवाह विवरण सहित खाते तैयार किए जाएंगे।
एफ.	**प्रबंधन पत्र** लेखा परीक्षा में शामिल नहीं की गई कमियों को उपचारात्मक सुधारात्मक/कार्रवाई हेतु अध्यक्ष , चेन्नै पत्तन प्राधिकरण को अलग से जारी किए जानेवाले प्रबंधन पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा।	नोट किया गया।
जी.	**आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन**	
	i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का पर्याप्तता सभी प्रचालनों में आंतरिक नियंत्रण सामान्यत: पर्याप्त थे। हालाँकि, अपवादों में समाधान/समायोजन के लिए लंबित लंबी बकाया राशि, अनुचित इन्वेंट्री मूल्यांकन और प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है।	लेखापरीक्षा की टिप्पणियों की जांच की जाएगी और आंतरिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से आवश्यक सुधारात्मक उपाय लागू किए जाएंगे।

	ii) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा संचालित और दि.31-03-2025 तक पूरा किया गया। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर्याप्त है और संगठन के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।	तथ्यपूर्ण।
	iii) स्थाई परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित स्थाई परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन अनिवार्य रूप से नहीं किया गया और दि.31.03.25 तक लंबित था।	चालू वर्ष 2025-26 के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और इसके परिणाम के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
	Iv) इन्वेंट्री के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली वर्ष 2024-25 के दौरान सभी विभागों में इन्वेंट्री का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों (2024-25) में दर्शाए गए इन्वेंट्री बैलेंस की सटीकता और विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं की जा सकी।	यह बताया गया कि वित्त विभाग की स्टॉक सत्यापन टीम द्वारा समवर्ती आधार पर इन्वेंट्री का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा रहा है। स्टॉक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों, यदि कोई हों, की सूचना संबंधित विभागों को दी जाती है ताकि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यक समायोजन प्रविष्टियाँ पारित की जा सकें।
	v) सांविधिक देयता की अदायगी में नियमितता वर्ष 2024-25 के दौरान पोर्ट ने निर्विवाद सांविधिक देयताओं का भुगतान किया।	तथ्यपूर्ण।
	(vi) अन्य इकाई के कामकाज से संबंधित मामले - शून्य	नोट किया गया।
एच.	**अनुदान सहायता** अनुदान में प्रारंभिक शेष राशि (-) ₹8.41 करोड़ थी। ₹32.46 करोड में से, वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान ₹31.74 करोड़ है औरअर्जित ब्याज ₹0.72 करोड में से संगठन द्वारा ₹ 24.03 करोड का उपयोग किया गया है । व्यय ₹ 28.58 करोड - ₹4.55 करोड जो आंतरिक संसाधनों से पूरा किया गया जिससे (31 मार्च 2025 तक शेष ₹0.02 करोड़ की अप्रयुक्त अनुदान राशि बची।	तथ्यपूर्ण।

चेन्नै पत्तन प्राधिकरण

सुएक्स-मैक्स और वी एल सी सी को संभालने में सक्षम तेल टर्मिनल

मछली हारबर का आधुनिकीकरण और उन्नयन

विशाल कंटेनर ट्रेलर पार्किंग प्लाजा

क्रूज पर्यटन का उभरता हुआ प्रवेश द्वार